खण्ड-155, अंक-5
गुरूवार, 17 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(8 सितम्बर, 1955 ई0)

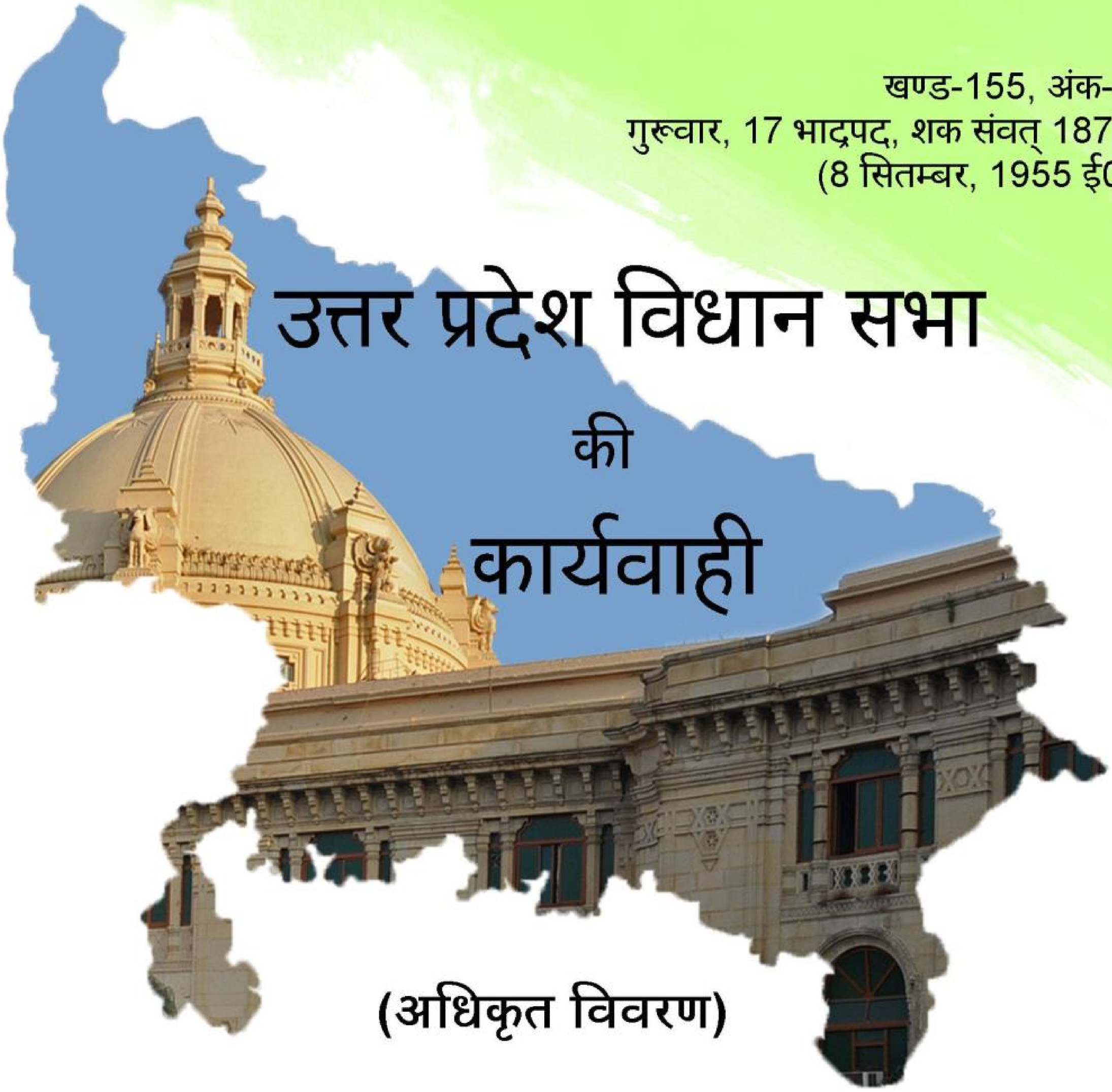

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 155 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ८ सितम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभामण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५२)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्र साद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
त जप्रतापसिंह, श्री
त जबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री

बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाजन, श्री सी० बी०
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महवीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री

हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ८ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में धवाय मानपुर केस के राजनीतिक बन्दी

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतायेगी कि फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल में धवाय मानपुर (जिला बस्ती) केस के राजनीतिक बन्दीगण में से कोई क्षय रोग से पीड़ित है ? अगर हां, तो क्या सरकार ऐसे राजबन्दियों को किसी स्वास्थ्यप्रद स्थान पर भेजने का विचार कर रही है ?

कारावास उप-मंत्री (श्री मुजफ्फरहसन)—धवाय मानपुर केस के बन्दियों में जो बन्दी फतेहगढ़ जेल में हैं उनमें कोई भी क्षय रोग से पीड़ित नहीं है। आगे का प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उनको इस बात की सूचना है कि जब यह प्रश्न किया गया था उस समय धवाय मानपुर केस का एक बन्दी क्षय रोग का फतेहगढ़ जेल में बन्द था और बाद में उसका ट्रांसफर किसी अन्य जेल में कर दिया गया। तो क्या सरकार उसका पता लगाकर उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—मेरे पास पहले से इसकी कोई सूचना नहीं है। सिर्फ एक बन्दी के बारे में मेरे पास यह इत्तिला है कि एक शख्स, जिसका नाम गोमती प्रसाद है उसके सीने में दर्द होता है लेकिन उसके अन्दर क्षय रोग की अलामत नहीं पायी गयी।

फैजाबाद जेल में कम्युनिस्ट राजबंदी

*२—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जेल में कुल कितने कम्युनिस्ट राजबन्दी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—कोई नहीं है।

आमिला, जिला आजमगढ़, टाउन एरिया को बिजली की आवश्यकता

*३—श्री झारखंडे राय—क्या अमिला, जिला आजमगढ़, टाउन एरिया को मऊ पावर हाउस से बिजली देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्री के सचिव सभा (श्री धर्म सिंह)—जी नहीं।

रिहन्द बांध के निर्माण में अधिगत भूमि का मुआवजा

*४—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि रिहन्द बांध के तैयार हो जाने पर मिर्जापुर जिले के सिंगरौली परगने के १०८ गांवों के लगभग ४४ हजार ग्रामीण अपनी सारी भूमि और मकान से रहित हो जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी हां।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार उनको बसाने और उनके जीविकोपार्जन के प्रश्न से सम्बन्धित किसी योजना पर विचार कर रही है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां।

*६—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो वह कौन सी योजना है और वह कब तक अमल में लाई जायेगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह योजना तैयार की जा रही है। इसमें ग्रसित ग्रामीणों को उनकी स्थायी सम्पत्ति के बदले मुआवजा तथा कृषि योग्य भूमि के बदले उन्हें मुआवजा या अच्छी कृषि योग्य भूमि देने आदि की व्यवस्था होगी। यह योजना उन क्षेत्रों के डूबने के पूर्व ही कार्यान्वित की जायगी।

सचिवालय की पुरानी खस टट्टियों में आकस्मिक आग

*७—**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि सचिवालय के टाट के गोदाम में शुक्रवार १-४-५५ ई० को आग लग गई थी?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानंद)—जी नहीं। आग २२-३-५५ को कुछ पुरानी बेकार खस की टट्टियों में लगी थी जो गोदाम के बाहर एक जगह जमा थीं।

*८—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि इस अग्निकांड से कितने रुपये का टाट जल गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उन जली हुई खस की टट्टियों का मूल्य अधिक से अधिक २० रु० रहा होगा।

*९—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार गोदाम में आग लगने के कारणों पर प्रकाश डालेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह आग आकस्मिक थी।

गोरखपुर जिले में आम के वृक्ष काटने के लिये परमिट

*१०—**श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में एस० डी० एम० द्वारा आम का हरा बाग और महुवा के हरे पेड़ काटने के लिये गत वर्ष से अब तक कितने परमिट दिये गये?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में एस० डी० एम० द्वारा अप्रैल, १९५४ से अब तक २ परमिट पुराने बिना फलदार आम के पेड़ों को काटने के लिये दिये गये। महुआ के पेड़ काटने के लिये कोई परमिट नहीं दिया गया।

*११—**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन-जिन व्यक्तियों को हरे बाग या हरे महुआ के पेड़ काटने की आज्ञा दी गई वह पेड़ों की संख्या में दी गई है या रकबे में?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इन दो परमिटों में से प्रथम परमिट श्री आदित्यप्रसाद सिंह को पेड़ों की संख्या में तथा द्वितीय परमिट श्री डब्लू होल्स वर्थ को रकबे में दिया गया।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या क्षेत्रीय एम० एल० ए० ने एस० डी० एम० को इस बात की शिकायत की थी कि बिना जांच किये हुए यह बाग काटने की इजाजत न दी जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसकी कोई सूचना सरकार को नहीं है।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय— श्री डब्लू० होल्स वर्थ को जो परमिट दिये गये थे वे कितने रकबे के लिये दिये गये थे और उससे कहां-कहां कितने जाति के पेड़ काटे गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसका रकबा ३.१० एकड़ है और तारीख १०-५-५४ को परगनाधीश ने पेड़ काटने का आदेश इस सेक्टर के लिये दिया।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—मैंने प्रश्न यह किया था कि किस-किस जाति के वृक्ष काटने की इजाजत दी गई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सिर्फ आम ही की थी, शायद एक आध कटहल के पेड़ भी हों। लेकिन दूसरी बात यह है कि उन्होंने लिखा था कि यहां पर बन्दर बहुत नुक्सान पहुंचाते हैं, ऐसा उनके प्रार्थना-पत्र में था और जो आम थे वह भी फल नहीं देते थे। इसलिये यह हुआ कि बगीचे के बजाय वहां खेती अच्छी हो सकती है, इसलिये क्षेत्रफल के हिसाब से दिया गया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार का आदेश है कि हरे आम के पेड़ या महुवे के पेड़ जो फल देते हैं वह न काटे जायं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस तरह का आदेश है कि न काटे जायं, लेकिन जहां आवश्यकता होती है सरकार ने यह अधिकार कुछ हद तक ग्राम समाजों को दे रखा है और उनके ऊपर जिलाधीशों को भी अधिकार है, और कुछ हद तक गवर्नमेंट भी देख लिया करती है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या यह सही है कि इन वृक्षों को न काटने का लोगों ने अनुरोध किया था लेकिन फिर भी वह काटे गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सरकार को इसकी इत्तला नहीं है अगर आप चाहेंगे तो जांच करा ली जायगी।

शारदा तथा पथरी बिजली घरों से एडिशनल बिजली का वितरण

*१२—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शारदा और पथरी बिजली घरों से जो एडिशनल बिजली प्राप्त होने वाली है, उसको नगरों में पहुंचाने के लिये प्राइवेट पार्टीज अथवा लोकल बाडीज को लाइसेंस देने के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह—सरकार आमतौर पर लाइसेन्स देने के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं मांगती। जनता प्रार्थना-पत्र द्वारा इसकी शुरुआत करती है और सरकार उस पर विचार करती है। अगर कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त होगा तो उस पर विचार किया जायगा।

*१३—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—यदि हां तो यह प्रार्थना-पत्र किन शर्तों पर मांगे जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह—यह सवाल ही नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सही है कि सन ५०-५१ में सरकारी विज्ञप्ति द्वारा शहरों में बिजली वितरण के लिये प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे। यदि हां, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह--सन ५१ में सरकार की ओर से एक प्रेस नोट इशू हुआ था, और मैं इतना और बतादूं कि सरकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि वह ऐसे प्रार्थना-पत्र मांग नहीं सकती।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में पथरी और शारदा से बिजली प्राप्त होगी वहां लोकल बाडीज को लाइसेंस क्यों नहीं दिये जाते ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---कोई भी कारण नहीं है, जो भी म्युनिसिपल बोर्ड दरख्वास्त दें और लाइसेंस लेना चाहें, उन पर कंसिडरेशन होगा और लाइसेंस दिये जा सकते हैं।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बतायेगी कि यदि कोई गांव बिजली लेना चाहता है तो उसके प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं यह समझा कि गांव में अगर कोई बिजली लेना चाहे, तो जिस गांव में कोई बिजली लेना चाहेगा उस पर जरूर विचार किया जायगा।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार पथरी बिजलीघर के पास के गांवों को बिजली देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---पथरी पावर हाउस के करीब के जो गांव हैं उनको जरूर दी जा सकती है अगर कोई लेगा।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या शारदा बिजली घर से उन्नाव के देहाती क्षेत्रों को भी बिजली दी जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह मैं यहां पहले ही बतला चुका हूं, अभी थोड़े ही दिन हुये कि उन्नाव में बिजली कानपुर के पावर हाउस से दी जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि शारदा और पथरी बिजलीघरों से यह ऐडीशनल बिजली कब से मिलने लगेगी अर्थात् इनका उद्घाटन कब हो जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---ऐडीशनल बिजली प्राप्त होने लगी है, और सन् १९५५ के दिसम्बर में बिलकुल पूरी हो जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि शारदा और पथरी बिजलीघर क्रमशः कब उद्घाटित हो जायेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने पहले सुना नहीं। लौट कर सवाल हुआ। दिसम्बर में होगा जैसा मैंने कहा।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पथरी-शारदा पावर हाउस से अब तक गांवों को बिजली दी गई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--गांवों को अभी बिजली दी गई हो या नहीं, लेकिन लाइन बन रही होगी।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ के लोग शारदा पावर हाउस से बिजली पाने की आशा कर सकते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं तो अवश्य यही अर्ज कर सकता हूं कि वे बराबर इसकी आशा करें।

*१४—श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी—[१९ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

झांसी इलेक्ट्रिक पावर हाउस का अव्यवस्थित प्रबन्ध व रेजीडेण्ट इंजीनियर का अभाव

*१५—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि झांसी इलेक्ट्रिक पावर हाउस बगैर रेजीडेंट इंजीनियर के लगभग दो साल चल रहा है ?

श्री धर्मसिंह—१३ जनवरी, १९५४ से झांसी पावर हाउस में रेजिडेंट इंजीनियर के बजाय एक इंजीनियर इनचार्ज काम कर रहा है और एक क्वालिफाइड आदमी को रेजिडेंट इंजीनियर की हैसियत में रखने के लिये कोशिश की जा रही है।

*१६—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि मेरे अल्पसूचक तारांकित प्रश्न नं० १, दिनांक ३१ अगस्त, १९५४ से संबंधित पूरक प्रश्नों के उत्तर में उसके यह आश्वासन देने के बावजूद कि दो-तीन महीने में प्रबन्ध ठीक हो जायेगा, बिजली की सप्लाई अभी तक बदस्तूर नहीं हुई ?

श्री धर्मसिंह—२९ जून, १९५५ से एक दूसरा डीजेल सेट चालू हो चुका है और बिजली की सप्लाई पहले की तरह फिर बदस्तूर शुरू हो गई है और साथ ही साथ वहां पर बिजली पर से कंट्रोल भी हटा दिया गया है।

*१७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस दरमियान में दीवाली पर व्यापारियों व आम जनता के मुस्तकिल कनेक्शनों में करेंट न दिये जाने व आजकल शादियों में आम लोगों को बिजली न मिलने तथा शहर के काफी हिस्से में बदस्तूर अंधेरा रहने के कारण जनता को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिये उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह—दीवाली की रात को लोड बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से बड़ा बाजार व सिपरी बाजार के फीडरों को थोड़े से समय के लिये मजबूरन काट देना पड़ा था, क्योंकि पावर हाउस इतनी बिजली नहीं दे सकता था। हालांकि पिछले साल जून में पावर हाउस के ३५० के० डब्लू० डीजेल सेट के अचानक खराब होने से नार्मल बिजली सप्लाई में कमी करनी पड़ी थी। जहां तक सरकार को मालूम है यह ठीक है कि शहर के काफी भाग में बदस्तूर अंधेरा रहा और शादियों वगैरह के लिये बिजली नहीं दी गई। अब नया डीजल सेट चालू हो गया है और उपभोक्ताओं पर से रुकावटें उठा ली गई हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पावर हाउस में कब से रेजीडेंट इंजीनियर नहीं है ?

श्री धर्मसिंह—यह प्रश्न में बतलाया गया है कि १३ जनवरी, १९५४ से नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे रेजीडेंट इंजीनियर, जिसके बारे में कोशिश हो रही है नियुक्त करने में कब तक सफल हो जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह—कम्पनी से पत्र-व्यवहार हो रहा है और प्रार्थना-पत्र मंगाये गये हैं और आशा की जाती है कि अधिक समय नहीं लगेगा। प्रार्थना-पत्र आने पर उन पर कार्यवाही की जायगी।

श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्वालिफाइड इंजीनियर के लिये एडवरटाइजमेंट कराया गया था या नहीं, और अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह----कम्पनी से लिखा पढ़ी हो रही है कि वह क्वालिफाइड इंजीनियर का इन्तजाम करे। उन्होंने एडवरटाइजमेंट किया है और उसके आधार पर प्रार्थना-पत्र भी आये हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा----क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रश्न १६ के अन्तर्गत वह आश्वासनों की पूर्ति करती है ?

श्री धर्मसिंह----जो प्रश्न का उत्तर दिया गया था तो उसमें यह कहा गया माननीय मंत्री की तरफ से कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि दो-तीन महीने में ठीक हो जायगा। लेकिन चीजें चूंकि बाहर से आती हैं जिससे मुमकिन है वक्त ज्यादा लग जाय।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या यह सही है कि झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी जो झांसी पावर हाउस को मैनेज करती है उसकी आर्थिक दशा बहुत खराब है, और सरकार ने उसको ऋण भी दिया है ? इसके बावजूद वह काम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। अगर ऐसा है तो क्या सरकार ऋण वापस लेने की कोशिश करेगी ?

श्री अध्यक्ष----कई सवाल आप एक साथ कर रहे हैं। एक सवाल कीजिये।

श्री इस्तफा हुसैन----क्या यह सही है कि झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी जो झांसी पावर-हाउस को मैनेज करती है, उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बहुत की तो खबर नहीं। हां, पहले से खराब जरूर है।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या यह सही है कि झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी जिसने गवर्नमेंट को करजा दिया है, उसकी हालत खराब होने की वजह से जहां-जहां यह कम्पनी मैनेज करती है वहां से इस कम्पनी के खिलाफ शिकायतें आई हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अब दो वर्ष से तो कोई शिकायत आई नहीं।

श्री इस्तफा हुसैन--क्या यह सही है कि झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के खिलाफ गोरखपुर की पब्लिक और वहां के म्युनिसिपल बोर्ड ने सरकार के पास दरख्वास्तें इस बात की दी हैं कि उनको रोशनी जो सप्लाई होती है वह बहुत खराब है और दाम भी ज्यादा लिये जाते हैं, लिहाजा उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जहां तक दाम ज्यादा होने की शिकायत है वह तो गोरखपुर से क्या सभी जगह से आती है। एक आम शिकायत दामों की है। दूसरे किसी वक्त में वोल्टेज उसका कम हो गया था। उसकी शिकायत आई थी। वह ठीक करा दिया गया।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी रेलवे को बिजली देती है। यदि हां, तो कब से ?

श्री धर्मसिंह--इस तरह की कोई खबर नहीं है कि रेलवे को भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी बिजली देती है।

श्री गज्जूराम----क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी और बिजली कम्पनी से मालूम करेगी कि बिजली दे दी है रेलवे को या नहीं ?

श्री धर्मसिंह----जी हां। जांच करायी जायगी, उसके बाद बताया जायगा कि बिजली दी जाती है या नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम----क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसने उक्त कम्पनी को कितना रुपया कर्ज दिया है ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर के पद की समाप्ति की योजना

*१८—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस प्रांत में कितने सर्किल इन्सपेक्टर (पुलिस) रहे हैं और उनका पद समाप्त कर देने पर सरकार को क्या लाभ हुआ ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—इस प्रदेश में पुलिस के १६२ सर्किल इन्सपेक्टर हैं। इनके पद अभी समाप्त नहीं किये गये हैं।

श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पुलिस सर्किल इन्सपेक्टर के पद समाप्त करने की योजना उसके विचाराधीन है ? यदि है, तो कब तक कार्यान्वित की जायगी और क्यों कार्यान्वित की जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पुलिस सर्किल इन्सपेक्टर के पद को समाप्त करने की योजना सरकार के विचाराधीन है और इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये अभी हम थोड़ा प्रयोग कर रहे हैं। अगर उसको सफलता मिली तो उसको हम आगे बढ़ायेंगे। इस योजना को कार्यान्वित करने का कारण यह है कि जो सर्किल इन्सपेक्टर्स के कार्य होते हैं उनमें हमने देखा वह पूरे तौर से ठीक नहीं हो पाते। उसके स्थान पर कोई अधिक उपयोगी और कारामद योजना सरकार चलाना चाहती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—किस जिले में यह योजना प्रयोग के रूप में लायी जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी तक तो शुरू नहीं हुई। शुरू करने का विचार है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सर्किल इन्सपेक्टर अलग किये जायंगे उनका काम किस पुलिस कर्मचारी को दिया जायगा और उनको कौन सा स्थान मिलेगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो सारी बातें उसी योजना के विचाराधीन हैं।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार उस योजना की रूपरेखा इस सदन के सामने रखने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—अभी आप चाहते हैं या बाद में ?

श्री बलवन्तसिंह—जो यह सर्किल इन्सपेक्टरों को समाप्त करने और उनसे दूसरा काम लेने की योजना है, क्या सरकार उस योजना की रूपरेखा इस सदन के सामने रखने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। इसको उन्होंने बताया कि विचाराधीन है।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह योजना पूरे सूबे में लागू होगी या चन्द जिलों में ?

श्री अध्यक्ष—इसका भी जवाब दिया जा चुका है।

फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से जाली आदेश पर बंदियों की रिहाई

*१९—श्री अनन्तस्वरूपसिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से १२ बन्दी जाली आदेशों पर रिहा हो गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*२०—श्री अनन्तस्वरूपसिंह (अनुपस्थित)—अगर हां, तो क्या सरकार उक्त बंदियों का विवरण बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इनका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ ४०६–४०७ पर)

कुमायूं विकास बोर्ड निर्माण की आवश्यकता

*२१—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि कुमायूं विकास बोर्ड का निर्माण हो गया है ? अगर हां, तो इसका विधान क्या होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—प्रश्न के पहले भाग का उत्तर "जी नहीं" है। दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि यह कुमायूं विकास बोर्ड से संबंधित प्रश्नों का संबंध वन विभाग से क्या है ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे नहीं उठता है। सरकार तो एक है। यह तो आप जानते ही हैं। पूरक प्रश्न में किस विभाग से क्या संबंध है आप इसका सवाल नहीं कर सकते ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि कुमायूं विकास बोर्ड बनाने का निश्चय सरकार ने कर लिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसका तो मैं उत्तर दे चुका था कि अभी यह कुछ तय नहीं हुआ है, और चूंकि कुमायूं के विकास संबंधी मामलों पर मैंने एक कमेटी में जिसमें कि सब ही सरकारी अधिकारी विभागाध्यक्ष और कुछ सचिव थे और कोई गैर सरकारी सदस्य नहीं था वहां कुमायूं की विकास योजना को तैयार किया और इस कार्य को पूर्ण किया। इसका उत्तर फारेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, लेकिन चूंकि मैं उक्त कमेटी का संचालन कर रहा था और यह काम मेरे सुपुर्द किया गया था जिसको पूरा कर दिया गया इसलिये मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। अभी ऐसा कोई बोर्ड नहीं बना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी ने सरकारी तौर पर यह विचार प्रकट किया है कि कुमायूं या कुमायूं जैसे अन्य रीजनल क्षेत्रों के लिये विकास बोर्ड बनाये जाने की आवश्यकता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।

आनरेरी पेरोल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति

*२२—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हर जिले में आनरेरी पेरोल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो नियुक्ति व कार्य संबंधी नियम सदन की मेज पर रखने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—आनरेरी पैरोल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति हर एक कमिश्नर के केवल एक जिले में की गई है। उनकी नियुक्ति के संबंध में यह आदेश जारी किया गया था कि वे प्रभावशाली समाज सेवक एवं शिक्षित हों तथा उनकी समाज में प्रतिष्ठा हो। तालिका में लिखित कार्य उन्हें दिया गया है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ४०८ पर)

*२३—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले में इनमें से कितने हरिजन लिये गये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—कानपुर जिले में पेरोल मैजिस्ट्रेट नहीं नियुक्त किये गये हैं। अतः वहां हरिजनों की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर कुरील—प्रत्येक कमिश्नरी के वह कौन-कौन से जिले हैं जहां पर यह नियुक्तियां हुई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह तालिका तो आपके पास होगी।.

श्री मुरलीधर कुरील—तालिका में जिले नहीं दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—आपके पास नहीं है ?

श्री मुरलीधर कुरील—मिले नहीं।

श्री मुजफ्फर हसन—इसमें बनारस, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बिजनौर, नैनीताल, इलाहाबाद और फैजाबाद है।

श्री मुरलीधर कुरील—प्रांत के अन्य जिलों में कब तक यह नियुक्तियां की जायंगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—अगर इनमें कामयाबी होगी तो दूसरे जिले भी लिये जायेंगे।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन नियमों का जो कि तालिका में दिये गये हैं, सारांश क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—नियमों का तो मैंने कोई जिक्र नहीं किया, किन नियमों को आप कह रहे हैं ?

श्री रतनलाल जैन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन पैरोल मैजिस्ट्रेटों का कार्य क्या होगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—इनके सुपुर्द तीन-चार काम हैं। एक तो जिले के जो मुक्त कैदी हैं उनकी देखरेख करना और उनको फिर से बसाने में सहायता करना। दूसरे जहां आवश्यकता हो वहां यू० पी० प्रिजिनर्स रिलीज प्रोबेशन ऐक्ट तथा टिकट आफ लीव रूल्स के अन्तर्गत छोड़े गये कैदियों के संरक्षण का कार्य करना। तीसरे उपर्युक्त कैदियों के लिये योग्य संरक्षक तजवीज करना और चौथे जिलाधीशों को तजवीज किये गये संरक्षकों की उपयुक्तता के बारे में सलाह देना।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जिन जिलों में इन पैरोल मैजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां हुई हैं उनका चुनाव किस आधार पर हुआ, किनकी सिफारिशों पर नियुक्तियां की गईं ?

श्री मुजफ्फर हसन—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सिफारिश पर जो कि कमिश्नर के मारफत आई।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन मैजिस्ट्रेटों के शिक्षित होने से उनका क्या अभिप्राय है ? किस कक्षा तक उनको शिक्षित होना चाहिये ?

श्री मुजफ्फर हसन—शिक्षा के लिये कोई स्टैंडर्ड मुकर्रर नहीं हुआ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल बोर्डों के सदस्य भी पैरोल मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—यदि कोई ऐसा सवाल आयेगा तो उस पर विचार होगा।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन पैरोल मैजिस्ट्रेटों का स्टेट्स जुडिशियरी होगा या ऐक्जीक्यूटिव ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, न इनका स्टेट्स जुडिशियरी है और न ऐक्जीक्यूटिव। मैं आपकी इजाजत से एक मिनट के अन्दर समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है? हमारे यहां कई प्रोबेशन आफिसर्स हैं वे जिले के हैडक्वार्टर में रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि शहरी जो कैदी होते हैं उनके छूटने में तो आसानी होती है, पैरोल में आसानी होती है। लेकिन जो देहातों के रहने वाले कैदी होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, और आमतौर से यह रिपोर्ट आती है कि उनका कोई गारंटियन नहीं होता तो कैसे छोड़ा जाय? तो हर जगह स्टाइपेंड्री तनख्वाह देकर इतने आदमी रखना मुश्किल है। तो जिले में कुछ जो जिम्मेदारी थोड़ी अपने ऊपर लें कि हम इन कैदियों की देखभाल करेंगे तो इस बात का प्रयोग देहात में भी किया जा सके। शहर में तो प्रोबेशन आफिसर कहे जाते हैं। हमने बहुत गौर किया तो लोगों ने कहा कि देहातों में नाम के आगे "मैजिस्ट्रेट" लगा दिया जाय तो बहुत से लोग इस काम को लेने को तैयार हो जायेंगे। इतनी ही बात है और कुछ नहीं।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो स्कीम यह चलाई गई है इसमें कुछ सफलता के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—अभी तो शुरू की गई है। थोड़ा मौका मिले तो कुछ कहा जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतायेगी कि जिन जिलों के नाम बताये गये हैं उनमें किसी हरिजन को आपने सेलेक्ट किया है?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। हर जिले में हरिजन मैजिस्ट्रेट रखे गये हैं।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि जो अफसर आनरेरी प्रोबेशन मैजिस्ट्रेट के नाम से रखे गये हैं इसमें कामयाबी हो रही है और लोग सामने आ रहे हैं कि वे अपने आपको मैजिस्ट्रेट बनवायें?

श्री मुजफ्फर हसन—वह तो जवाब में दे चुका हूं हर जगह लोग नियुक्त हो गये हैं। लोगों ने अपने को पेश किया तभी तो उनको किया गया।

बस्ती जिले के बखिरा बाजार स्थित बीजगोदाम के लिये पक्के मकान की आवश्यकता

*२४—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बखिरा बाजार, जिला बस्ती के सहकारी संघ बीजगोदाम के पास निज का मकान है?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—जी नहीं। बीज भंडार एक किराये के मकान में स्थित है।

*२५—**श्री राजाराम शर्मा**—क्या बीजगोदाम के कच्चे मकान में सीलन के कारण गत वर्ष कुछ बीज खराब हो गया था?

श्री मंगलाप्रसाद—जी नहीं।

*२६—**श्री राजाराम शर्मा**—क्या उक्त गोदाम के भवन के लिये प्लानिंग विभाग से कुछ रुपया मंजूर हुआ था? यदि हां, तो मकान क्यों नहीं बना?

श्री मंगलाप्रसाद—जिला नियोजन समिति ने बीज भंडार के निर्माण के लिये केवल २,८०० रु० का ही अनुदान स्वीकृत किया था जब कि बीज भंडार के निर्माण कार्य में कम से कम ८,८५० रु० व्यय होने का अनुमान था। सहकारी संघ बखिरा के पास निजी कोष की कमी तथा अन्य संस्थाओं से ऋण की सामयिक व्यवस्था न हो सकने के कारण निर्माण-कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बतायेगी कि इन बीज गोदामों के निर्माण का काम बरसात के बाद शुरू हो जायगा ?

श्री मंगलाप्रसाद—बिल्कुल समय बताना तो मुश्किल है। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि दो साल के अन्दर जितने भी हमारे बीज भंडार हैं सूबे में वे सब पुख्ता हो जायेंगे।

श्री राजाराम शर्मा—क्या यह सही नहीं है कि प्लानिंग विभाग से पांच हजार रुपया मंजूर हुआ था ?

श्री मंगलाप्रसाद—जितना मंजूर हुआ था वह तो बता दिया कि २,८०० मंजूर हुआ था और खर्च होने वाला था ८,५००, इसीलिये नहीं हो सका।

सरकारी कर्मचारियों के शिक्षा संस्थाओं की परीक्षाओं में बैठने पर प्रतिबन्ध

*२७—**श्री भगवानसहाय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने कोई गश्ती चिट्ठी इस आशय की निकाली है कि सरकारी कर्मचारी अब से यूनिवर्सिटी तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के इम्तहानों में नहीं बैठ सकेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*२८—**श्री भगवानसहाय**—क्या सरकार उस गश्ती चिट्ठी की एक नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गश्ती राजाज्ञा सं० २०५६। २ बी। १९५४, दिनांक जुलाई १९,१९५४ मेज पर रखी गयी है जिसका खंड ७ इस प्रश्न से संबंध रखता है।

('देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ४०९-४१४ पर")

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी छोटे दर्जे के कर्मचारियों की तरक्की की बात को ध्यान में रखते हुये ऐसी कोई तजवीज करने की बात पर विचार करेंगे कि जो आदमी इम्तहान देना चाहता है उसको छुट्टी दे दी जाय ताकि वह छुट्टी लेकर इम्तहान दे सके।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—छुट्टी का सवाल तो खासतौर से सामने आया नहीं लेकिन, जहां तक तरक्की की बात है तो शिक्षा विभाग तो जरूर ऐसा विभाग है कि जिसमें जो लोग काम करते होंगे उनकी तरक्की आगे चलकर नयी डिग्री हासिल करने पर होती है, और शिक्षा विभाग में तो आम तौर से लोगों को इजाजत रहती भी है। लेकिन बाकी और विभागों में जो लोग काम करते हैं उनकी तरक्की प्रायः निर्भर भी नहीं करती इस बात पर कि वह कोई नयी डिग्री हासिल कर लें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से ऐसा आदेश सरकार को जारी करना पड़ा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दो तीन कारण हैं। एक तो यह कि इस बात का प्रबन्ध करना बहुत मुश्किल है कि जिन लोगों को लेक्चर वगैरह किसी कालेज या यूनिवर्सिटी में अटेंड करने हों, वह ऐसे वक्त में लगते हों कि जिस वक्त में उनके दफ्तर का काम न हो, इससे दफ्तर के काम में हर्ज होता है। दूसरे जिस आदमी को पढ़ना-लिखना है वह पूरे तौर से अपना समय यों भी नहीं दे सकता क्योंकि प्रायः उसका ध्यान दूसरी तरफ रहता है और वह ऐसा सोचता रहता है कि यहां से उठकर कब दूसरी जगह जाय। तीसरी बात यह भी है कि एक शख्स सरकारी दफ्तर में काम करता है, बहुत से किस्म के कागज पत्र उसके सामने आते रहते हैं और वह एक स्टूडेंट होकर दूसरों के बीच जाता है तो यह कहना कठिन है कि जितनी बातें उसके सामने आती हैं या उसको दफ्तर में जिन बातों को डील करना पड़ता है, उन बातों को वह उस तरह से गोपनीय रख सकेगा जिस तरह कि वह आदमी जो कि केवल दफ्तर में काम करता है ?

श्री बलवन्तसिंह—क्या इस चिट्ठी का असर लोकल बाडीज या एडेड संस्थाओं, जैसे स्कूल वगैरह हैं, उनके कर्मचारियों पर भी पड़ता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मैं जानता हूं नहीं पड़ता।

श्री भगवानसहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जहां पर नाइट स्कूल्स होते हैं या दर्जे सुबह को होते हैं, वहां पर उन जगहों के सरकारी कर्मचारियों को इम्तहानों में बैठने की आज्ञा वह प्रदान करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आज्ञा तो एक जनरल रूप में ही निकाली जा सकती है और जहां नाइट स्कूल्स हों भी, लेकिन जो दो तीन कारण मैंने बताये। नाइट स्कूल्स अगर हुये भी तो एक ही कारण का जवाब हो सकता है, बाकी और कारण तो रह ही जायेंगे।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी सरकारी कर्मचारियों की हिन्दी की योग्यता की आवश्यकता को देखते हुये इस कानून को हिन्दी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिये छूट देंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका तो कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। सवाल तो आमतौर पर पैदा हुआ जो कि बी० ए० और एम० ए० की डिग्री लेना चाहते हैं।

*२९-३१—**श्री श्रीचन्द्र**—[२२ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३२—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—[२२ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

सचिवालय के चपरासियों के लिये सरकारी क्वार्टरों की आवश्यकता

*३३—**श्री उमाशंकर**—क्या सरकार बता सकती है कि कितने चपरासियों को सरकार की ओर से रहने की जगह नहीं मिल सकी है ?

श्री धर्मसिंह—सचिवालय के ५०४ चपरासियों को सरकार की ओर से रहने की जगह नहीं मिल सकी है।

*३४—**श्री उमाशंकर**—क्या सरकार चपरासियों के निवास का कोई प्रबन्ध करने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—इस समय तो सचिवालय के चपरासियों के लिए निवास का प्रबन्ध करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकेंगे कि इस सचिवालय के कितने चपरासियों को जगह दी जा सकी है रहने की ?

श्री धर्मसिंह—२३८ चपरासियों को जगह दी जा सकी है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर यह बतायेंगे कि जिन ५०४ चपरासियों को रहने की जगह नहीं दी जा सकी है उनको कोई मकान का अलाउन्स दिया जाता है ?

श्री धर्मसिंह—जी, ऐलाउंस तो नहीं दिया जाता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार प्रदेश के चपरासियों को कोई हाउस अलाउन्स देने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह——इस समय तो कोई इस तरह का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो नयी हाउसिंग स्कीम्स शहरों में लागू होने वाली है उसका फायदा सेक्रेटेरियट के चपरासी उठा सकेंगे ?

श्री धर्मसिंह——अगर उस नियम मे आते होंगे तो उठा सकेंगे, अन्यथा नहीं ।

श्री रामदास आर्य——माननीय मंत्री जी उन चपरासियों को जिनको सरकारी तौर से स्थान नहीं मिला रहने के लिए, जब तक उनको सरकारी स्थान मिले उस वक्त तक उनको हाउस अलाउंस देने का विचार रखती है ?

श्री धर्मसिंह——इसका तो उत्तर दिया जा चुका है कि इस तरह का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री उमाशंकर——क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतायेंगे कि जिस तरह से काउंसिलर्स रेजिडेंस बनाया गया है उसी तरह से कोई चपरासियों के लिए रेजीडेंस बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष——मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं, यह उठता नहीं है । जवाब देने की तबियत हो तो आप दे दें ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——बराये नजरे करम यह फरमायेंगे कि उतना रुपया गवर्नमेंट को दिलाये तो जरूर बनाये जायेंगे ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)——क्या माननीय वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चपरासियों के मकान में कम खर्चे का ध्यान रखते हुए सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि उनके रहने के लिए मकान बनाये जायगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——मैंने तो अर्ज किया कि इस सरकार को रुपये की जरूरत है । हाउस रुपया देगा, जरूर बनाये जायेंगे । जो सूरत पेश करूंगा रुपये की उसे मंजूर किया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि नैनीताल जाने वाले सचिवालय के चपरासियों के लिये वहां कोई निवास का इन्तजाम नहीं है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——यहां भी नहीं, वहां भी नहीं ।

लखनऊ तथा कानपुर में कत्ल

*३५——**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ तथा कानपुर में १९५५ में कितने कत्ल हुये उनमें कितने केस चालान हुये तथा कितने सजायाब हुये ?

श्री जगनप्रसाद रावत——इस वर्ष जितने कत्ल हुये उनमें से लखनऊ में १७ केस और कानपुर में १६ केस चालान हुये । इनमें से केवल लखनऊ के एक केस में फैसला हुआ है जिसमें अभियुक्त बरी हो गया है । अन्य सब लखनऊ के मुकदमें व कानपुर के तमाम मुकदमें अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

श्री नेकराम शर्मा——क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि १९५५ में लखनऊ में और कानपुर में कुल कितने कत्ल हुये ?

श्री जगनप्रसाद रावत——सन् १९५५ में लखनऊ में २८ कत्ल हुये और कानपुर में २८ हुये ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो २८ कत्ल कानपुर में हुये हैं उनमें जूही हत्याकांड भी शामिल हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, जूही का भी कत्ल शामिल है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस हत्याकांड में कितने स्त्री और पुरुष मारे गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मेरे पास जो सूचना है वह कत्ल की तादाद की है कि कितने केस आये । आप किसी विशेष केस का अगर कुछ हवाला दें तो मैं बतला सकता हूं कि उसमें कितने मरे ।

श्री नेकराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, जितने मर्डर केसेज हुये उनमें जूही मार्डर केस बहुत महत्वपूर्ण हुआ है और माननीय मंत्री खुद भी कानपुर हो आये हैं....

श्री अध्यक्ष—आप मुझसे क्यों अपील कर रहे हैं, आप प्रश्न करिये ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जूही में जैन हत्याकांड हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उसमें कितने स्त्री और पुरुष मारे गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कानपुर में जो श्री जैन के यहां हत्याकांड हुआ उसमें दो लड़कियों और एक लड़के की हत्या हुई ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि इस कत्ल में कानपुर के एक पूंजीपति का हाथ था ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे उत्पन्न नहीं होता है । मुकदमा जब चल रहा है तो इस तरह के प्रश्न की मैं इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि लखनऊ और कानपुर में इतने अधिक कत्ल हुये हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता, हर एक के अलग-अलग कारण होंगे ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जूही हत्याकांड में कुछ लोग गिरफ्तार भी हुये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि स्वदेशी काटन मिल की एक कार इस सम्बन्ध में पकड़ी गयी है ?

श्री अध्यक्ष—जब मुकदमा अदालत में है तो उसके बारे में डिटेल्स आप नहीं पूछ सकते हैं ।

श्री नेकराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, अभी जांच हो रही है, अभी चालान नहीं हुआ है और एक उद्योगपति की मोटर भी पकड़ी गयी है ।

श्री अध्यक्ष—आप इन्फार्मेशन न दें, सवाल पूछें । माननीय गृह मंत्री कृपया इस प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री जगनप्रसाद रावत---एक मोटर पकड़ी गयी है ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि वह मोटर किसकी है और इस सारे केस में क्या कोई सी० आई० डी० नियुक्ति की गई है, जांच करने के लिये ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट आयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जो मोटर पकड़ी गयी है वह तो स्वदेशी काटन मिल के प्रोप्राइटर की बताई जाती है । जांच तो अभी पूरी नहीं हुई है इसलिये उसके सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

अलीगढ़ जिले में कत्ल

*३६---**श्री नेकराम शर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में सन् १९५४ तथा ५५ में जो कत्ल हुये उनमें से कितने चालान किये गये तथा कितने सजायाब हुये ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जिला अलीगढ़ में १९५४ में जो कत्ल हुए उनमें से २७, व सन् १९५५ में जो कत्ल हुये उनमें से १६ केस अभी तक चालान किये गये हैं । सन् १९५४ के ७ मुकदमों में और सन् १९५५ के दो मुकदमों में अभियुक्त इस समय तक दंडित हो चुके हैं ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि सन् १९५५ में कुल कितने केस कत्ल के हुये ?

श्री जगनप्रसाद रावत---१९५५ में कुल ३२ केस कत्ल के हुये ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि बाकी केसेज का चालान क्यों नहीं हो सका ?

श्री जगनप्रसाद रावत---बाकी केसेज में १३ की जांच हो रही है और तीन मामलों में पूरा सबूत न मिलने की वजह से उन पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच कितने दिनों से हो रही है और कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---कत्ल के मुकदमें की जांच जब तक कातिल जिन्दा रहता है की जाती है, चाहे उसमें कितने ही वर्ष लगें ।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या यह सही है कि बाकी के जितने मर्डर केसेज हैं, पुलिस उनको ट्रेस आउट नहीं कर सकी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जिस वक्त ट्रेस आउट कर लेगी उस वक्त वह अदालत के सामने पेश कर देगी ।

अलीगढ़ जिले के फरार डाकू

*३७---**श्री नेकराम शर्मा**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में कितने डाकू फरार हैं और कब से ?

श्री जगनप्रसाद रावत---डाके से सम्बन्धित कुल १० अभियुक्त फरार हैं । सन् १९४९ से २, सन् १९५० से १, सन् १९५१ से १, सन् १९५३ से १, सन् १९५४ से ३ तथा सन् १९५५ से २ ।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९४९/१९५५ में जो दो डाकू फरार हुये हैं उनके नाम क्या है और किस तहसील के रहने वाले हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--१९४९ में जो अभियुक्त फरार हुये हैं उनके नाम हैं भीमा और मित्तरसिंह, और १९५५ में रामगोपाल और हरप्रसाद ।

श्री अध्यक्ष--वह पूछना चाहते हैं किस जिले के हैं, अलीगढ़ के या आगरे के ।

श्री जगनप्रसाद रावत--यह तो अलीगढ़ जिले के ही हैं ।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि राम गोपाल जो फरार हुआ है उसके माता-पिता और दादी सब कांग्रेस के आन्दोलन में जेल गये थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--सम्भव है माननीय सदस्य की सूचना सही हो ।

कानपुर टेक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल में गिरफ्तारियां

*३८--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के टेक्सटाइल मजदूरों की हड़ताल में कितने मजदूर तथा मजदूर कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--५८४ मजदूर और ६० मजदूर कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किये गये थे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मजदूर और मजदूर कार्यकर्त्ताओं में से अभी तक कितने जेल में बन्द हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१८ ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह १८ मजदूर या मजदूर कार्यकर्त्ता कब तक रिहा कर दिये जायंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जब उनकी सजा की मियाद खत्म हो जायगी । उनमें १३ आदमी तो ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं उनकी बाबत मैं नहीं कह सकता, बाकी ५ आदमी मियाद खत्म होने पर छूट जायेंगे ।

श्री गेंदासिंह--उन लोगों को जिनको सजा हो चुकी है उनको सरकार माफ करने, या जो अंडर ट्रायल हैं उनपर मुकदमा न चलाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसे बहुत से मामलों पर विचार किया गया और जो छोटे-छोटे महज टैक्नीकल अपराध थे, जैसे १४४ का तोड़ना तो उनमें मुकदमे चलाने का हमारा ख्याल नहीं था । लेकिन जिन केसेज में वायलेंस हुआ है और उनमें सरकारी नियमों की ही पाबन्दी नहीं हुई है बल्कि दूसरों को नुक्सान पहुंचा है जैसे किसी पर तेजाब डाल दिया गया, उसमें हमारा खयाल ऐसा है कि रियायत करना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा ?

श्री जगन्नाथमल्ल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो अंडर ट्रायल हैं उन पर कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं ?

श्री अध्यक्ष--इसमें बहुत से आदमी हैं, मैं व्योरे से पूछने की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जितने मजदूर कार्यकर्त्ता और मजदूर गिरफ्तार किये गये उन गिरफ्तार किये गये मजदूर और मजदूर कार्यकर्त्ता में कितने के ऊपर मुकदमा चलाया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं इस वक्त ठीक नहीं बतला सकता ।

गोरखपुर सरकारी पावर हाउस की बिजली का वितरण

*३९—**श्री इस्तफा हुसैन**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर में सरकारी बिजली बनाने का जो पावर हाउस है उसमें कुल कितनी बिजली इस समय तैयार होती है ? और उसमें से कितनी नलकूपों के चलाने में लगती है, कितनी रेलवे को दी जाती है और कितनी खलीलाबाद और चौरी चौरा वगैरह में रोशनी देने में लगती है ?

श्री धर्मसिंह—गोरखपुर सरकारी पावर हाउस से इस समय कुल ३९५० किलोवाट बिजली तैयार होती है। उसमें से २१९६ किलोवाट नलकूपों के चलाने लगती है। ३६४ किलोवाट रेलवे, और ६०० किलोवाट खलीलाबाद और चौरी चौरा वगैरह को रोशनी के लिये दी जाती है।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या यह सही है कि एन० ई० रेलवे, गोरखपुर के पास एक पावर हाउस मौजूद है तो क्या उस सूरत में रेलवे को यह ३६४ किलोवाट बिजली न देकर गोरखपुर म्युनिसिपल बोर्ड और बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड को वह रोशनी दी जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—रेलवे के पास चूंकि शार्टेज था इसलिये उन्होंने बिजली ली। अभी तो उनका पावर हाउस नहीं बना है जब वह बना लेंगे तो यह बिजली रिलीज हो जायगी।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह ७९० किलोवाट बिजली जो शेष रह जाती है, उससे क्या सरकार गोरखपुर शहर वालों के लिये रोशनी का इन्तजाम करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कानपुर शहर में इस वक्त एक लाइसेन्सी है जिसकी बिजली वहां बन कर बटती है। जब तक वह लाइसेन्स खत्म नहीं होता तब तक गवर्नमेंट को खुद अपनी तरफ से वहां बिजली बेचने का अपने आप बना कर कानूनन हक नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एन० ई० रेलवे को जो बिजली सप्लाई की जाती है वह बल्क में सप्लाई की जाती है, और वह किस रेट से सप्लाई की जाती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस वक्त मैं रेट तो नहीं बतला सकता, लेकिन इतनी मिकदार में जो बिजली दी जाती है वह बल्क सप्लाई कहलाती है।

श्री शिवनारायण—क्या यह सही है कि इस पावर हाउस से बस्ती को भी बिजली सप्लाई की जाती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो जबाव में लिखा हुआ है और उसको यहां पर पढ़ा गया है।

श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बाकी बिजली शहरों को न देकर देहात और कस्बों को दी जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस बिजली को देने या न देने का सवाल इसमें नहीं है। तमाम उस एरिया के लिये बिजली का पावर हाउस बनाया जा रहा है, २-२॥ साल में वह तैयार हो जायगा तो फिर सब को मिल जायगी।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा करके बतायेंगी कि यह पावर हाउस जब ५६ के आखिर तक तैयार हो जायगा तो गोरखपुर स्टेशन के पास, जो पावर स्टेशन है वह और देवरिया का पावर स्टेशन तोड़ दिया जायगा या रखा जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर जरूरत पड़ने पर यह लाया जा सकता है ।

गोरखपुर में बिजलीघर का निर्माण

*४०--**श्री इस्तफा हुसैन**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो steam engine वाला पावर हाउस गोरखपुर में बन रहा है उसमें कब तक बिजली तैयार होने की आशा है, और वह बिजली क्या गोरखपुर शहर वगैरह में रोशनी देने में भी लगेगी ?

श्री धर्मसिंह--गोरखपुर का जो बिजली घर बन रहा है १९५६ के अन्त तक तैयार हो जायेगा । इस बिजली घर से जो बिजली पैदा होगी उसमें गोरखपुर, देवरिया और बस्ती के जिलों में रोशनी वगैरह के लिये बिजली दी जावेगी ।

प्रतापगढ़ जिले के पुलिस कर्मचारियों पर पुलिस ऐक्ट की कार्यवाही

*४१--**श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल**--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जिले में सन् १९५४ तथा जुलाई, १९५५ तक कितने पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ धारा ७ पुलिस रेगुलेशन की कार्यवाहियां की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--३३ पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ धारा ७ पुलिस ऐक्ट की कार्यवाहियां की गईं ।

अतारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद जिले के छिबरामऊ कस्बे को मैनपुरी शक्ति-गृह से बिजली देने पर विचार

१--**श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी** (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कसबा छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद को विद्युत-शक्ति देने का विचार वह रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कहां से ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां । छिबरामऊ नगर जिला फर्रुखाबाद का विद्युतीकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत "ग्रामीण नगरों का विद्युतीकरण योजना" में करने का विचार है, और विद्युत-शक्ति मैनपुरी शक्ति-गृह से उपलब्ध होगी ।

देहाती क्षेत्रों को बिजली देने की शर्तें

२--**श्री शिवकुमार शर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देहाती क्षेत्रों में प्रकाश के लिये बिजली देने के सम्बन्ध में क्या-क्या शर्तें और नियम सरकार ने बनाये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--देहाती क्षेत्रों में रोशनी के लिये बिजली दे दी जाती है यदि कन्ज्यूमर लाइन की पूरी लागत दे दे या हर साल उतनी बिजली खर्च करने की गारन्टी दे जितनी कि लाइन के लागत के ५० प्रतिशत के बराबर होती है ।

माताटीला विद्युत्-गृह से उत्पन्न बिजली की दर

३--**श्री गज्जूराम**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माताटीला बांध पर विद्युत उत्पादन का कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

नोट:--तारांकित प्रश्न ४० के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---माताटीला बांध व विद्युत उत्पादन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल है और अभी भारत सरकार के विचाराधीन है। कार्य शुरू होने पर विद्युत उत्पादन में करीब तीन साल लगेंगे ?

४---**श्री गज्जूराम**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माताटीला से उत्पन्न विद्युत का उपभोग कितने क्षेत्र में होगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---माताटीला विद्युत-गृह से उत्पन्न होने वाली विद्युत-शक्ति का उपयोग झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा जिलों में होगा।

५---**श्री गज्जूराम**---क्या सरकार बतायेगी कि माताटीला से उत्पन्न बिजली की अनुमानित दर जन-साधारण के लिये क्या होगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---अनुमान किया जाता है कि जन-साधारण को बिजली गंगा ग्रिड में लागू दर पर दी जावेगी।

कानपुर मे एलिगन मिल्स की तालाबन्दी से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---मेरे पास कामरोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी, श्री झारखंडे राय और श्री नारायणदत्त तिवारी ने भेजे है। उनका एक ही विषय है। मैं एक पढ़ देता हूं, श्री रामनारायण त्रिपाठी का, चूंकि वह पहले आया है।

"कानपुर में संकुचित अभिनवीकरण योजना के विरुद्ध चलने वाली ८० दिन की प्रसिद्ध हड़ताल की शान्तिपूर्ण समाप्ति के बाद मिल मालिकों द्वारा लगातार भंग किये जाने वाले वादों के प्रति लगातार ध्यान दिलाये जाने के बावजूद सरकार की उपेक्षा के कारण कल कानपुर की एलगिन मिल्स के मालिकों ने तालाबन्दी कर दी, जिससे ६,००० मजदूर बेकार हो गये हैं। इसका प्रभाव अन्य मिलों के मजदूरों पर भी पड़ने वाला है।

इस तालाबन्दी से उत्पन्न परिस्थिति पर वाद विवाद के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसके साथ-साथ मेरे पास कोई कागजात नहीं भेजे जिससे निश्चित हो सकता कि यह बात ऐसी हुई। मैं समझता हूं कि यह शायद अखबारी खबर के ऊपर ही इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा गया है, नहीं तो कुछ कागज कानपुर से कोई आया होता या कोई चाराजोई सरकार से की गयी होती। सरकार से इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है यह भी स्पष्ट होना आवश्यक है, जो स्पष्ट नहीं होता। ऐसी अवस्था में वाकयात की अनिश्चितता के कारण और सरकार से इसका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध है या नहीं है यह भी अनिश्चित होने के कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। हां, यह प्रश्न महत्व का प्रश्न हो सकता है, अगर यह वाकया सही हो। ऐसी अवस्था में माननीय श्रम मंत्री जी कोई वक्तव्य देना चाहें तो आज या कल दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि कल दें तो उचित होगा। क्योंकि आज एक दूसरा भी दुखद विषय सदन के सामने आने वाला है। तो वे कल वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल की हत्या पर शोकोद्गार

†**मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्य श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल की नृशंस हत्या का समाचार इस माननीय सदन को कल ही मिल चुका है। शुक्ल जी के सम्बन्ध में मैं क्या निवेदन करूं, जवान आदमी थे, अपने जिले के बहुत ही अच्छे कार्यकर्त्ता थे, इस समय भी जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री थे। सन् १९४२ के स्वतन्त्रता आन्दोलन में जेल भी जा चुके थे और कई सार्वजनिक संस्थाओं से उनका

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

सम्बन्ध था, एक अच्छे वकील थे। इस सदन के पेनल आफ चेयरमैन के सदस्य की हैसियत से आपकी अनुपस्थिति में कई बार वे इस कुर्सी पर बैठ चुके हैं, और मेरा ऐसा विश्वास है कि उन्होंने जिस योग्यता के साथ उन अवसरों पर अपने कार्यों का सम्पादन किया, उसके कायल इस सदन के सभी माननीय सदस्य रहे हैं। इस समय उनके वृद्ध पिता जीवित हैं, पत्नी है और चार बच्चे हैं। ऐसी अवस्था में मैं इसके सिवा और क्या कह सकता हूं कि हम सब को इस बात का घोर दुःख है, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब की सहानुभूति उनके कुटुम्ब तक पहुंचा दें, और परमात्मा से भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्गति प्राप्त हो।

मेरा ऐसा विश्वास है कि माननीय सदस्य यह भी जानना चाहते होंगे कि उनकी हत्या के सम्बन्ध में अब तक हमको क्या सूचना है? बहुत ज्यादा सूचना तो नहीं है, जो अखबार में सूचना आ चुकी है उससे अधिक मैं शायद ही कोई बात बतला सकता हूं। ११ बजे का समय था, वे अपने मकान से कचहरी के लिये जा रहे थे। मैंने वह जगह देखी तो नहीं है लेकिन ऐसा मालूम होता है कि उनके मकान और कचहरी के बीच में एक सुनसान सा मैदान पड़ता है जहां कोई मकान नहीं है, खाली मैदान पड़ा है। वहां दो व्यक्तियों ने जो बाइसिकल पर सवार थे, एक देशी पिस्तौल से उनके ऊपर गोली चलाई। तीन घाव उनके लगे, रान में और पेट में, थोड़ी ही देर में उनकी मृत्यु हो गई और डाक्टर भी वक्त से वहां नहीं पहुंच सके। जिन लोगों ने उन पर आक्रमण किया वह भाग गये लेकिन साइकिल उनकी वहां छूट गई। जो साइकिल मिली वह पहचानी गई, वह है श्री गौरीशंकर मिश्र की जो पास के ही देहात के रहने वाले हैं, वह गिरफ्तार हैं। उन्होंने बताया है कि वह साइकिल उन्होंने पास के गांव बटेटा के रहने वाले प्रयागबख्शसिंह को दे दी थी। प्रयागबख्शसिंह की तलाशी ली गई लेकिन वह और उनके साथी अभयराजसिंह दोनों फरार हैं। उनके रिश्तेदारियों में भी तलाश किया गया लेकिन वहां भी वह नहीं मिले। प्रयाग बख्श सिंह पहले से हिस्ट्रीशीटर भी हैं। इस वक्त तक की जांच पड़ताल का जो नतीजा है वह मैंने बता दिया, इससे ज्यादा सूचना देने में मैं असमर्थ हूं। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने निवेदन किया मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोगों का शोक और समवेदना उनके व्यथित परिवार तक पहुंचा दें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भगवती प्रसाद शुक्ल के सम्बन्ध में शायद यह माननीय सदन या मैं सुनने को भी तैयार नहीं था कि उनकी इस तरह से नृशंस हत्या होगी। जब हमें यह समाचार सुनने को मिला मैं अचम्भे में पड़ गया और विचलित भी हुआ, मैं स्वयं वहां गया और मैंने जो अवस्था उनकी देखी, जिस समय उनका पोस्टमार्टम हो रहा था उस समय मैंने वहां जाकर उनके शरीर के हालत को देखा। मैं बहुत ही परेशान और विचलित हुआ। इस तरह की हत्या और इतनी निर्दयता के साथ कोई ऐसे हंसमुख और मिलनसार आदमी को भी मार देगा, ऐसा जल्दी विश्वास नहीं होता। हमारा पिछले ३–४ वर्षों से उनसे सम्बन्ध रहा है, जहां तक उनके व्यवहार और मिलने-जुलने का सम्बन्ध है सभी उनके विषय में बहुत अच्छे विचार रखते हैं। वह जितने राजनैतिक कार्यकर्ता थे उससे कहीं अधिक लोगों का मित्र बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त था। हम भी ऐसा समझते थे कि वह हमारे मित्र हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनके विषय में जो प्रस्ताव किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और मैं भी आपसे अपने और अपने सब साथियों की तरफ से आग्रह करता हूं कि आप उनके परिवार के लोगों को सम्वेदना भेज दें। मुझे उनके परिवार के लोगों की याद आती है। कल मुझे लोगों ने बताया कि उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक साले थे जो रो रहे थे, पहले मैं नहीं जानता था बाद में लोगों ने मुझे बताया ? मैंने उनको धीरज बंधाया। हमने पूछा कि उनके परिवार में कौन-कौन लोग हैं ? मुझे बताया गया कि उनकी धर्मपत्नी हैं, चार-पांच बच्चे हैं जो बहुत छोटे-छोटे हैं और वही परिवार के अर्निंग मेम्बर थे। अब उन बच्चों की और उनकी धर्मपत्नी की किस तरह से गुजर हो सकेगी, यह बहुत पेचीदा प्रश्न है। ऐसी दशा में जो हमारी समवेदना है उसको हम शब्दों में नहीं रख सकते, और हम इस समय केवल इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि उनके परिवार के लोगों को हमारी तरफ से सम्वेदना भेजने की कृपा करें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो माननीय भगवतीप्रसाद शुक्ल की अकस्मात और दुखित तरीके से हत्या हुई उसके विषय में जो शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखा है उसका मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं। शुक्ल जी से जान पहचान करने का अवसर मुझे यहां इस सदन के सदस्य बनने के बाद ही प्राप्त हुआ और विशेषकर पिछले वर्ष जब वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सदस्य थे, उस अवसर पर उनसे विशेष परिचय प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस वर्ष भी इस सदन की जो रूल्स अमेंडिंग कमेटी है उसके भी वे सदस्य थे। वहां उनसे विशेष बातें करने का और विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर बहुत कुछ कहना कठिन है। इतना ही कह कर मैं बैठता हूं कि हमारी तरफ से शुक्ल जी के परिवार को हमारी पूरी-पूरी हमदर्दी है और आप से प्रार्थना है कि आप उसको उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

***श्री उमाशंकर मिश्र** (जिला बाराबंकी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले बाराबंकी के सम्मानित नेता श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल जी को लगभग १५ वर्ष से जानता हूं। उन्होंने १९४० से कांग्रेस में पूर्णरूपेण भाग लिया था। जिस समय सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा था, मैं अपने जिले के सत्याग्रह का संचालक था। उन्होंने उस जमाने में बहुत काफी सहयोग दिया। यहां तक कि उन्होंने गुप्त रूप से अपना पूरा मकान उस सत्याग्रह में काम करने के लिये मेरे लिये छोड़ दिया था। उसके पश्चात् १९४२ के आन्दोलन में वे मेरे साथ बाराबंकी जेल में थे। गत वर्ष वे जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री रहे। उनका जन्म बाराबंकी जिले के रामनगर ग्राम में श्री रामसेवक जी शुक्ल के यहां हुआ था। उनके दो छोटे भ्राता हैं। एक तो कानपुर में मुलाजिम हैं और दूसरे बाराबंकी में यूनियन के मंत्री हैं। उनकी धर्मपत्नी हैं और तीन छोटे लड़के हैं, और दो छोटी-छोटी लड़कियां हैं। श्रीमान् जी, यह इतनी दुखद अघटित घटना हुई है जो कभी न सुनी न देखी, वह देखने और सुनने में आयी। वही व्यथा उस समय की याद आती है जिस समय जनकपुर के दूत चित्रकूट में पहुंचे और उनसे कुशल प्रश्न पूछा जाने लगा तो उन्होंने कहा :---

"नाहिं तो कोशलनाथ के साथ कुशल गई नाथ।
मिथिला अवध विशेष के सब जग भयो अनाथ।।"

तो इस जगह भी वही परिस्थिति देखी !

कल जब यहां सवा बजे सदन का अवकाश का समय था मैं कांग्रेस पार्टी के आफिस की ओर चला गया था। वहां से जब वापिस आ रहा था तब रास्ते में सम्मानित नेता श्री सीताराम जी शुक्ल ने कहा कि "आपने कुछ सुना, आपके जिले के पंडित भगवतीप्रसाद जी शुक्ल को गोली मार दी गई" ! सुनते ही स्तम्भित हो गया। गुप्ता जी से पता लगाया तो मालूम हुआ कि फोन मिलाया जा रहा है और फोन अभी मिला नहीं है। उसके पश्चात् माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी से मिलने गया, वे घर पर नहीं थे चले गये थे। इसके पश्चात् मैं उपाध्यक्ष महोदय से मिला, उस समय तक कुछ नहीं मालूम हुआ। लेकिन तब तक श्री बाबू जगतनारायण जी मिले और उन्होंने बताया कि मैं अभी देख कर आ रहा हूं। वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उमाशंकर मिश्र]

११ बजे अपने मकान से कचहरी जा रहे थे। रास्ते में दो आदमी उनके पीछे-पीछे चले आ रहे थे। उन दोनों आदमियों ने पीछे से गोली मारी और जब वह गिर पड़े तब उन दोनों आदमियों ने उनके शरीर पर बहुत घोर आघात पहुंचाये। यहां तक कि उनका कान उखड़ सा गया था और उनका कान आधा कट गया था, उस जगह काफी खून बहा था। यह दुखद घटना है। इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर आपके द्वारा यह चाहूंगा कि उनके परिवार के प्रति हमारी और सदन के सब सम्माननीय सदस्यों की सम्वेदना पहुंचाई जाय। उनके परिवार के प्रति जो कुछ भी सरकार कर सके उसमें कोई कसर न रखी जाय। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शान्ति मिले।

श्री अध्यक्ष--श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल जी की नृशंस हत्या के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने जो अभी अपने विचार प्रकट किये और अन्य दलों के नेताओं ने इस सदन की ओर से, तथा जिले के माननीय सदस्य उमाशंकर जी ने भी जो भावनाएं व्यक्त कीं उन सबके साथ में अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। जब मैंने कल यह खबर सुनी मुझे अचानक ऐसा धक्का लगा कि शाम तक मुझे याद है कि मैं अपने दिल में एक कमजोरी सी महसूस करता रहा। मेरे दिल में कई भावनाएं उठीं, एक तो यह थी कि वे नवयुवक थे, देश भक्त थे, इतने मिलनसार थे और बड़े लोकप्रिय थे। ऐसे सज्जन की ऐसी नृशंस हत्या होना यह एक साधारण घटना नहीं है! और भी हमारे कुछ कार्यकर्ताओं पर इस बीच में आक्रमण हुए हैं लेकिन उनके लिये कुछ उनके स्वभाव की तीव्रता के बारे में कहा जा सकता था। किसी का स्वभाव तीव्र था या किसी के साथ कुछ झगड़ा था, किन्तु एक निरुपद्रवी, लोकप्रिय, मिलनसार और हमेशा हंसते हुए रहने का जिनका स्वभाव था--ऐसे सज्जन पुरुष की हत्या हो जाना उससे किसी भी व्यक्ति को बड़ा धक्का लग सकता है। समाज किस तरफ जा रहा है यह मेरे ध्यान में आया? जो समाज को सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं, मैंने यह सोचा कि जिन पर समाज की जिम्मेदारी है उन सब को इस बात पर विचार करना है कि एक ऐसी घटना हो जाना कोई साधारण बात नहीं है। समाज अवश्य इससे अस्वस्थ प्रतीत होता है और उसकी नैतिकता कुछ अधिक गिर रही है, यह भी मुझे इससे प्रतीत हुआ। इससे मेरे दिल पर ज्यादा धक्का लगा कि हम अवनति की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे सज्जन पुरुष की हत्या पर किसको शोक और दुःख न होगा, और किसको अपने समाज की अवस्था देख कर लज्जित न होना पड़ेगा। तो ऐसी घटना के उपर हम सब लोगों को शोक करना स्वाभाविक है और मैं इस सदन की ओर से अपनी हार्दिक समवेदना उनके कुटुम्बियों के प्रति भेजूंगा ही और मैं आशा करता हूं कि उनके कुटुम्बियों को जो कुछ सहायता होनी उचित होगी उसे जिनकी जिम्मेदारी होगी वे मुझे विश्वास है कि उनको सहायता देंगे। और मैं आशा करता हूं कि जनता भी ऐसे लोकप्रिय पुरुष के कुटुम्बियों के प्रति सहायता देकर अपनी संवेदना कार्यरूप में परिणित करेगी। मैं इस सदन की ओर से सम्वेदना को उनके कुटुम्बियों के पास भेज दूंगा। अब मैं सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि दो मिनट के लिये वे खड़े हो जायं और हम उनकी आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करें।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

†उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ खंड २* (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब गोवध निवारण विधेयक, १९५५ पर विचार जारी रहेगा।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)--अध्यक्ष महोदय, मैं कल श्री रणंजय सिंह के संशोधन के समर्थन में बोल रहा था और मैंने निवेदन किया कि इसी विधेयक में किसी चीज की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे आम व्यक्ति आसानी से उसे समझ सकें।

---

† ३१ मार्च, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

* ७ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

इस चीज को दृष्टि में रख कर अगर गो-मांस की परिभाषा देखी जाय तो उससे साफ़ मालूम होता है कि उसका वह हिस्सा जो "किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयात किया गया (इम्पोर्टेड) मोहरबन्द पीपों (कंटेनर्स) में रखा हुआ गोमांस नहीं है।" यह बिल्कुल निरर्थक मालूम होता है। कोई इसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। केवल इतना ही कह देना कि गोमांस का तात्पर्य गो के मांस से है यह काफी है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि मोहरबन्द पीपों में रखा हुआ गोमांस यदि गोमांस नहीं है तो क्या चीज है ? इस प्रकार की परिभाषा बिल्कुल रिडंडेंट है। इस वास्ते मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि "किन्तु" से लेकर "गोमांस नहीं है" जैसा कि माननीय रणंजयसिंह ने अपने प्रस्ताव में पेश किया है निकाल दिया जाय। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इसके रहने से इसका असर बहुत खराब पड़ेगा। मैंने देखा है कि रेलवे स्टेशनों पर जहां यूरोपियन ढंग का खाना दिया जाता है वहां आजकल सब जगह यह लिखा हुआ है "नो बीफ़"। उसके माने यह होते हैं कि यहां पर गोमांस किसी को नहीं दिया जाता है। और अगर यह परिभाषा गोमांस की जैसी कि विधेयक में दी हुई है कायम रही तो मुझे आशंका है कि वे व्यापारी जो कि रेस्टारेंट स्टेशनों पर खोले हुए हैं उस अपनी नोटिस को निकाल देंगे और गोमांस की बिक्री पहले से और अधिक शुरू हो जायगी। तो अन्ततः और भी खराब अर्थ इससे निकलेगा और जो माननीय मंत्री जी की आशंका है कि यह संविधान की कुछ धाराओं के प्रतिरोध में है, उससे उसमें कुछ अड़चन पड़ रही है तो मैं यह समझता हूं कि अगर आखीर का हिस्सा निकाल दिया जाय तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रणंजयसिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि चूंकि समय कम है इस वजह से माननीय सदस्य थोड़ा समय लें तो अच्छा है। इसको आज समाप्त करना है।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमान्, श्री रणंजयसिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है मेरी राय में वह ठीक मालूम होता है। मैं उसके लिये यह तर्क पेश करता हूं कि यदि परिभाषा को सुन्दर बनाना हो और संविधान बाधक न हो तो परिभाषा सुन्दर ही होनी चाहिये। आपने जो गोमांस की व्याख्या के लिये परिभाषा बनायी है उसमें "किन्तु" लगा कर उस परिभाषा को सुन्दरता से हीन कर दिया है। यदि आप यह कहें कि संविधान की दृष्टि से वह शब्द परिभाषा में आवश्यक है तो आगे जो अपवाद हैं वह बने रह सकते हैं। संविधान के कारण जो कमी है या संविधान की दृष्टि से इसको आवश्यक मानते हैं तो वह अपवादों के रहने से काम चल सकता है। इसलिये मेरी राय में ये शब्द निकाल दिये जायं और आगे अपवादों को बना रहने दिया जाय तो भी संविधान का कार्यक्रम पूरा हो सकता है।

श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन यहां पर प्रस्तुत किया है इसके ऊपर यहां पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। मुझे वास्तव में वही बात खटकती है जैसा लिखा हुआ है कि गोमांस का तात्पर्य केवल उसी से है जो टिन के डिब्बों में बन्द न हो। तो इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि मुहरबन्द पीपों में रखे हुये गो मांस को भी गो मांस ही समझा जाय। जैसा कि माननीय बेचनराम गुप्त जी ने कहा कि यदि वह गोमांस नहीं रहता तो वह रहता ही क्या है ? यदि टिन में बन्द होने से वह गोमांस नहीं रहता तो वह क्या रहता है ? इसलिये मुझे इस शब्द पर अधिक आपत्ति है और मैं चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें और विचार करके मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें। जैसा कि माननीय दीनदयालु जी शास्त्री ने कहा है कि यदि कोई संविधान का झगड़ा पड़ता है तो मैं सोचता हूं कि इन शब्दों को मान लेने से भी कोई कठिनता नहीं पड़ती। मैंने जब पहले पहल इस गोरक्षा के प्रश्न को यहां उठाया था, और जब मुझे आश्वासन दिया गया था तो उस समय मैंने कृषि और जन स्वास्थ्य की बात को लेकर ही गोरक्षा का प्रश्न उठाया था। यह बिल जो बनाया गया है वह गो संवर्द्धन समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है और उस आश्वासन के आधार पर है कि जो मुझे १९५२ में दिया गया था। उस समिति के प्रतिवेदन

[श्री रणंजयसिंह]

में यह कहीं भी नहीं आता कि गो मांस की बिक्री किसी तरह भी होगी। और मैं यह भी जानता हूं कि यह बिल जो बनाया गया है वह उस प्रतिवेदन के केवल एक अंश को लेकर ही बनाया गया है उसमें केवल गोवध निवारण की बात को लेकर यह बिल बनाया गया है। दूसरी बातें दूसरे विभागों के द्वारा और दूसरे ऐक्टों के द्वारा अमल में लाई जा रही है। मैंने इन सब बातों को सोचा है, मैंने बहुत विचार किया। अगर कोई मामूली बात होती और अधिक आग्रह करने की आवश्यकता न होती तो मैं इसको वापस ले लेता, लेकिन इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, जैसे मद्य के लिये निषेध है कानपुर में। वहां पर हवाई जहाज से कितने ही विदेशी आते होंगे, वह मद्य लिये रहते हैं या नहीं लिये रहते इसके लिये न तो मद्य निषेध अधिनियम में कोई बात आई होगी और न वहां कोई जांच होती होगी और इसलिये मैं इसको अधिक आवश्यक नहीं समझता कि यह शब्द यहां रखे जायं। स्पष्ट है कि यहां पर गोबध निवारण करना है और जब वह किया जायगा तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब गोबध ही नहीं होगा तो गोमांस कहां से आयेगा? आपने अपने प्रांत में अभी गोबध पर निषेध लगाया है लेकिन दूसरे प्रांतों में जहां गोबध निषेध नहीं है वहां से वह आ सकता है और यह शब्द रखने से दूसरे प्रांतों से आकर यहां गोमांस बिकेगा और उससे खाने वालों की रुचि में वृद्धि होगी और वह हिंसा करेंगे। इसके लिये उनकी प्रवृत्ति होगी और वह छिप कर हिंसा करेंगे। यह तो इतना सुन्दर विचार है कि यदि इस पर किसी को आपत्ति हो तो मैं समझता हूं कि यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो ऐसी सूरत में मैं सदन का अधिक समय न लेता हुआ केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि माननीय कृषि मंत्री जी इस बात पर विचार कर लें और इन शब्दों को निकाल दें। मेरे और दूसरे मित्रों ने भी इस पर आपत्ति की है और कहा है कि इनको निकल जाना चाहिये तभी ठीक होगा। यदि यह होता कि मुहरबन्द पीपों वाले गोमांस को वर्जित न समझा जायगा तब भी कुछ बात होती, लेकिन इसमें तो यह है कि "आयात किया गया मुहरबन्द पीपों में रखा हुआ गो मांस नहीं है"। और मैं समझता हूं कि यह जरूर खटकता है और इसलिये मैं अन्त में अधिक समय न लेकर यही निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी सदन को यह सुझाव दें कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरमीम के संबंध में जितने महानुभावों ने और माननीय सदस्यों ने व्याख्यान दिये मैंने उन सबको समझने की कोशिश की, और हमारे मित्र दीनदयालु शास्त्री जी ने भी जो बात कही उस पर भी मैंने ध्यान पूर्वक विचार किया। उन्होंने शायद यह कहा है कि अगर यह निकाल दिया जाय तथा अपवाद दफा ५ का जो है वह रखा जाय तब भी कोई अड़चन पड़ती नहीं है। लिहाजा यह निकाल दें और तरमीम मान ली जाय। इसमें मैं यह यह समझता हूं कि शास्त्री जी तथा अन्य सदस्यों ने अपवाद के प्रिंसिपल को रिकग्नाइज किया है। यानी एयर क्राफ्ट और रेलवे के जो बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं उनके लिये अलाऊ किया जाय।

श्री दीनदयालु शास्त्री—संविधान के खातिर?

श्री हुकुमसिंह—जी हां, और मेरी गरज से थोड़े ही? और अभी कल हमारे भाई शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी ने एक ऐसी ही तरमीम पेश की थी। उन्होंने लिखा था कि फारेन यात्रियों के लिये अलाऊ किया जाय और बहुत से माननीय सदस्यों ने उस तरमीम की ताईद की भी थी, काफी ताईद की थी। तो उससे मुझ पर यह इम्प्रेशन हुआ कि उस सिद्धांत को भी सदन मान रहा है, और जब मैंने यह कहा कि खाली बाहरी यात्रियों के लिये किया जायगा तो डिस्क्रिमिनेशन होगा लिहाजा वह तरमीम वापस ली जाय, लिहाजा चतुर्वेदी जी ने वापस ली। इन वाकयात से मेरे ऊपर यह इम्प्रेशन है और सही है कि एयर क्रैफ्ट और रेलवे के जो बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं उनके लिये जो प्रतिबन्ध रखा गया है उससे यह सदन सहमत है या बहुत से सदस्य सहमत मालूम होते हैं। अगर यह सिद्धांत ठीक है, और जैसा शास्त्री जी ने कहा कि अपवाद

रखा जाय लेकिन यह निकाल दिया जाय तो मैं यह कहता हूं कि अगर यह टिन वाला किस्सा निकाल दिया जाय तो उन्हें सप्लाई करने के लिये क्या आप इस बात को पसन्द करेंगे कि खुला हुआ गौ मांस ऐरोड्रोम पर और रेलवे स्टेशन पर जाय ? मैं समझता हूं कि इसको कोई पसन्द नहीं करेगा, यह दिक्कत सामने पड़ेगी। तो ऐसी सूरत में जब इस सिद्धांत को मानेंगे तो इस डैफिनिशन में भी टिन कर रखना निहायत ही जरूरी है वरना फिर हमको खुले आम बेचने की इजाजत देनी पड़ेगी।

श्री दीनदयालु शास्त्री--उस अपवाद में बन्द पीपे कर दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह--तो फिर उसमें यह होगा कि टिन से निकले तब गो मांस होगा जब तक नहीं निकलेगा तब तक गोमांस नहीं होगा, इसलिये इस डैफिनिशन की जरूरत है। इसलिये मैं कहता हूं कि कुंवर साहब की तरमीम बहुत घातक होगी और इस विधेयक के आबजेक्ट्स को बहुत हद तक हानि पहुंचाने वाली तरमीम है। इसलिये जैसा कल भी कुंवर साहब ने कहा कि जो मुनासिब बात होती है उसे मैं मानता हूं, और वे हमेशा मानते भी हैं माकूल बात को। इसलिये मुझे फिर भी उनसे यह कहने के लिये साहस होता है कि कृपा करके ऐसी तरमीम को वापस ले लें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि धारा ५ में ४९ वें नम्बर पर एक तरमीम है कि ट्रांसपोर्ट की सिवा मेडिसिनल परपजेज के लिये इजाजत दी जाय अन्यथा किसी को कहीं भी ट्रांसपोर्ट की इजाजत नहीं दी जायगी। तो ऐसी सूरत में जब ट्रांसपोर्ट भी बन्द है और वह अपवाद रहना अनिवार्य है तो यह डेफिनिशन, टिन का रखना भी अनिवार्य मुझे प्रतीत होता है इसलिये मैं कहता हूं कि कुंवर साहब कृपा करके अपनी तरमीम को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष--(श्री रणंजयसिंह को संबोधित करते हुये) क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री रणंजयसिंह--जी नहीं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि "खंड २ के उपखंड (क) की पंक्ति १ के शब्द "है" तथा शब्द "किन्तु" के बीच का अर्ध विराम हटा कर उसके स्थान पर पूर्ण विराम रख दिया जाय और उसके बाद का वाक्यांश निकाल दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (क) की पंक्ति २ में शब्द "उत्तर प्रदेश" से लेकर पंक्ति ४ के शब्द "नहीं है" तक निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "ऐसे गोमांस नहीं हैं जो मुहरबन्द पीपों (containers) में बन्द किया हुआ उत्तर प्रदेश में आयात किया जाय" रख दिये जायं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पर ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत हो। यह जो इस वक्त मौजूदा परिभाषा है वह ऐसे ही शब्दों में रही तो इसका अर्थ यह होगा कि मांस आयात कर लिया जाय और उसके बाद यहां मुहरबन्द कर लिया जायगा। अगर मेरा संशोधन मान लिया जाय तो मुहरबन्द पीपों का आयात करना उसका अर्थ होगा और मांस का आयात करना नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस तरीके से ठीक होगा और माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री हुकुमसिंह--मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे मैं सहमत नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष--आप संशोधन के बारे में कह रहे हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जी हां। संशोधन के बारे में जो संशोधन किया गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। कारण यह है कि इन्टरप्रिटेशन जब कानून का होता है तो इंटरप्रिटेशन ऐसा ही होना चाहिये जो कि यह सदन चाहता है या जो माननीय मंत्री जी चाहते हैं। जहां तक मैं समझता हूं सरकार इस विधेयक के द्वारा यह चाहती है कि इस प्रदेश के बाहर से जो गो मांस टिन के अन्दर बन्द होकर के मुहरबन्द हो कर के आये, वह गो मांस नहीं माना जायगा। तो ऐसा अनुमान कल की बहस से निकलता था कि जब तक वह बन्द है तब तक वह गोमांस नहीं है जब वह खुलेगा तो गोमांस हो जायगा। यही बात आज माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में भी कही कि जब तक वह बन्द है तब तक गोमांस नहीं है, खुलने पर गो मांस हो जायगा। जब तक वह बन्द है उस अवस्था में तो जहां भी चाहे ले जाया जा सकता है लेकिन खुलने पर तो वह वायुयान और ट्रेन पर ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे भोजनार्थ प्रस्तुत करना हो, चाहे बेचना हो। इस परिभाषा में मुझे शंका यह है कि जब यह लिखा जायगा कि 'ऐसा गोमांस गोमांस नहीं है जो मुहरबन्द पीपों में बन्द किया हुआ उत्तर प्रदेश में आयात किया जाय' तो जो गोमांस मुहरबन्द पीपों में आयात किया जायगा वह गोमांस है ही नहीं, अब वह खुल जायगा तब भी गोमांस नहीं होगा। इसका इन्टरप्रिटेशन माननीय अध्यक्ष महोदय, यही हुआ कि ऐसा गोमांस नहीं है जो मुहरबन्द पीपों में बन्द किया हुआ उत्तर प्रदेश में आयात किया जाय अर्थात् जो भी मुहरबन्द पीपों में आयात किया जायगा वह गोमांस नहीं होगा। बिलकुल साफ मतलब यही इससे निकलता है कि वह गोमांस जो मुहरबन्द पीपे में आया है वह गोमांस है ही नहीं। यह नहीं कि जब तक वह बन्द है तभी तक नहीं है बल्कि वह खुलने के बाद भी गोमांस नहीं रहता है, क्योंकि वह मुहरबन्द पीपे में आयात किया गया है। इसलिये जब वह खुल जायगा तब भी गो मांस नहीं रहेगा। यानी स्पष्ट है कि ऐसा गोमांस गोमांस नहीं है जो मुहरबन्द पीपे में बन्द किया हुआ उत्तर प्रदेश में आयात किया जाय। पहली परिभाषा में यह था कि "किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयात किये गये मुहरबन्द पीपों में रखा हुआ गोमांस नहीं है"। इसका इंटरप्रिटेशन तो यह निकलता था कि जब तक कि वह मुहरबन्द है तब तक गोमांस नहीं है। हालांकि इसमें भी मुझे शंका थी, मैंने माननीय सदस्यों से बात की कि कहीं मैजिस्ट्रेट इसका यह इंटरप्रिटेशन न लगाने लगें कि मुहरबन्द पीपे में आया है तो गोमांस नहीं है, तो खुलने पर भी नहीं है। लेकिन फिर भी उसमें यह बचत थी कि इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयात किये मुहरबन्द बन्द पीपों में रखा हुआ गोमांस नहीं है, तो मुहरबन्द पीपे से निकला नहीं कि हो गया! लेकिन इस संशोधन से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा गोमांस नहीं है जो मुहरबन्द पीपों में आयात किया जाय। तो जो आयात किया जाय वह गोमांस नहीं है, वह चाहे खुला रहे चाहे वैसे ही रखा जाय। तो बन्द रहे तभी तक गोमांस नहीं है, यह भाव बिलकुल नष्ट हो जाता है ....

श्री अध्यक्ष---आपने बहुत स्पष्ट कर दिया।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---तो इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन जो वास्तविक हमारी इच्छा है, जो विधेयक की इच्छा है उसके बिलकुल बरअक्स पड़ता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसे स्वीकार करना उचित नहीं मलूम पड़ता है।

श्री हुकुमसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र की बात सुनी और मैं कोई जिद करके कोई बात करना नहीं चाहता। अगर यह संशोधन स्थगित कर दिया जाय तो इस पर मैं लीगल डिपार्टमेंट की ऐडवाइस ले लूं।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि जब तक वह बन्द रहेंगे तब तक गोमांस नहीं कहलायेगा और खुलने पर हो जायगा। यह चीज़ रहेगी अगर इसे स्वीकार किया जाय।

श्री हुकुमसिंह---हमारा खयाल तो यही है लेकिन फिर भी मैं लीगल डिपार्टमेंट से कंसल्ट करने के बाद कहूंगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री---श्रीमन्, इसमें भाषा की गलती है "ऐसे गोमांस से नहीं है" ऐसा होना चाहिये। पहले बहुवचन है, पीछे एक वचन दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष---यह गलती से हो गया है। "ऐसे गोमांस से नहीं है" यही होना चाहिये इसको फ़िलहाल स्थगित किया जाता है।

श्री रणंजयसिंह---श्रीमान् जी, एक प्रार्थना करूंगा कि यहां पर एक दुखद दुर्घटना हो गयी जिसके कारण सदन का समय कल एक घंटे कम हो गया, आज भी प्रातःकाल आधा घंटा इसमें और कम हो गया। अपने इस विधेयक के लिये साढ़े तीन दिन निश्चित किये थे, उसके विचार के लिये?

श्री अध्यक्ष---तो इसके लिये मैं निर्णय देता हूं इस विषय में क्योंकि आधा दिन दो घंटे होते हैं यानी ४ घंटे का दिन माना जाता है। हिसाब से डेढ़ घंटा जो हमारा कुल मिलाकर जाया हो चुका है इसलिये जब कि यह विधेयक पहिले ३ बजे समाप्त होता, उसके बजाय साढ़े चार बजे इसको हम समाप्त करेंगे और साढ़े चार बजे समाप्त करने के लिये यह तजवीज़ है कि साढे तीन बजे तक तो बहस इसके ऊपर चलेगी, फिर जो संशोधन रह जायगे उन्हें देख लूंगा। अगर आधे घंटे में समाप्त हो सकते हों तो ४ बजे तक बहस हो जायगी, लेकिन अगर देखूंगा ज्यादा है तो साढ़े तीन बजे समाप्त करके बाकी जितने संशोधन रह जायेंगे उनके ऊपर सिर्फ राय ले लूंगा और इस तरह से कार्य समाप्त होगा।

साढ़े चार बजे यह समाप्त हो जायगा उसके बाद आधा घंटा रहेगा उसमें दूसरा विधेयक ले लिया जायगा। वह अगर आज समाप्त हो जाय तो ठीक है वरना उसके लिये बाद में थोड़ा समय किसी दूसरे रोज दे दिया जायगा।

तो "क" के संबंध में यह संशोधन समाप्त कर दिये जाते हैं। अब उपखंड "ख" के संबंध में है।

(श्री उमाशंकर के खड़े होने पर)

आप १४--ख पेश करना चाहते हैं?

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---जी हां। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) की पंक्ति १ में शब्द "गाय" तथा शब्द "के" के बीच में शब्द "भैंस" बढ़ा दिया जाय।

श्रीमन्, मंत्री जी का यह जो पाणिनि का सूत्र है इसको कल ही से देख रहा हूं, मगर अफ़सोस यह है कि इस सूत्र का भाष्य हाई कोर्ट करती है, माननीय मंत्री जी के हाथ में भाष्य करना नहीं है। जो उद्देश्य है विधेयक का उसमें मंत्री जी ने बताया है कि यह बिलकुल आर्थिक उद्देश्य है। उन्होंने कहा है कि गायों के मारने से बैलों की कमी होती है, खाद की कमी होती है, दूध की कमी होती है। हम जब इस विधेयक के उद्देश्यों पर गौर करते हैं तो ईमानदारी यह तकाज़ा करती है कि इन प्रश्नों पर पूरा विचार किया जाय कि दूध की कमी, खाद की कमी और दूसरे जानवर जो खेती में काम करने वाले हैं उनकी कमी कैसे पूरी होगी, तब बलात भैंस की ओर ध्यान चला जाता है। आज जितना दूध गायें दे रही हैं वह मुल्क की आवश्यकता के लिये बहुत थोड़ा है। भैंस जो दूध दे रही है उससे भी कमी पूरी नहीं हो रही है, जरूरत और ज्यादा है। गो संवर्द्धन कमेटी ने भी इसको महसूस किया है कि दुधारू मवेशियों की अभी बहुत ज्यादा देश में कमी है क्योंकि सब जवान मर्द और औरतें अगर दूध पीना बन्द कर दें, केवल बच्चों को ही दिया जाय तो पाव भर के हिसाब से भी हर बच्चे को दूध नहीं मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष---जो संशोधन आपने दिया है उसका अर्थ तो यह हो जायगा कि गाय और भैंस के अन्तर्गत सांड़, बैल, बछिया तथा बछड़ा हो। तो आप "गाय" और "के" के बीच में अगर "भैंस" जोड़ेंगे तो यह निरर्थक हो जाता है। मैं इसकी इजाज़त नहीं देता हूं इस शक्ल में। या तो आप इसकी शक्ल बदलिये या इसको वापस लीजिये।

श्री उमाशंकर--तो मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उमशंकर---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) की पंक्ति १ के शब्द "बछड़ा" के बाद शब्द "भैंस तथा भैंस का बच्चा" बढ़ा दिये जायं। तो उद्देश्य की पूर्ति महज गाय के बध को बचाने से नहीं हो रही है। इसलिये मैं इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह स्वतंत्र होकर विचार करे जब कि विधेयक का उद्देश्य है खेती में ज्यादा पैदावार हो, खेत में काम करने वाले मवेशी पैदा हों और दूध खास तौर से ज्यादा पैदा हो, तब तो भैंस को हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, और हम वहीं पहुंच जाते हैं कि हमारे पास दूध देने वाले जानवर कितने हैं। मैंने तो बहुत दब कर यह संशोधन रखा है बल्कि हमें तो यह रखना चाहिये था कि दुधारू मवेशियों का वध न किया जाय, लेकिन हमने केवल भैंस को ही रखा है। क्योंकि यही जानवर हमारे प्रान्त में दूध देने वालों में खास स्थान रखता है, इसके बाद दूसरा स्थान गाय का है। चाहे जमुनापारी और गंगातीरी गाय ज्यादा दूध देती हो लेकिन यदि सारे सूबे में आप देखें तो मालूम होगा कि भैंस का स्थान दूध देने वालों में सबसे प्रधान है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में भैंस का नाम जरूर रखा जाय। भैंस के मारने से भी उतना ही प्रतिबन्ध होना चाहिये जितना प्रतिबन्ध गाय के मारने में है। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संशोधन पेश हों और माननीय सदस्यों को विचार प्रकट करने का मौका मिले। एक बार फिर मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर सच्चे दिल से उनकी राय है कि दूध बढ़े और खेती में काम करने वाले जानवरों की बढ़ोत्तरी हो तो भैंस और उसके वंशज को बध होने से जरूर रोका जाय।

श्री हुकुम सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र को बतलाना चाहता हूं कि जो बात मैं कहता हूं सच्चे दिल से कहता हूं और वही करता हूं। यह दूसरी बात है कि मेरी राय उनसे न मिलती हो। जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है यह विधेयक के स्कोप के बाहर है। यह विधेयक गोरक्षा की नीयत से रखा गया है। इसको मैं कई बार दुहरा भी चुका हूं और इस जानिब पहला प्रयास है। इसमें मैं भैंस और उसके बच्चों को जोड़ना नहीं चाहता हूं इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उमाशंकर जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इसके जवाब में जो मंत्री जी ने दिया है उसको सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई क्योंकि उन्होंने कहा कि इसलिये इसको पेश किया गया है कि गाय के वंश का नाश न हो! लेकिन जो विधेयक पेश किया गया है उसके उद्देश्य पर यदि मंत्री जी ध्यान देंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि दूध की कमी को पूरा करने के लिये और उसके साथ साथ खेती बारी के काम को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिये और उसको क्षति न होने देने के लिये इस विधेयक को आवश्यक समझा गया, इसलिये इसको प्रस्तुत किया गया है।

श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उससे उनकी जानकारी भी है। आज अपने देश की जो हालत है उसको देखते हुये हम महसूस करते हैं कि अपने प्रान्त में मवेशियों की संख्या बहुत कम है और उपयोगी मवेशियों की तो बहुत ही कम है। आज हमारे देश में एक आदमी के लिये औसत दो छटांक दूध का पड़ता है। आज हमारे देश में यदि १९५१ की गणना के अनुसार हिसाब लगाया जाय तो ५० आदमियों पर एक मवेशी पड़ता है। आज हमारे देश में, जो खेतिहर प्रसिद्ध देश है इसमें हल चलाने वाले मवेशियों की संख्या करीब डेढ़ करोड़ है। श्रीमन्, इन परिस्थितियों को देखते हुये

आज यह महसूस हो रहा है कि ऐसे मवेशी जो खेती के काम आ सकते हैं या दूध में बढ़ोत्तरी कर सकें उनको आगे बढ़ायें और उनकी नस्ल का सुधार करें।

श्रीमन्, हमारे इस पूरे देश में ५१ की गणना के अनुसार भैंसों की संख्या ४३५ लाख के करीब है जो कि अपने प्रदेश में करीब ५६ पर एक मवेशी पड़ता है। उनकी तादाद उनके बच्चों को मिला कर, करीब आधा करोड़ के आती है। तो फिर अपने प्रान्त में अगर भैंसों की संख्या को बढ़ाना है और भैंस के जो मेल हैं उनको खेती बाड़ी के काम में लगाना है और उनको बढ़ाना है तो यह मैं आवश्यक समझता हूं कि हम भैंस को गोवंश के अनुरूप ही देखने का प्रबन्ध करें।

जहां तक दुनिया के देशों का सम्बन्ध है दुनिया के मवेशी औसतन १० सेर दूध देते हैं और हमारे यहां १०॥ छटांक से अधिक मवेशी दूध नहीं देते हैं। अगर सारे हिन्दुस्तान से दूध प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय तो हम करीब ५० साल में पूर्ण हो सकते हैं। ५० वर्ष में बहुत रुपया खर्च करके हम दुनिया के बाजारों से कम्पीट कर सकेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आखिर हमारी भी स्टेट है और आखिर क्या हम नहीं जानते कि दुनिया के बाजारों से हमको दूध लेना पड़ता है? जब हम अपने देश के लिये विदेशों से दूध लेने को मजबूर हैं तो यह हमारे लिये लाजिमी है कि विदेशों से जो दूध यहां पर आता है उसका कुछ प्रबन्ध करने के लिये भैंस की उपयोगिता की रक्षा का भार हम अपने उपर लें। जब कि हमारे यहां भारत सरकार एक भैंस पर दो पैसा खर्च करती है दुनिया की और सरकारें एक भैंस या मवेशी पर एक रुपया खर्च करती हैं। जब हम अपने यहां समूचे देश में मवेशियों का खर्च देखते हैं तो हम यह मानने के लिये तैयार हैं कि हम बहुत दिनों में मवेशियों की नस्ल का सुधार कर सकेंगे। इसलिये आज इस बात की जरूरत है कि ऐसे मवेशी जो हमको दूध देते हैं उनको भी हम गऊ के समान ही समझें। हमारे संविधान में कहा गया है कि दूध देने वाले जानवर की रक्षा करें। इन सब बातों को देखते हुये हम क्यों न गाय के साथ भी भैंस को बराबरी का दर्जा दें, क्योंकि हमारे देश में भैंस को बराबरी का दर्जा पहले से ही दिया हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं उमाशंकर जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री दीनदयालु शास्त्री--श्रीमन्, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। गो संवर्द्धन समिति के सामने भी यह विषय आया था। यह जरूर है कि गाय दूध कम देती है और भैंस दूध ज्यादा देती है। आज कल किसान को दुगुना बोझ उठाना पड़ता है। वह बैल के लिये तो गाय को पालता है और दूध के लिये भैंस को पालता है। किन्तु इसके साथ ही हम यह भी सोचें कि जब हम भैंस पर प्रतिबन्ध लगाते हैं तो हम गोबध पर प्रतिबन्ध लगा कर जो गोवंश की तरक्की चाहते हैं वह नहीं हो सकती है।

और देशों की मिसाल भी वक्ता महोदय ने दी है कि उतना दूध हमारे यहां उत्पन्न नहीं होता है। वहां पर भैंस के दूध का उत्पादन नहीं होता है। वहां गाय की नस्ल को इतना बढ़ाया गया है कि वह दूध की कमी को पूरा कर देती है और इस प्रकार भैंस के दूध से भी अधिक दूध उनको मिलता है। इसलिये गोवंश की रक्षा जो हम चाहते हैं उससे ज्यादा दूध का भी हम उत्पादन करना चाहते हैं। हमको इस तरह का प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये जिससे गोवंश की रक्षा में बाधा पड़े। इसके साथ साथ मैं दूसरी दलील भी यह देना चाहता हूं कि जब गोवध पर हम प्रतिबन्ध लगाते हैं तो हम यह भी देख लें कि जिन लोगों पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं जो उस तरह के खाने के आदी हैं, उनको सब तरह के साधनों से वंचित नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं उमाशंकर जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं कल नेता विरोधी दल के कमरे म बैठा हुआ था। मेरे जिले के एक मुसलमान साहब जिनको मैं जानता न था, श्री विश्रामराय जी से बातें कर रहे थे कि जिस प्रकार से गोवध रोका जा रहा है उसी प्रकार से भैंस वध को भी रोका जाना चाहिये खास कर जो दूध देने वाली भैंसें हैं। श्रीमन् मैं शास्त्री जी की दलील का समर्थन नहीं कर सकता कि गो संवर्द्धन समिति ने भी इसका विरोध किया था और इसलिये मैं भी विरोध कर रहा हूं। भैंस का भी संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा तो गोवंश की उन्नति न होगी। श्रीमन्, गोवंश की उन्नति भैंस वध से नहीं हो सकती, गोवंश की उन्नति केवल इससे नहीं हो सकती। उसके लिये तो आपको और साधन भी जुटाने होंगे। चारे का प्रबन्ध करना होगा, अच्छी नस्ल की गायों का प्रबन्ध करना होगा, रोगों का निवारण करना होगा और गो सदनों का प्रबन्ध करना होगा। व्यापार को बढ़ाने के लिये बाजार चाहिये, हाट चाहिये, उसी प्रकार से गोवंश को बढ़ाने के अन्य साधनों की व्यवस्था हो जायगी। तब मैं कह सकता हूं कि गो वंश की उन्नति बहुत ज्यादा होगी। श्रीमन्, यह सरकार हम लोगों के सामने यह कहा करती है कि हमारे देश में जब अधिक सामान पैदा होगा तो विदेश से कम आयेगा, लेकिन जिसको हम पैदा नहीं कर सकते हैं वह हमें विदेश से मंगाना होगा। अभी जैसा कि माननीय रामेश्वरलाल जी ने इशारा किया कि हमें आज दूध, मक्खन, घी सब विदेश से मंगाना पड़ता है और कितना रुपया उसमें खाने वालों का खर्च होता है उसका कोई अनुमान नहीं है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि इससे गोवंश की उन्नति होगी तो इसको मैं एक थोथी दलील समझता हूं। यदि गो संवर्द्धन समिति की रिपोर्ट को शास्त्री जी पढ़ें तो उनको मालूम होगा कि यह पहला ही प्रदेश है श्रीमन्, जिसमें केवल गोवध पर रोक लगाई जा रही है जब कि दूसरे प्रदेशों में गो, भैंस, भेंड़, बकरी के वध पर भी पाबन्दी लगायी गयी है। इस प्रकार उन्होंने सारे दुधारू पशुओं के वध पर पाबन्दी लगायी है।

यह मैं मानता हूं कि गाय का दूध बहुत पवित्र होता है, गाय को हम माता मानते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानता हूं कि केवल गाय के घी और दूध से हमारा काम नहीं चल सकता। गाय का दूध और घी हमें नहीं मिल पाता, यह तो आज हमारी मजबूरी है। और फिर केन्द्रीय सरकार और इस प्रदेश की सरकार ने जो रवैया डाल्डा के प्रति अपनाया है उस रवैये में यदि भैंस हमारे बीच में न रहे तो सारा देश डाल्डा से भर जायगा। देहात में भी बड़ी मुश्किल से घी मिलता है और वह भी भैंस का मिलता है, गाय का दूध और घी तो मिलता ही नहीं। अगर कहीं किसी बीमारी के लिये अथवा आंख में लगाने को गाय के घी की आवश्यकता पड़ जाय तो गाय का घी बड़ी कठिनाई से सुलभ होतल है। केवल भैंस ही ऐसा पशु है कि जिसके दूध से गुजर हो तो है। मैं देहात का रहने वाला हूं, वहां के लोगों को जानता हूं कि अधिकतर किसानों की जिन्दगी भैंस के घी, दूध और मट्ठे को बेचकर होती है। शहरों में भी गाय का दूध का नाम लेकर जो दूध दिया जाता है उसमें अधिक से अधिक पानी मिलाया जाता है वह भी भैंस ही का होता है। अभी शास्त्री जी ने कहा कि सेलेक्ट कमेटी ने इस प्रकार से उसका विरोध किया लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे उस सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के पेज नम्बर ६४ को देखने का कष्ट करें। उस सफे पर कहा गया है---बम्बई पशु सुधार अधिनियम, १९३३; बम्बई पशु संरक्षण अधिनियम, १९४८; मध्य प्रदेश तथा बरार पशु, भेड़, बकरी नियंत्रण अधिनियम, १९४७; मध्य प्रदेश तथा बरार पशु संरक्षण अधिनियम, १९४०; मध्य प्रदेश पशु संरक्षण अधिनियम, १९५३; मध्य प्रदेश पशु सुधार अधिनियम १९५०, मध्य प्रदेश पशु रोग अधिनियम १९३४, बम्बई आवश्यक वस्तुयें और पशु नियंत्रण अधिनियम १९४३ और मद्रास पशु सुधार अधिनियम, १९४८ हैं। यह इस तरह से और कई प्रदेश हैं हमारे देश में जिन्होंने पशुओं के सुधार के अधिनियम बनाये हैं। यह हमारी सरकार की बहुत कम ख्याली है कि वह भैंस

और उसके बछड़े पर रोक नहीं लगाती है। यह ठीक है कि गाय का बछड़ा खेती के काम आता है लेकिन यह भी ठीक है कि भैंस का बच्चा भी खेती के काम में बड़े बड़े किसान लेते हैं और शहरों में म्यूनिसिपैलिटियां भी उनको काम में लेती हैं। यह बात सही है कि गोवध निवारण का यह विधेयक है लेकिन यह बात भी सही है कि इसमें अगर माननीय कृषि मंत्री जी चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं। भैंस की पाबन्दी इस विधेयक की मंशा के विपरीत नहीं जायगी। इसलिये मुझे आशा है कि यह संशोधन स्वीकार होगा।

श्री उमाशंकर——श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय दीनदयालु जी शास्त्री की जो इस गोसंवर्धन समिति के सदस्य रह चुके हैं, उक्ति का खंडन गोसंवर्धन समिति की रिपोर्ट पढ़ कर करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में यह सिफारिस की गयी है कि इसका सूक्ष्म विश्लेषण करने पर विदित होता है कि वर्तमान पशु संख्या का कम से कम तीन गुना करने पर दूध की निम्नतम मांग पूरी की जा सकती है। श्रीमन्, हमारी सरकार ने इस पर जोर दिया है कि वह राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिये प्रस्तुत विधेयक लाई है। इसलिये गोसंवर्द्धन समिति की रिपोर्ट हमारे संशोधन का समर्थन करती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार आंखें खोल कर जिनको बन्द करके यह विधेयक लिखा है, पढ़े और विचार करे, तब संभवतः बुद्धि आ जाय। मैं जानता हूं कि चाहे मैं सोने की बात कहूं लेकिन जब तक हाई कोर्ट उनकी धज्जियां नहीं उड़ा देगी तब तक हमारी सरकार नहीं मानेगी। लेकिन मुझे उचित सलाह देने से चूकना नहीं चाहिये।

श्री हुकुमसिंह——मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ख) की पंक्ति १ के शब्द "बछड़ा" के बाद शब्द "भैंस तथा भैंस का बच्चा" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बसन्तलाल शर्मा——अध्यक्ष महोदय, मैं जो मेरा संशोधन स्थगित किया गया था उसके स्थान पर आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (क) की पंक्ति २ में शब्द "उत्तर प्रदेश" से लेकर पंक्ति ४ के शब्द "नहीं है" तक निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "ऐसा गोमांस नहीं है जो सीलबन्द डिब्बों (sealed containers) में उत्तर प्रदेश में आयात किया जाय और उसी दशा में उनमें बन्द रहे" रख दिये जावें।

श्री हुकुमसिंह——मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (क) की पंक्ति २ में शब्द "उत्तर प्रदेश" से लेकर पंक्ति ४ के शब्द "नहीं है" तक निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "ऐसा गोमांस नहीं है जो सीलबन्द डिब्बों (sealed containers) में उत्तर प्रदेश में आयात किया जाय और उसी दशा में उनमें बन्द रहे" रख दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल——अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति १ के शब्द "तात्पर्य" और शब्द "किसी" के बीच में शब्द "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष" बढ़ा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष——अब सवा बज चुके हैं, आप अपना भाषण लंच के बाद जारी रखेंगे।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, लंच से पूर्व मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति १ के शब्द "तात्पर्य" और शब्द "किसी" के बीच में शब्द "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष" बढ़ा दिये जायं। इसके मान लेने से जो २ (घ) है वह इस प्रकार हो जायेगा "वध का तात्पर्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी रीति से मारण से है तथा इसके अन्तर्गत इस प्रकार से अंगहीन तथा शारीरिक आघात पहुंचाना भी है जिससे सामान्य रूप में मृत्यु हो जाय"।

श्रीमन्, मैंने यह संशोधन इस लिए उपस्थित किया है कि इस बिल में कहीं भी इसकी गुंजाइश नहीं है कि प्रत्यक्ष चोट पहुंचा कर, या किसी भी हत्यारे अथवा हत्या करने वाले के द्वारा अगर गाय को मारने की शाजिश हो तो उसके लिये बिल में कोई व्यवस्था साफ तौर से नहीं रखी गयी है। गांवों में भी सरकार की ओर से और सार्वजनिक लोगों की तरफ से भी सार्वजनिक काम के लिए सांड़ छोड़े जाते हैं, लेकिन उनके पालन के लिये कोई व्यवस्था नहीं है और वह सांड़ गांवों में खेतिहरों के खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं और वहां गांवों में इन सांड़ों को लोग बांध देते हैं और उनके खाने आदि का कोई प्रबन्ध नहीं होता है, और चन्द दिनों में ही वह मरीज हो जाते हैं और मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि जो पेशेवर लोग गउओं को पालते हैं वह उन गउओं से दूध लेने के बाद, जब उनसे दूध मिलना समाप्त हो जाता है और प्राप्त नहीं होता तो वह उनको शहर में भटकने के लिये छोड़ देते हैं। अगर आप यहां लखनऊ में भी देखें तो वह गलियों में भटकती हुई नजर आवेंगी। कभी कभी देखने में आता है कि जो छोटे छोटे सब्जी की खेती करने वाले हैं वह उनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और साथ ही साथ वह छोटे छोटे दूकानदारों के सामान को भी खाने का प्रयास करते हैं और जब दूकान दार या जिनका वह नुकसान करते हैं उन पर आक्रमण करते हैं और उनके चोटें लगती हैं और कभी कभी वह मौत का भी शिकार हो जाती हैं। इस लिए जो लोग उनको निर्दयता से मार देते हैं उनके लिए सजा की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो लोग दूध का लाभ उठाने के बाद गौ को भटकने के लिए छोड़ देते हैं और जो चोट खाने के बाद मृत्यु का शिकार हो जाती हैं उनके मारने वाले भी उसी सजा के भागी होने चाहिए जितनी कि प्रत्यक्ष रुप से मारने वालों के लिए रखी जाती है। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है।

श्रीमन्, इसका और भी एक अर्थ है। गांव में जो खेतिहार लोग हैं हमारे सम्माननीय सदस्य जानते हैं कि जो लोग हजारों एकड़ खेती किया करते थे और जिनकी जमींदारी के अन्दर जंगल और परती की जमीन थी उन्होंने जमींदारी अबालिशन के कानून को देख कर उसके पहले से उसको अपने कब्जे में करके उन्होंने उन खेतों को जोत लिया, और उन गायों को जो उनमें चर कर अपनी जीविका चलाती थीं उनको उनसे वंचित कर दिया है। इसका नतीजा देहातों पर पड़ा है। श्रीमन्, मैंने अपने जिले में देखा है, कि वह लोग जो खेती पर आश्रित नहीं हैं और जिनकी जीविका का एक मात्र साधन पशुपालन है और जो दूध बेच कर अपनी जीविका चलाते हैं आज गाय कम रखने लगे हैं। श्रीमन्, पूर्वी जिलों में, और-और जगह भी जहां पर परती वगैरह बड़े लोगों से जोत लिये गये हैं वहां जो पहले से जीविकोपार्जन के हेतु मवेशी रखते थे कम हो गये और उनकी जीविका चलना कठिन हो गया। तो हम यह समझते हैं कि वह आदमी जो गोवंश को चोट पहुंचाते हैं वे जितने गो हत्या के दोषी हैं उससे कम पापी वे नहीं है जो जंगल और परती जोत कर उनको खेत बना कर मवेशियों को चरने से रोकते हैं। इस लिये मैंने यह संशोधन रखा है। इसके अतिरिक्त जो गाय के बछड़े को दूध के लालच में दूध पिलाना बन्द कर देते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, उसकी सीधी हत्या न करके उसको दूध पिलाने से वंचित कर दिया जाता है और उसको जिन्दगी से महरूम कर दिया जाता है उनके लिए भी ऐसी व्यवस्था हो इस लिये हम ऐसा संशोधन रखते हैं कि जो गो हत्या करता है वह तो प्रत्यक्ष आक्रमण करता है और वह सजा का भागी है लेकिन जो काटने को प्रस्तुत करता है वह आदमी भी उसी दोष का भागी है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री (जिला गोंडा)—आपका संशोधन क्या है जरा पढ़ दीजिये ?

श्री रामेश्वरलाल--मैंने अपने संशोधन को पढ़ दिया है फिर भी पढ़ता हूं । "बध (slaughter) का तात्पर्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी रीति से मारण (killing) से है तथा इसके अन्तर्गत इस प्रकार से अंगहीन करना (maiming) तथा शारीरिक आघात पहुंचाना भी है जिससे सामान्य रूप में (in the ordinary course) मृत्यु हो जाय ।"

मैं चाहता हूं कि "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष" बढ़ा दिया जाय । कहने का मतलब यह है कि जो प्रत्यक्ष हत्या करता है वह दोष का भागी है लेकिन जो अप्रत्यक्ष रुप से काटने के लिये देता है वह भी हत्या का भागी है । अगर इसमें यह व्यवस्था होती कि जो काटने के लिये प्रस्तुत करेगा वह भी उतना ही दोष का भागी होगा तो मैं शायद संशोधन पेश नहीं करता । लेकिन इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है । इस लिये इस संशोधन के पास होने की आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन की उपादेयता को देखते हुये इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे ।

श्री हुकुमसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, २ (घ) में "वध" का तात्पर्य किसी भी रीति से मारण से है तथा इसके अन्तर्गत इस प्रकार से अंगहीन करना तथा शारीरिक आघात पहुंचाना भी है जिससे सामान्य रुप से मृत्यु हो जाय ।

मैं समझता हूं कि "किसी भी रीति" इतना व्यापक है जिसमें "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष" सभी बातें आ जाती हैं । लिहाजा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लगा कर उसके विस्तार को संकुचित करना नुकसानदेह है बजाय फायदा पहुंचाने के । इस वजह से मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को हमारे मित्र वापस ले लें ।

श्री उमाशंकर--अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी रामेश्वरलाल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । रामेश्वरलाल जी का संशोधन अगर मान लिया जाता है तो किसी भी बहाने से गोवध करने की गुंजाइस नहीं निकल सकती है । जो तरीका इस विधेयक में है उससे गोवध बन्द नहीं हो सकता है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मवेशीखानों में जो मवेशी बिना चारा के रखे जाते हैं, वहां घुला-घुला कर मारे जाते हैं, उससे भी वे बीमार हो जा सकते हैं और बध करके पुलिस में रिपोर्ट करवा दी जा सकती है, ये सब बातें होती रहेंगी । जिस मवेशी को खाना नहीं मिलेगा वह कमजोर हो ही जायगा और बीमार भी हो जायगा । उसके बाद रिपोर्ट होगी कि यह गाय मार दी गई, उसके चमड़े को निकाल लिया जायगा । जैसा कि एक सम्मानित सदस्य ने इस सदन में बतलाया कि जिन्दा चमड़ा ज्यादा काम का होता है । जिन्दा चमड़ा निकलाने की कोशिश की जायगी । इससे जिन्दा चमड़े का जूता, काफलेदर का जूता बनाने का लालच बढ़ता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे तो उनकी मंशा अच्छी तरह पूरी हो जायगी । इस लिये मैं सिफारिश करूंगा कि इसको मान लिया जाय ।

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो रामेश्वर लाल जी का संशोधन है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । खंड २ (घ) में यह दिया हुआ है कि "वध" का तात्पर्य किसी भी रीति से मारण से है तथा इसके अन्तर्गत इस प्रकार से अंगहीन करना तथा शारीरिक आघात पहुंचाना भी है जिससे सामान्य रूप से मृत्यु हो जाय ।

श्रीमन्, जहां तक किसी पशु के मारने से मतलब है वहां तक तो इस विधेयक के अन्दर आ जाता है । अब जो हमारे रामेश्वरलाल जी ने संशोधन रखा है उसका मतलब है कि किसी के यहां जानवर भूखा रह कर दुर्बल हो जाय और मर जाय तो उसको सजा दे दी जाय मेरे ख्याल से यह ठीक नहीं है । हर मवेशी पालने वाला यह नहीं चाहता कि उसका जानवर घुल घुल कर मरे, उसके सामने कुछ मजबूरियां हो सकती हैं । मान लीजिये कि सैलाब आ गया है और उन क्षेत्रों में चारा नहीं रह गया है, अगर उनके यहां मवेशी मर जायं तो

[श्री सियाराम चौधरी]

उनको सजा दे दी जाय ! इस लिये मैं चाहता हूं कि इस कानून के अन्दर जो भी चीज है उसी तरह से रहने दिया जाय और श्री रामेश्वरलाल का संशोधन नामंजूर कर दिया जाय ।

श्री रामेश्वरलाल---श्रीमन्, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है शायद इसका मतलब सही समझ कर भी उत्तर देने में जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कुछ त्रुटि की । श्रीमन्, उनका मतलब बिल्कुल सही है । मैं इस संशोधन के द्वारा चाहता हूं कि देहात के वे लोग जो जानवर पालते हैं, गाय बैल पालते हैं और उन्हें खिलाते नहीं और मरने पर मजबूर कर देते हैं वह भी सजा पाये । श्रीमन्, यदि माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना न हो तो मैं सूचना के तौर पर इस सदन में कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो आदमी काम कम करता है वह बड़ा आदमी कहा जाता है । और शहरों के अलावा देहातों में जो बड़े आदमी कहे जाते हैं वे अपने जानवरों के लिये अपने हाथ से कुट्टी नहीं काट सकते, चारा नहीं खिला सकते । मेरा दावा आज सरकार के बन जाने के बाद, और मजदूर जो देहातों में कम मिलते हैं उसके कारण बड़े लोग हैं जिनकी आदत रही है कि वह काम कम करें उनके यहां आज मवेशी मर रहे हैं । श्रीमन्, मैं अपने जिले के दो चार आदमियों के नाम गिना सकता हूं लेकिन चूंकि नाम लेना उचित नहीं होगा इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा । हजारों खेती करने वाले लोगों के यहां हर साल मवेशी खरीदे जाते हैं और हर साल मर जाते हैं इस लिए कि उन्हें आदमी उपयुक्त नहीं मिलते, और खेती नाम मात्र को करते हैं और मवेशियों को चारा नहीं चला सकते । गोबर, चारे और नाज में हाथ डालना उनके लिये पाप है ! मैं समझता हूं कि ऐसे लोग पापी हैं, और वे लोग जो खेती के नाम पर मवेशी के नाम पर सरकार से छूट पाये हुए हैं, वे अपने मवेशियों को उचित चारा नहीं देते, वे लोग अगर कोई इस तरह का काम करते हैं जिससे मवेशी मरते हैं तो सचमुच मेरे इस संशोधन के मान लेने के बाद यह व्यवस्था उनके लिए हो जायगी कि वह भी सजा के भागी होंगे । आखिर एक आदमी जो किसी गाय को मारता है वह पाप का भागी है और वह सजा पाता है । एक साल की सजा और एक हजार रुपया जुरमाना होता है, लेकिन एक बड़ा आदमी जो दस दस, बीस बीस, पचीस पचीस गाय बैल पालता है और अपने मवेशियों को एक साल से ज्यादा जिन्दा नहीं रख सकता, और मौत के घाट उतार देता है मैं चाहता हूं कि उसको भी सजा मिले । इसी लिए मैंने यह संशोधन खुले दिल से प्रस्तुत किया है । अगर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष बढ़ा दिया तो किसी तरह से इस विधेयक की मंशा को चोट नहीं पहुंचती । लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं है मैं चाहता था कि मान लेते । लेकिन अगर नहीं मानते तो मजबूरी है, मैं तर्क ही उपस्थित कर सकता हूं ।

श्री हुकुमसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अपत्ति थी वह मैंने पहले ही अर्ज कर दी थी । हमारे मित्र ने एक बात कही कि उनके जिले में कुछ बड़े आदमी हैं जो कि मवेशी काफी पाले हैं लेकिन उनको चारा नहीं देते और घुल-घुल कर वे मवेशी मरे जाते हैं । सब बड़े आदमी ऐसे ही हैं मैं इससे सहमत नहीं । मैं भी एक छोटा आदमी हूं बड़ा तो हूं नहीं । लेकिन मैं रामेश्वर लाल जी को निमंत्रण देता हूं मेरे घर पर आ जायं । मैं भी मवेशी पाले हूं, गाय, बैल.....

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---यहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह---यहीं हैं, और मैं उपाध्याय जी को भी निमंत्रण देता हूं । मेरे यहां आकर चाय भी पीजिये और देखिये भी ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---दूध पिलाइये ।

श्री हुकुमसिंह---दूध पीने की आपकी उम्र गुजर गयी । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बात बिलकुल गलत है । इस तरह से अगर कानून बनाया जाय तो इस तरह से कोई बच ही नहीं सकता । जो इंटेंशनल मारता है तभी वह जुर्म होता है, और जैसा कि चौधरी

सियाराम जी ने कहा वाकयी बहुत से ऐसे जिले हैं, देवरिया ऐसा ही जिला है, हर साल सैलाब का प्रकोप होता है, चारे की दिक्कत रहती है और भी बहुत से जिले ऐसे हैं। देवरिया उनमें से एक है। तो जब ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, इंसान भरसक प्रयत्न भी करता है लेकिन यह असम्भव सी बात है कि हर एक जानवर के लिए पर्याप्त मात्रा में इन इलाकों में चारा मिल जाय। तो भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो मजबूरी हो जाती है। ऐसी अवस्था में अगर कोई जानवर भूख से या पीड़ित होने की वजह से मर जाय तो उसके लिये उसके मालिक को मुजरिम करार दिया जाय, हालांकि उसकी दिली इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि वह मर जाय, तो मैं समझता हूं कि कानून ऐसा नहीं बनाना चाहिये। इस कानून का ध्येय यह है कि दीदा व दानिस्ता, जानबूझ कर अगर कोई गाय मारता है तो वह मुजरिम है, लेकिन चारे के अभाव से, कोई आक्समात घटना हो जाने की वजह से, सैलाब आने से, आग लग जाने से या सारा चारा जल जाने की वजह से अगर कोई ऐसी बात यहां होती है तो उसको मुजरिम करार देना कानून का मंशा नहीं है। ऐसी सूरत में आगे भी एक तरमीम इसी तरह की है और मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे मित्र उसे पेश न करें तो अच्छा है। विजिबिल या इनविजिबिल से कोई खास मतलब हल नहीं होता और कानून का जो मंशा है, इसको रख देने से लोग उसकी गिरफ्त में आ सकते हैं, वह पूरा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति १ के शब्द "तात्पर्य" और शब्द "किसी" के बीच में शब्द "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री प्रतिपालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति १ के शब्द "किसी" से ले कर पंक्ति २ के शब्द "है" तक निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "किसी प्रकार के ऐसे आघात द्वारा मारण से है जो जानबूझ कर मारण के निमित्त किया गया हो" रख दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने "किसी" और "प्रकार" के बीच में जो शब्द "एक" है वह नहीं पढ़ा है। यह गलत छप गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस प्रस्ताव को पेश करने से केवल मात्र यह अभिप्राय है कि वह व्यक्ति या कोई समुदाय जो गाय को "माता" के आदरसूचक शब्द से संबोधित करता है और गाय और उसके वंश को अपने परिवार का एक सदस्य समझ कर उसका आदर और संरक्षण करता है, उसको इस धारा के इन कुछ शब्दों द्वारा आघात न पहुंचाया जा सके। हमारा जो दंड विधान है उसमें भी इस प्रकार का संरक्षण दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने शत्रु तक को यह समझ कर आघात नहीं पहुंचाता है कि उससे उसका मरण हो जायगा तो उसको मारण की जो सजा है वह नहीं मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह स्पष्ट कर देना उचित समझता हूं कि इस सदन में जो दो विचारधारायें गाय के रक्षण के सम्बन्ध में व्यक्त की गई हैं उनमें मैं उस दृष्टिकोण का पक्षपाती हूं कि जो गाय का वध निरोध करना आर्थिक दृष्टिकोण से उचित समझते हैं। किन्तु इस देश की आबादी प्रधानतया हिन्दू है और हिन्दू समाज में गाय को मारने और वध करने को रोकने के लिये एक सामाजिक व्यवस्था है। कोई भी हिन्दू यदि गाय की या गोवंश की जाने या अनजाने में हत्या करता है तो उसको सामाजिक दंड अवश्य भुगतना पड़ता है।

यदि यह भाषा यहां पर साफ़ न की गई तो मुझे भय है, और यह भय सही है कि उसके विपरीत इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसको हानि पहुंचाई जा सकती है। अधिक न कह कर मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे कृपया यदि मेरे संशोधन को न मानें तो इसकी भाषा अवश्य ही साफ़ कर दें ताकि इसके द्वारा अदालत में हिन्दू समुदाय को दोहरी सजा भगतने का कोई मौका किसी तरह का न पहुंचाया जा सके।

श्री हुकुमसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वाकई मैं इस बात की कोशिश कर रहा था कि मैं इसे समझूं लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। और जो बात समझ में न आये उसे मन्जूर करना नामुनासिब है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि "खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति १ के शब्द "किसी" से लेकर पंक्ति २ के शब्द "है" तक निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "किसी एक प्रकार के ऐसे आघात द्वारा मारण से है जो जानबूझ कर मारण के निमित्त किया गया हो" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिस संशोधन का नोटिस दिया है मैं इसके स्थान पर यह संशोधन आपकी आज्ञा से रखना चाहता हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं :--

"या मृत्यु होने की संभावना हो।"

श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय, जो खंड २ का भाग (घ) दिया हुआ है इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि यदि गोवंश को किसी प्रकार से कोई आघात पहुंचाता है, या अंगहीन होता है और उसकी मृत्यु हो जाय यह स्पष्ट नहीं कि उसी समय या आगे चल कर? यह शब्द दिये हुये हैं कि "आघात पहुंचाना भी है जिससे सामान्य रूप से मृत्यु हो जाय"। इसके तो दोनों अर्थ होते हैं उसी समय भी मृत्यु हो सकती है और कुछ समय आगे चल कर भी मृत्यु हो सकती है, या सम्भवतः उस समय मृत्यु न हो। तो मैं यह शब्द रखना चाहता हूं "या मृत्यु होने की संभावना हो"। मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार के शब्द रखने से जो गऊ को या उसके वंशज को कष्ट पहुंचायेगा या मृत्यु होगी तो आगे चल कर भी यह इस बिल के लिये सहायक शब्द होंगे और इन शब्दों के मानने में मैं समझता हूं कि कोई हानि नहीं है, यह स्पष्ट हो जायगा।

दूसरी बात यह भी है कि अगर कोई आघात इस प्रकार का पहुंचाये और उसी समय मृत्यु हो गई तो ठीक है वह दंडनीय होगा। पर चोट तो लग गयी और उस चोट के कारण आगे चल कर कुछ समय के पश्चात् मृत्यु हो गई तो यह हो सकता है कि उस आघात के कारण मृत्यु नहीं हुई तो वह दंडनीय न हो बल्कि और किसी कारण से हो। और यह अक्सर देखा भी जाता है कि वह आघात, चोट ऐसी भी हो सकती है कि कुछ समय के पश्चात् २, ४ या १० दिन के बाद उसकी मृत्यु हो। तो इस प्रकार से आघात का शब्द रखने से स्लाटर (वध) का जो शब्द है उसकी परिभाषा में यह दंडनीय माना गया है, यह आ जाता है। इस लिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसलिये यह शब्द जोड़ दिये जायं "या मृत्यु होने की संभावना हो" तो इन शब्दों से कोई संविधान की या दूसरी और किसी प्रकार से इस बिल में रुकावट पैदा भी नहीं होती बल्कि इस बिल के अन्दर एक सहायता पहुंचाता है।

श्री हुकुमसिंह--जो तरमीम २० पर दी है उसके बजाय कोई दूसरा संशोधन किया गया है, मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि मेरे पास कोई कापी नहीं है। जो लफ्ज उसमें दिये हैं उनकी जरूरत है कि नहीं क्योंकि जब कोई प्रासीक्यूशन होगा ... . ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि संशोधन तो उनका केवल इतना ही है कि इस खंड के अन्त में यह शब्द जोड़े जायं। जो पहले दिये थे वे नहीं बल्कि केवल इतना ही "या मृत्यु होने की संभावना हो"।

श्री हुकुमसिंह--इसकी भी जरूरत नहीं क्योंकि जब मर जायगा तभी प्रासीक्यूशन होगा उसका, पहले नहीं होता। और जब प्रौजीक्यूशन शुरू किया जायगा तो मेडिकल एवीडेंस जरूर दिया जायगा बिना उसके प्रासीक्यूशन हो नहीं सकता। तो ऐसी

सूरत में मेडिकल ऐवीडेंस के होते हुये "या सम्भावना" की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक मरेगा नहीं तब तक प्रासीक्यूशन हो नहीं सकता। अगर यह जोड़ दें तो मरने के पहले ही प्रासीक्यूशन करना पड़ेगा। तो यह तात्पर्य इस विधेयक का नहीं है, मर जाने पर प्रासीक्यूशन होना चाहिये और अगर आपके लफ्ज जोड़ देते हैं तो सम्भव है तभी प्रासीक्यूट कर दिया जाय ! तो ऐसी सूरत में इसकी जरूरत नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र——उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि जिस समय आघात पहुंचता है उसी समय मरने के पहले ही प्रासीक्यूशन हो जाय। परन्तु मैं इसको फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मान लीजिये चोट लगी, और चोट लगते ही वह जानवर मर गया तो वह दंडनीय होगा ! लेकिन दूसरी दशा यह हो सकती है कि चोट लगने के पश्चात्, आठ रोज बाद या दस रोज बाद वह जानवर मरा तो उस दशा में क्या होगा ? क्या उस दशा में भी जब कि चार रोज या आठ रोज या दस रोज बाद वह मरता है, तब भी वह "वध" शब्द की सीमा में आता है ? यह दंडनीय होगा या नहीं ? केवल मैं इतना स्पष्टीकरण चाहता हूं इसका। और यदि यह है कि चोट लगते ही यदि मर जाय तो प्रासीक्यूशन होगा, तो यह ठीक नहीं है। लेकिन चार रोज या आठ रोज बाद जानवर मरता है तो क्या उस समय भी यह बात मानी जायगी या नहीं ? यदि उस समय भी मानी जायगी तो यह शब्द रखने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष——माननीय कृषि मंत्री क्या कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री हुकुमसिंह——जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (घ) के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं——

"या मृत्यु होने की संभावना हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रणंजयसिंह——मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता श्रीमन्, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी तरह से यह बिल आज पास हो जाय। मेरा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि गोवध बंद हो। इसमें जो शब्द मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि खंड २ के उपखंड (च) की पंक्ति १ में से "अलाभकर" हटा कर उस के स्थान पर शब्द "अल्पलाभकर" रख दिया जाय और कोष्ठक में से शब्द "uneconomic" हटा कर उस के स्थान पर शब्द "less economic" रख दिया जाय। इससे अभिप्राय मेरा यह है कि गाय जो है उसे मैं अलाभकर मानता ही नहीं। वह इतने उपकार करती है कि उसे अलाभकर कहना उचित नहीं है। उससे हमको इतने लाभ होते हैं कि वह जब तक जीवित रहेगी, पहले तो उसके बच्चे होंगे, फिर वह दूध देगी, उसके गोबर तथा मूत्र से लाभ होगा, तत्पश्चात् जब वह दूध देना बन्द कर देगी तो यह कहना कि वह लाभ कर नहीं अलाभकर हो जायगी मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह अलाभकर जो विशेषण है वह गाय के लिये ठीक नहीं है। जब तक वह जीवित रहेगी वृद्ध होने पर भी उसके गोमूत्र से, गोबर से और उसके मरने के बाद उसके चमड़े से जो सेवा हमारी होती है वह तो बराबर होती ही रहेगी। तो इस स्थान पर अलाभकर के स्थान पर कम लाभकर रखना ठीक होगा। गो संवर्धन जांच समिति की रिपोर्ट में यह दिया हुआ है——गाय के गोबर की खाद विशेष उपयोगी है। डाक्टर वीलकर ने गाय के गोबर का विश्लेषण किया और उन्होंने एक टन सूखे गाय के गोबर की खाद सम्बन्धी उपयोगिता १५५ पौंड सल्फ़ेट आफ़ अमोनिया के बराबर पायी।

इस प्रकार उसके गोबर में बड़ी शक्ति है, उससे बड़ी अच्छी खाद बनती है। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ यहां यह संशोधन उपस्थित करता हूं।

श्री हकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी तक दो लफ्ज़ जानता था, "इकानामिक" और "अनइकानामिक"। "लेस इकानामिक" पहले पहल सुना, इसको कौन तय करेगा? हमारे नुक्ते ख्याल से दो सेर दूध देने वाली इकानामिक है और कुंवर साहब के ख्याल से २० सेर जब तक न दे तब तक इकानामिक नहीं है, २ सेर वाली लेस इकानामिक हो सकती है। तो इकानामिक और लेस इकानामिक का फर्क निकालना बड़ा मुश्किल हो जायगा। तो मैं समझता हूं कि कुंवर साहब मेरी बात की माकूलियत को समझ गये होंगे। कुंवर साहब उसे पेश कर चुके हैं तो वापस भी ले लेंगे।

श्री रणंजयसिंह—श्रीमन्, मुझे इसका आग्रह तो नहीं है, लेकिन मेरी समझ में तो यही है कि जब वह दूध देना बन्द कर देगी तो कम लाभ होगा। उतना लाभ तो नहीं होगा, लेकिन कम होगा। अब जैसा सदन चाहे वह करे।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य से मालूम करना है कि वह विथड्रा करना चाहते हैं या नहीं?

श्री रणंजयसिंह—राय ले ली जाय सदन की, जो कुछ हो।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (च) की पंक्ति १ में से शब्द "अलाभकर" हटा कर उस के स्थान पर शब्द "अल्पलाभकर" रख दिया जाय और कोष्ठक में से शब्द "uneconomic" हटा कर उस के स्थान पर शब्द "(less economic)" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री प्रतिपालसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (च) की पंक्ति २ के शब्द "अरक्षित" के बाद "अथवा वह गायें जो स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अलाभकर घोषित कर दी जायं" रख कर बाद के शब्द निकाल दिये जायं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने यह कह कर मंजूर नहीं किया कि वह उनकी समझ में नहीं आया। मैं यद्यपि ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन कानूनी भाषा की जो शिथिलता है उसके सम्बन्ध में मैंने उस समय भी जोर दिया था और इस पर भी जोर देना आवश्यक समझता हूं। कानून की भाषा बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिये नहीं तो प्रायः यह देखा जाता है कि उसके अर्थों की खींचातानी में जो व्यक्ति मुकदमें इत्यादि में फंसते हैं उन्हें काफी नुक्सान हो जाता है। तो इसमें जो ये शब्द हैं "इनफर्म", "डिस्एबिल्ड", "डिजीज्ड" और "बैरन" जिनके अर्थ दुर्बल, अक्षम, रुग्ण अथवा बंध्या रखे गये हैं, तो यह बहुत ही वेग शब्द है। "अक्षम", "डिस्एबिल्ड" का तर्जुमा किया गया है वह भी साफ़ नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि इस प्रकार के जानवरों को एक जगह बन्द करने अथवा अन्य प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार करे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को यदि अपना कोई इनफर्म, दुर्बल या अक्षम जानवर देना पसन्द न हुआ और प्रेस्क्राइब्ड आथारटी इत्यादि ने यह समझा कि इनको बन्द किया जाना आवश्यक है तो एक बड़ी समस्या पैदा होगी। यह बात कोई माने या न माने, इनफर्म को, दुर्बल इत्यादि का बन्द किया जाना या उनका उपयोग ठीक है अथवा नहीं, किन्तु यदि ऐसी स्थिति पैदा हुई कि उस व्यक्ति के दरमियान जिसकी दुर्बल गाय है और उस कोर्ट या प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के दरमियान ऐसा झगड़ा हुआ तो इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जायगा। इसलिये मेरा यह अभिप्राय है कि इस खंड को भी साफ़ कर दिया जाय और यदि मेरा यह प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय को अधिक स्पष्ट न जंचे तो फिर वह इसको संशोधित कर के मंजूर कर लें।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य अपना संशोधन फिर एक बार बतला दें तो अच्छा होगा।

श्री प्रतिपालसिंह---मेरा संशोधन इस प्रकार है:---

खंड २ के उपखंड (च) की पंक्ति २ के शब्द "अरक्षित" के बाद "अथवा वह गायें जो स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अलाभकर घोषित कर दी जायं" रख कर बाद के शब्द निकाल दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य अपना संशोधन लिख कर भेज दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हुकुमसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अल्फाज़ तो मेरी समझ में अब भी नहीं आये लेकिन तकरीर जो मैंने सुनी उससे हमारे मित्र का आशय यह मालूम होता है कि अक्षम या इन्फ़र्म के बारे में उनका शायद यह ख्याल है कि अगर किसी के पास कोई दुर्बल जानवर है और वह उसको रखना चाहता है तो "दुर्बल" का लफ्ज़ अनडिफ़ाइन्ड है, लिहाज़ा अगर सरकारी अधिकारी उस को लेने के लिये कहें और वह देने के लिये तैयार नहीं तो उसमें दिक्क़त हो सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई कम्पल्शन नहीं है। सरकार किसी को मजबूर नहीं करेगी। अगर किसी का अलाभकर जानवर है और वह उसे सरकारी गोसदनों या प्राइवेट गोसदनों में नहीं भेजता है तो वह खुशी से उसे अपने घर रख सकता है। लेकिन जो लोग देना चाहेंगे बिला किसी मजबूरी या दबाव के वे दे सकते हैं। लिहाज़ा ऐसी कोई झगड़े की संभावना ही नहीं होती है। लिहाजा ऐसी सूरत में जो खतरा हमारे मित्र ने देखा उसकी कोई संभावना मालूम नहीं होती। यह ऐसे ही रहना चाहिये, कोई तरमीम की आवश्यकता नहीं। और जो नियम बनेंगे वे भी किसी को मजबूर नहीं करेंगे। हर शख्स स्वतंत्र होगा वह चाहे तो दे और न चाहे तो न दे।

श्री प्रतिपालसिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के इस आश्वासन के बाद कि नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था वह अवश्य कर देंगे जिससे किसी को इस प्रकार के जानवर देने के लिये मजबूर नहीं किया जायगा, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री नारायणदास (जिला फ़ैजाबाद)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २ का उपखंड (च) निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस विधेयक को लाने वाले हमारे ठाकुर साहब हैं और यह उस वंश के हैं जिनका कि दिलीप और नंदिनी का इतिहास हमारे सामने है। आपने श्रीमन्, अभी यह भी फरमाया कि संसार में लाभकर और अलाभकर दो बातें हुआ करती हैं और बड़ी खुशी हुई जवाब सुनकर। लेकिन ठाकुर साहब हमेशा इस पर कायम रहें। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं जानता हूं, मैं छोटी बुद्धि का आदमी हूं लेकिन मैं समझता हूं कि जितना मानव समाज इस पृथ्वी पर है और खास तौर से भारत ने तीन मातायें मानी हैं एक तो अपनी माता, दूसरी पृथ्वी माता और तीसरी गोमाता, और मेरा ख्याल है कि यह हमेशा लाभकर मानी गयी हैं, अलाभकर कभी नहीं मानी गई हैं। जिसमें गाय का तो मूत्र और गोबर से ले कर हड्डी और चमड़ा तक लाभ कर है।

आज हमारे सामने कुछ कठिनाइयां हैं। इस "अलाभकर" वाले शब्द की परिधि में जो ऐसी तमाम बातें आई हैं कि जो दुर्बल हो, रूग्ण, अक्षम हो, अरक्षित या बांझ हो उनके लिये हमारी सरकार यह करेगी कि म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को आज्ञा व इजाजत दे देगी कि वह उनके देखभाल व पालने का इन्तजाम करे और जो वहां अलाभकर गाय भर्ती कराना चाहें उन पर टैक्स बांध दिया जायगा कि इतनी फीस वह देगें। श्रीमन्, एक चीज यह भी देखनी है कि गाय के साथ बैल भी आता है। यह हमारे मानव

[श्री नारायण दास]

समाज का स्वार्थ है कि जितने बैल होते हैं उनमें ९९ प्रतिशत बधिया कर दिये जाते हैं, और वह निर्बल हो जाते हैं और बधिया वह वैसे ही हो गये। गाय दुर्बल इसलिये हो जाती है कि उसकी इंद्री में दूध अधिक प्राप्त करने के लिये फूंका मार देते हैं। श्रीमन्, हम मानव प्राणी हैं, हमें पशुओं पर क्या अत्याचार करना है, हमें तो अपने इस विधान को देखना है। हम यह सुझाव देंगे कि जिस तरह अबला, अनाथ महिला आश्रम खुले हुये हैं उसी तरह से अबला गोसदन या अबला गाय आश्रम जिले-जिले में खोल दिये जायं तो ज्यादा लाभ होगा बनिस्बत म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को देने के। क्योंकि मैं जानता हूं और अपनी म्युनिसिपैलिटी, फैजाबाद की बात बतला रहा हूं। वह म्युनिसिपैलिटी ऐसी है कि जितने हिन्दू-मुसलमान सदस्य थे उन्होंने इस झगड़े को मिटाने के लिये प्रस्ताव पास कर दिया था कि गाय-भैंस सभी को मारना बंद कर दिया जाय। यह पहली म्युनिसिपैलिटी थी जहां ऐसी बात हुई। हमारे यहां म्युनिसिपैलिटी में यह है कि गोशाला को ४०० / ५०० रुपये दे दिये जाते हैं। इसलिये कि हमारे यहां जो म्युनिसिपैलिटी के अन्दर ऐसी निर्बल गाय मवेशीखाने में आती है, उन्हें मवेशीखाने में रखते हैं। जब गाय नीलाम के करीब आती है तो वह गोशाला को दे दी जाती है परन्तु गोशाला में वह बुरी हालत होने वाली है और जो दशा है वह भी आप जानते हैं। और म्युनिसिपैलिटी के जो मवेशीखाने हैं उसकी मिसाल हमारे एक माननीय सदस्य ने दी कि दो-दो आने की गायें बिकती हैं! तो ऐसी दशा में मैं यह चाहता हूं कि अगर यह "अलाभकर" वाला शब्द गोवंश के ऊपर न रखा जाय तो अच्छा है। इससे बूढ़ी निर्बल गायों की सेवा का भार उन्हीं पर होगा जिन्होंने दूध, घी आदि से लाभ उठाया। साथ ही इससे ६, ७ धारा निकल जाती है। मैं ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो धारा ४ है इसमें अलाभकर के अन्तर्गत बहुत तरह की गाय को रखा गया है। दुर्बल, अक्षम, रोग ग्रस्त, क्षीण और निःसहाय इस तरह के शब्दों को जो रखा गया है वह हमारी सरकार ने रखा है। मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि वह जो गाय के रक्षक होने का नारा लगाते हैं वह नहीं हैं। सही तो यह है कि हमारी सरकार गोवंश की रक्षा के लिये इन्तजाम कर रही है। यह कानून लाकर सरकार ने उसकी रक्षा का प्रबंध किया है। जो निर्बल, दुर्बल और निःसहाय गाय होंगी उनको जैसा कि आपने कहा म्युनिसिपैलिटी डंडे मार कर खदेड़ देती है यह बिलकुल सही है। मैंने इसी लखनऊ शहर में देखा है कि एक मोटी-ताजी गाय को डंडे मार कर खदेड़ दिया गया। मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ा और कहा क्यों जी, वहां जाकर तो सत्याग्रह करते हो और यहां गाय को डंडे मारते हो? यह सब उन गायों के लिये इंतजाम किया जा रहा है जो निस्सहाय और निर्बल गायें होंगी और उनको गोसदन में स्थान दिया जायगा। यह सरकार गायों की रक्षक है भक्षक नहीं है। मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि आज सरकार उन लोगों की भी सहायता कर रही है और उनकी भी इज्जत रखने की कोशिश कर रही है जो सिर्फ नारा लगाते हैं और काम कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ गाल बजाते हैं। मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि आप मुहल्लों में जाकर देखिये और बनियों की सोसाइटी में जाकर देखिये कि वे दूध दुहकर गाय को मारकर निकाल देते हैं। उनसे जाकर आप कहिये कि इन गायों की आप भी रक्षा कीजिये। जनरल डिबेट के समय मैंने कहा था कि सरकार को चाहिये कि वह एक रुपये पीछे एक पैसा जनरल टैक्स कंपलसरी कर दे, जिससे हम इन पशुओं की रक्षा कर सकें। मैं अपने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार से टैक्स का प्रबंध इस बिल के अन्दर कर दें कि एक रुपये पर एक पैसा टैक्स लिया जाय। जिसकी आमदनी जितने रुपये की हो उसको उतने पैसे टैक्स देना जरूरी हो जाय। तब हम देखेंगे कि आप कितने हमदर्द हैं। यह गवर्नमेंट गोवंश की रक्षक है। हम भी रक्षक हैं और आपको भी रक्षक बनाना चाहते हैं। आप जाइये और जनता से कहिये कि वह एक पैसा टैक्स दे। आज जो यह बड़ी-बड़ी धर्मशालाएं

[श्री शिवनारायण]

बन रही हैं उनके लोगों से जाकर कहिये कि इन जानवरों की रक्षा के लिये पैसा दीजिये। हम तो गोवंश की रक्षा करना चाहते हैं और इसके साथ ही मुसलमानों की भी रक्षा करना चाहते हैं।

मैं ठाकुर साहब से कहूंगा कि जिस प्रकार से आपने जमींदारी अबालिशन करके समाज में क्रांति उत्पन्न की है उसी प्रकार से इन पशुओं की रक्षा में भी क्रांति लायें। हमारे ठाकुर साहब आज इसी तरह से करने जा रहे हैं। आप किस चक्कर में हैं? गवर्नमेंट मुनासिब बात कर रही है कोई अनुचित बात नहीं कर रही है। हमारे ठाकुर साहब पक्के हिन्दू हैं, वह लंगड़े-लूले, अपाहिज, असहाय सब पशुओं की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले रहे हैं। वे दिलीप के खानदान के हैं। वह इस काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। मैं आज पुनः कहना चाहता हूं कि यह जो बिल रखा गया है यह बहुत सुन्दर है और मैं नारायणदास जी से कहता हूं कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री हुकुमसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे मित्र नारायणदास जी का संशोधन है कि खंड २ के उपखंड (च) को निकाल दिया जाय तो इसके निकाल देने से एक दिक्कत होगी, नहीं तो मैं जरूर इसको मान लेता। हमने आगे खंड ६ और ७ में रक्खा है कि जो अलाभकर गायें होंगी उनके लिये इंस्टीट्यूशन्स अथवा गो सदन खोले जायेंगे। इस प्रकार से खंड ६ और ७ में आगे चलकर इस 'अलाभकर' शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिये यदि वह डेफीनीशन से निकाल दिया जाता है तो जो आगे चलकर अलाभकर शब्द रखा गया है उससे क्या तात्पर्य होगा, उसमें कौन-कौन शामिल होगा, यह समझ में नहीं आयेगा? इसलिये यहां यह आवश्यक है। इसलिये यहां जो पर्यायवाची शब्द रक्खे गये हैं वे किसी मतलब से रक्खे गये हैं। इसलिये इस खंड-(च) का बदस्तूर रहना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि हमारे मित्र नारायणदास जी की भी यही इच्छा है और माननीय सभी सदस्यों की भी यही इच्छा है कि जो अलाभकर जानवर हों उनका भी इन्तजाम होना आवश्यक है और जब इन्तजाम होना आवश्यक है तो अलाभकर शब्द की डेफीनीशन भी आवश्यक है क्योंकि उसका आगे चल कर इस्तेमाल हुआ है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे मित्र इसको वापस ले लें।

श्री नारायणदास--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, शिवनारायण जी जो हमारे साथी हैं, यद्यपि यह ठीक है कि उन्होंने मुर्दे पशुओं का मांस खाना छोड़ दिया है, लेकिन और साथी हमारे हैं उनको उन पशुओं का जो मरते हैं, चमड़ा मिल जाता है, और इस प्रकार से उनकी एक आर्थिक समस्या हल होती है। और अगर पशु शहरी मवेशीखाना अधिकारिकी में चले जायेंगे तो उनका आर्थिक रूप से बहुत नुकसान होगा। लेकिन फिर भी वे हमें सलाह देते हैं तो वे हमारे अगुआ हैं, हम उनकी सलाह मान लेते हैं और माननीय मंत्री जी ने भी यह आश्वासन दिया कि गोशालाएं खोली जायेंगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि कानून में कोई दिक्कत पैदा न हो, इसलिये मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३--समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि (law) में किसी बात के अथवा किसी विपरीत उपाचार या आचार (usage or custom) के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी भी स्थान में किसी गाय का न तो वध करेगा और न वध करवायेगा अथवा उसे वध के लिये न प्रस्तुत (offer) करेगा, न प्रस्तुत करवायेगा। गोवध का प्रतिवेध।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

धारा ३ भयंकर रोगों (dangerous diseases) क्षत विक्षत (injured) अथवा दुर्बल गायों पर प्रवृत्त न होगी।

४--(१) धारा ३ की कोई भी बात किसी ऐसी गाय के वध पर प्रवृत्त न होगी--

(क) जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार विज्ञप्ति किसी सांस्पर्शिक (contagious) अथवा सांसर्गिक (infectious) रोग से पीड़ित हो; अथवा

(ख) जो चिकित्सकीय अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी गवेषण (research) के हित में प्रयोगाधीन हो।

(२) जब उपधारा (१) के खंड (क) में वर्णित कारणवश किसी गाय का वध किया जाय तो वह व्यक्ति जो ऐसी गाय का वध करे अथवा वध करवाये, वध के चौबीस घंटों के भीतर, सन्निकट थाने में अथवा ऐसे अधिकारी अथवा आधिकारिकी (authority) के समक्ष जो नियत किया जाय तत्सम्बन्धी सूचना देगा।

(३) उस गाय का शव (carcass) जिसका उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन वध किया गया हो ऐसी रीति से दफ़नाया अथवा निस्तारित किया जायगा जो नियत की जाय।

श्री उमाशंकर--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस खंड ४ में यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"४--(१) राज्य सरकार बीमार गायों, भैंसों तथा उनके वंशजों के लिये मवेशी अस्पतालों में भर्ती करके उनका विधिवत् उपचार अपने खर्चे पर करेगी, और उन पर चिकित्सकीय अन्वेषण करायेगी।

राजा वीरेन्द्रशाह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट ऑफ़ आर्डर रेज करता हूं। श्रीमन् इस संशोधन में जहां तक भैंस का सवाल है, जब एक बार सदन भैंस वाले संशोधन को रिजेक्ट कर चुका है लिहाजा इसको हटा दिया जाय।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, वह पढ़ना भी नहीं चाहते थे, गलती से उन्होंने पढ़ दिया।

श्री उमाशंकर--श्रीमन्, वह संशोधन अपनी जगह पर था और यह अपनी जगह पर है, लिहाज़ा इसको रखा जा सकता है। यह जो मतलब रखता है इसको आप खुद देख लीजिये, मैं गलती में नहीं हूं, गलत तो उस पार्टी के लोग पढ़ते हैं--

"(२) जब उपधारा (१) में लिखी गयी, मवेशियाँ मर जायं तो उनके शवों को ऐसी रीति से दफ़नाया जायगा जो राज्य सरकार नियत करेगी।"

श्रीमन्, विधेयक में रखा गया है कि वध के २४ घंटे के भीतर उपधारा (१) के अनुसार पुलिस स्टेशन को बतलाया जायगा कि हमने एक गाय जो फलां रोग से पीड़ित थी उसको मार दिया। इसका क्या मतलब होता है? अब मैं नहीं समझ रहा हूं कि गायों को न मारने के लिये तो यह विधेयक बन रहा है और उसमें गाय-वध के तमाम दरवाजे खोले जा रहे हैं? इस दरवाजे से, उस दरवाजे से वध किया जायगा तो कोई हर्ज नहीं है। इस सदन के तमाम लोगों का वक्त फ़ज़ूल खर्च किया जा रहा है और जनता का पैसा बेकार खर्च किया जा रहा है, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी! इसलिये मैंने संशोधन में साफ-साफ कहा है। अब आप अगर गाय और उसके वंशजों को नहीं मारना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि गोवंश की रक्षा हो तो इस संशोधन को मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। इसमें मैंने यह भी जोड़ दिया है कि अगर मवेशियों की दवा की आप खोज कराना चाहते हैं तो बीमारी के ऊपर ही तो प्रयोग होगा, फिर बीमार मवेशियों को अस्पताल में भर्ती करके आप खोज कराइए। म आपसे प्रार्थना करता

हूं कि आप इस पर जरा ध्यान दें। इस सदन के सामने माननीय सदस्यों ने बयान दिया है सिवा श्री शिव नारायण जी के, उनके बयान से यह साफ-साफ मालूम हो रहा है कि वे कुछ लोगों को खुश रखने की ओर ज्यादा रुजू हैं, बाकी इधर या उधर के सभी सम्मानित सदस्य इस विचार के हैं कि प्राण देकर भी गोरक्षा की जाय।

श्री शिवनारायण—आन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर सर। माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर आक्षेप किया है इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि वे अपने शब्दों को वापस ले लें।

श्री उमाशंकर—इस सदन के सदस्यों की भावना गोवंश की रक्षा से ओतप्रोत है। यहां का हर आदमी चाहे यहां बैठा हो या बाहर बैठा हो चाहता है .....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य बतलाने की कृपा करें कि कौन-सा शब्द अपमानजनक हैं ?

श्री शिवनारायण—उन्होंने कहा कि 'मैं श्री शिवनारायण की बातों की कोई कीमत नहीं समझता।' मैं इस हाउस का एक आनरेबिल मेम्बर हूं। क्या कोई सदस्य किसी मेम्बर के लिये ऐसी बात कह सकता है ? मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूं। दिस इज़ ए क्वेश्चन आफ़ डिगनिटी, यह हाउस की डिगनिटी का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री उमाशंकर से) क्या आपने कहा कि मैं माननीय सदस्य की बातों की कोई कीमत नहीं समझता ? क्या आपने उनके लिये कोई अपमानजनक शब्द कहा ?

श्री उमाशंकर—मैंने कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य विश्वास दिलाते हैं कि उन्होंने आपके लिये कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहा है। (श्री उमाशंकर से) आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री उमाशंकर—मैं कह रहा था कि इस सदन के बाहर के लोग जिनके चन्द वोटों के लिये सरकार लालायित रहती है वे भी कहते हैं, और बहुत से माननीय सदस्य भी कहते हैं .....

श्री हुकुमसिंह—क्या ये बातें होश-हवाश की हैं ? संशोधन के साथ वोट की बात लाने की क्या जरूरत है ?

श्री उमाशंकर—मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें देर न करे .....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य संशोधन पर ही बोलें।

श्री उमाशंकर—मैं कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि जिस तरह से भी हो सके गायों की रक्षा की जाय। अपनी जिन्दगी देकर अगर रक्षा की जा सके तो भी की जाय और इस में तो और दरवाजा हत्या का खोल दिया गया है। हमारा संशोधन पूर्णरूप से गौ की रक्षा करता है इसलिये उसे मानना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवेश में आकर कोई बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे तो यह देखना है कि कानून ठीक रूप से बनता है या नहीं, उसमें कोई अनुचित बात तो नहीं रह जाती। (कुछ बाधा होने पर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस तरफ़ ऐसी बातें होती हैं कि मैं क्या कहूं कुछ सुना ही नहीं जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—सदन में शांति ही रहनी चाहिये।

श्री हुकुमसिंह—अपोजीशन के माननीय सदस्यों को हक है कि वह अपनी तकरीरों की तरफ़ मिनिस्टरों की तवज्जह दिला सकें, लेकिन जब मैं बोलूं तो हमारा भी यह हक है कि वह हमारी बात को तवज्जह से और शांति से सुनें। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय उमाशंकर जी की बात मान लेता, लेकिन इस तरमीम में लफ्ज "भैंस" है "भैंसा" भी शायद हो, और इस तरह से

[श्री हुकुमसिंह]

उस में पड़िया, ओसर वगैरा सब आ जायेंगे। लेकिन धारा २ में जो परिभाषाएं हैं उनमें "गो" गौमांस, अलाभकर आदि की डेफीनिशंस हैं, लेकिन "भैंस" धारा २ में नहीं है और न उसकी डेफीनीशन है। (एक आवाज--समझ में नहीं आ रहा है।) कानून की बात जरा मुश्किल से समझ में आती है, मैं मजबूर हूं समझा सकता हूं, लेकिन समझने के लिये अक्ल नहीं दे सकता।

मैं यह कह रहा था कि जब हमने धारा २ में डेफीनीशन में यह चीज नहीं दी है तो हम यहां या किसी भी धारा में उनका प्रयोग नहीं कर सकते और अगर करते हैं तो वह बेमानी होगा। इसलिये भैंस और उसके वंश का यहां जिक्र नहीं आ सकता। सदन ने धारा २ जैसी थी वैसी ही स्वीकार कर ली है और अब उसमें हम कोई शब्द घटा बढ़ा नहीं सकते। ऐसी सूरत में अगर हम इस संशोधन को मान लेते हैं तो उसमें कानूनी अड़चनें पड़ेंगी जिनको वह समझें या न समझें और समझने की कोशिश करें या न करें यह उनको हक है। इसलिये मैं इस तरमीम को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मेरे मित्र ने बहुत सी बातें कहीं और कहा कि इस बिल को लाकर गौ हत्या के बड़े दरवाजे खोल दिये गये हैं। जब हमने असली फाटक को बन्द कर दिया तो मेरे ख्याल से ऐसा कहना बिलकुल गलत है। उन्होंने कहा कि यह बिल गौ हत्या में इजाफा करने के लिये लाया गया है, मैं समझता हूं कि उनका यह कहना सर्वथा असत्य है और कतई निर्मूल है। उन्होंने यह भी कहा कि वोट लेने की गरज से यह बिल सरकार ने पेश किया है। कल ही मैंने बहुत सफाई के साथ प्रत्यक्ष रूप से माननीय सदस्यों के सामने कहा था कि आर्थिक दृष्टि से हमारे देश के लिये गोवध निवारण अनिवार्य था, और जैसा कि हमारे कांस्टीटयूशन में भी है उसी को फालो करते हुये हम गोवध बन्द कर रहे हैं। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह बिल लाया गया है, और ५ अप्रैल सन् ५३ को ही यहां गोवध के सम्बन्ध में एक गोसम्बर्धन कमेटी नियुक्त की गयी थी और उसने बड़ी मेहनत से सारे प्रदेश में जाकर और जगह जगह जांच पड़ताल कर के एक राय हो कर गोवध को बन्द करने की सिफारिश की और उसी के आधार पर सरकार ने विचार करके उस कमेटी के यूनैनानिमस फैसले को मंजूर किया और उसी नतीजे पर आज यह बिल सदन के सामने आर्थिक दृष्टिकोण से पेश किया गया है। इसमें कोई वोट लेने का कारण नहीं हो सकता, वोट तो हम को वैसे ही बहुत मिलते हैं और मिलेंगे, क्योंकि यह वह सरकार है जिसने जनता की सेवा हमेशा से की है। जनता की सेवा इस सरकार ने की है और आइंदा करने का इरादा रखती है, नहीं तो हमारे प्रदेश की जनता इतने बहुमत में कांग्रेस पार्टी को इस सदन के अन्दर न भेजती। लिहाजा अगर घबराहट हो सकती है तो उमाशंकर जी को हो सकती है। तो इसमें इस तरफ बैठने वालों को जरा घबराहट नहीं है क्योंकि उसी पार्टी में तोड़ मरोड़ हो रही है, क्योंकि दिन ब दिन जो इधर बैठनेवाले हैं उन्हीं की तादाद में बढ़ती हो रही है। लिहाजा खतरा उन्हीं को है। हम तो जनहित की बात करते रहे हैं, करते रहेंगे, वोट मिले या न मिले जनता की सेवा करना, देश की सेवा करना, इस गवर्नमेंट का परम कर्तव्य है। इसी दृष्टिकोण से हम बिल लाये हैं। किसी एलेक्शन के डर से, किसी दबाव से न हम विधेयक लाते हैं, न लाये हैं और न लायेंगे। उमाशंकर जी जब खड़े होंगे, तो सरकार के मोटिव पर शक करेंगे, यह कहां तक मुनासिब है और बजा है? इस सरकार ने जो काम किये हैं वे खुल्लमखुल्ला डंके की चोट पर किया है किसी परदे की आड़ में नहीं किया है न करेंगे। कांग्रेस सरकार जो कुछ भी करती है उसमें किसी छिपाव की कोई गुन्जायश नहीं है। हमारे कांग्रेस के सिद्धांतों में यह नहीं, हमने किसी आंदोलन तक में कोई काम छिपाकर नहीं किया। हमेशा नोटिस निकालकर, परचे निकालकर कांग्रेस ने काम किया। लिहाजा यह सरकार भी उसी तरह से खुल्लमखुल्ला काम करती है। मैं ईमानदारी के साथ समझता हूं कि सरकार यह विधेयक जनहित के लिये, कल्याण के लिये ला रही है। अब मैं खत्म करता हूं और इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह--आधा घंटा समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--वह तय हो चुका है।

श्री उमाशंकर--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया.....

श्री हुकुमसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने यह निश्चित कर दिया था कि साढ़े तीन बजे विवाद बन्द हो जायगा और उसके बाद गिलोटिन होगा, और अब साढ़े तीन बजे हैं लिहाजा कोई भाषण नहीं हो सकता ।

श्री उमाशंकर---उपाध्यक्ष महोदय, अगर जवाब देने का अधिकार मुझे नहीं दिया जाता तो मेरे साथ अन्याय होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---आप दो मिनट में अपनी बात कह दीजिये ।

श्री उमाशंकर---मंत्री जी ने यह बताया कि यह विधेयक आर्थिक दृष्टिकोण से लाया गया है । गोसम्वर्द्धन समिति की रिपोर्ट का हवाला देकर यह बता दिया गया है कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से है तो दूध के लिये, खाद के लिये, खेती के लिये और जानवरों के लिये । और भी जानवर थे उनको भी रखना चाहिये था । दूसरी बात मंत्री जी ने कही कि बिल ने दरवाजा गोवध का बन्द कर दिया है । हमने कहा कि नहीं बन्द किया है, लेकिन असली दरवाजा तो बन्द कर दिया है लेकिन चोर दरवाजा खोल दिया है वोट के लिये ! अगर यह बात नहीं है तो और क्या बात है बताइये ? इसमें क्यों ऐसा है कि वध के २४ घंटे के बाद खबर दी जायगी । तब गो की लाश का पोस्टमार्टम होगा ? उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मुझे इस संशोधन को मान लेने में एतराज नहीं होगा अगर इसमें 'भैंस' का शब्द निकाल दिया जाता । लीजिये मैं 'भैंस' शब्द को वापस लिये ले रहा हूं लेकिन वह मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के स्थान पर निम्न लिखित रख दिया जाय---

"४---(१) राज्य सरकार बीमार गायों, भैंसों तथा उनके वंशजों के लिये मवेशी अस्पतालों में भर्ती करके उनका विधिवत् उपचार राज्य सरकार अपने खर्चे पर करेगी और उन पर चिकित्सकीय अन्वेषण करायेगी ।

(२) जब उपधारा (१) में लिखी गयी मवेशियां मर जायं तो उनके शवों को ऐसी रीति से दफनाया जायगा जो राज्य सरकार नियत करेगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (क) की पंक्ति २ के शब्द "रोग से" के बाद के शब्द निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "किसी सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा पीड़ित प्रमाणित कर दी गयी हों अथवा" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१४
विपक्ष में---७०)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) का भाग (क) निकाल दिया जाय ।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी ।)

श्री हुकुमसिंह---क्या गिलोटिन में डिवीज़न भी काल किया जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि डिवीजन तो काल कर सकते हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि समय बचाने के लिये घंटी वगैरह बजाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथज उठाकर विभान होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१६
विपक्ष में---७० ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ के पूर्ण विराम के स्थान पर कामा लगा दिया जाय और उसके पश्चात् निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं —

"जब कि वध उन शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार किया जाय जो नियत की जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"(२) उपधारा (१) के खंड (क) में वर्णित कारणों वश गाय का वध किये जाने से पूर्व यह आवश्यक होगा कि वध करने अथवा करवाने वाले व्यक्ति नियत अधिकारी से लिखित आज्ञा प्राप्त कर लें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७९
विपक्ष में—१०)

खंड ५

गोमांस बेचने का प्रतिषेध।

५—यहां पर दिये गये अपवाद को छोड़कर तथा समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति सिवाय ऐसे चिकित्सकीय प्रयोजनों के निमित्त जो नियत किये जायं किसी भी रूप में गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ न बेचेगा और न बेचने के लिये प्रस्तुत करेगा और न बिकवायेगा।

अपवाद—वायुयान के अथवा रेलवे ट्रेन के वास्तविक (bonafide) यात्री द्वारा उपभोग के लिये कोई भी व्यक्ति गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ बेच सकता है तथा भोजनार्थ प्रस्तुत कर सकता है अथवा बिकवा और भोजनार्थ प्रस्तुत करवा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ की पंक्ति १ के शब्द "यहां" से लेकर पंक्ति २ के शब्द "कोई" से पूर्व के शब्द निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ की पंक्ति ४ और ५ के शब्द "न बेचने के लिये प्रस्तुत करेगा और न बिकवायेगा" के स्थान पर शब्द "न परिवहन करेगा न बेचने अथवा परिवहन के लिये प्रस्तुत करेगा और न बिकवायेगा अथवा परिवहन करवायेगा" रख दिये जायं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैंने इस संशोधन में एक संशोधन दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—यह थोड़ी देर पहले ही आया है इस पर मैं सदन की अनुमति लेना चाहता हूं। यदि किसी को विरोध नहीं है तो यह ले लिया जायगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--संशोधन में संशोधन हर समय किया जा सकता है। इसमें अनुमति लेने का कोई सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---वह इस प्रकार है--

श्री बसन्तलाल शर्मा के संशोधन में शब्द "न परिवहन" के पहले शब्द "न रखेगा" जोड़ दिये जायं।

प्रश्न यह है कि उपस्थित संशोधन में शब्द "न परिवहन" के पहले शब्द "न रखेगा" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ की पंक्ति ४ और ५ के शब्द "न बेचने के लिये प्रस्तुत करेगा और न बिकवायेगा" के स्थान पर शब्द "न परिवहन करेगा न बेचने अथवा परिवहन के लिये प्रस्तुत करेगा और न बिकवायेगा अथवा परिवहन करवायेगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि "खंड ५ का अपवाद निकाल दिया जाय"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

६---राज्य सरकार अथवा जब भी राज्य सरकार ऐसा आदेश दे, कोई संस्थाओं स्थानिक आधिकारिकी (local authority) अलाभकर (uneconomic) की स्थापना। गायों की देखभाल के लिये आवश्यकतानुसार संस्थायें स्थापित कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"६---राज्य सरकार के आदेशानुसार सांस्पर्शिक (contagious) अथवा सांसर्गिक (Infectious) रोग से पीड़ित गायों के लिये विशेष चिकित्सालयों का प्रबन्ध रहेगा तथा उन्हें निरोग होने तक अन्य गायों से अलग रखा जायेगा।

(२) सांस्पर्शिक अथवा सांसर्गिक रोग से मृत गाय का शव (carcass) ऐसी रीति से दफनाया, जलाया अथवा निस्तारित किया जायगा, जो राज्य सरकार द्वारा नियत की जाय"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"६---राज्य सरकार अलाभकर गायों की देखभाल के लिये इस अधिनियम के प्रचलित होते ही प्रत्येक जिले में एक गोसदन स्थापित करेगी और पांच वर्ष के भीतर ही इस प्रकार के गोसदन जिलों की प्रत्येक तहसील में स्थापित करने की भी व्यवस्था करेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१२
विपक्ष में---६९।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"६--राज्य सरकार और राज्य सरकार द्वारा आदेश दिये जाने पर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी (local authority) अलाभकर (uneconomic) गायों की देखभाल के लिये आवश्यकतानुसार संस्थायें स्थापित करेगा" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खंड ६-क

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के बाद नया खंड ६-क निम्न रूप में रख दिया जाय--

"६-क--राज्याधिकारी अलाभकर गायों को जो किसी रोग से पीड़ित नहीं हों पालन हेतु इच्छुक व्यक्तियों को प्रदान करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ --

पक्ष में--९

विपक्ष में--६५ ।)

खण्ड ७

परिव्ययों अथवा शुल्कों का आदेय (levy) किया जाना ।

७--राज्य सरकार अथवा स्थानिक आधिकारिकी जैसी भी दशा हो, संस्थाओं में अलाभकर गायों को रखने के निमित्त ऐसा परिव्यय अथवा शुल्क आदेय (levy) कर सकती है जो नियत किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ की पंक्ति १ में शब्द "आधिकारिकी" के स्थान पर शब्द "प्राधिकारी" रख दिया जाय ।

श्री हुकुमसिंह--एक बात मैं कह देना चाहता हूं अपने मित्र से कि ६ में वही लफ्ज रखा गया है और ६ में तरमीम नहीं हुयी । तो यहां अगर यह रखा जायगा तो बड़ा भ्रम हो जायगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मुझको भी बोलने की इजाजत मिलनी चाहिये ।

श्री हुकुमसिंह--अच्छा तो जो कुछ मैंने कहा वह मैं वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ की पंक्ति १ में शब्द "आधिकारिकी" के स्थान पर शब्द "प्राधिकारी" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खंड ७-क

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के बाद नया खंड "७-क" निम्न रूप में रख दिया जाय--

"७-क--राज्य के सार्वजनिक एवं सामूहिक हित सम्पादनार्थ प्रत्युक्त संस्थाओं को छोड़कर अन्य खोले जाने वाले संस्थाओं के लिये क्षेत्रीय परिव्यय नियत किया जावेगा, जैसी भी दशा एवं आवश्यकता हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ८

८—(१) जो कोई भी व्यक्ति धारा ३ अथवा ५ के उपबन्धों का उल्लंघन करे अथवा उल्लंघन करने का प्रयास करे अथवा उल्लंघन का प्रवर्तन (abet) करे तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा जो कठिन कारावास के दंड द्वारा जो दो वर्ष तक का हो सकता है अथवा अर्थदंड द्वारा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों द्वारा दंडनीय होगा । शास्ति (penalty)।

(२) जो कोई भी व्यक्ति धारा ४ की उपधारा (२) में वर्णित रीति से तथा समय के भीतर सूचना प्रस्तुत न करे तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा जो साधारण कारावास के दंड द्वारा जो एक वर्ष तक का हो सकता है अथवा अर्थदंड द्वारा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों द्वारा दंडनीय होगा ।

(३) उपधारा (१) अथवा उपधारा (२) के अधीन दंडनीय अपराधों पर विचार (trial) करते समय इस बात को सिद्ध करने का भार (burden of proving) कि वध की हुयी गाय धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) में निर्दिष्ट वर्ग की थी, अभियुक्त पर होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ के शब्द "जो" और शब्द "वर्ष" के बीच के शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "सात" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—३
विपक्ष में—७१ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ के शब्द "अथवा" के स्थान पर शब्द "व" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ के शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—अभी एक संशोधन का नोटिस दिया गया है, वह मैं सदन के सदस्यों की राय के लिये जान लेना चाहता हूं कि किसी को एतराज तो नहीं है । वह इस प्रकार है —

"खंड ८ के उपखंड (१) की सतर ४ में शब्द "१००० रुपये" की जगह शब्द "५०० रुपये" रख दिये जायं ।"

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर कांस्टीट्यूशनल आब्जेक्शन यह है कि यह अमेंडमेंट इन टाइम नहीं आया है । यह आउट आफ आर्डर है और हाउस के सामने आ नहीं सकता है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—यह संशोधन किसका है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह शाहिद फ़ाख़री साहब का है । तो मैं इसे पेश नहीं कर सकता हूं ।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री—मैं इसे पेश करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं, क्योंकि एतराज किया गया है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री--आप राय तो ले लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--राय कैसे लूंगा । कायदा यह है कि २४ घंटे पूर्व संशोधन आना चाहिये । लेकिन आपने अभी बताया है । अगर कोई एतराज नहीं करता तो मैं राय लेता । क्योंकि एतराज हो गया है, इसलिये राय लेने से मजबूर हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति १ के अंक "४" से लेकर पंक्ति ३ के शब्द "कारावास" के बीच के शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "की अवहेलना करेगा वह कठोर" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "पांच" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ का उपखंड (३) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ९

अपराध हस्तक्षेप्य (cognizable) तथा अप्रतिभाव्य (non-bailable) होंगे ।

९--कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ में किसी बात के होते हुये भी, धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन दंडनीय अपराध हस्तक्षेप (cognizable) तथा अप्रति भाव्य (non-bailable) होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ की पंक्ति ३ के शब्द "तथा अप्रति भाव्य होंगे" के स्थान पर शब्द "होगा" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--७

विपक्ष में--७४ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १०

नियम बनाने का अधिकार ।

१०--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) पुर्वोक्त अधिकारकी व्याप्ति को न बाधित करते हुये, ऐसे नियम निम्नलिखित: की व्यवस्था कर सकते हैं--

(क) दशायें तथा परिस्थितियां जिनमें धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन गायों का वध किया जायगा,

(ख) रीति जिससे धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन रोग विज्ञापित किये जायेंगे,

(ग) रीति जिससे धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन सूचना प्रस्तुत की जायगी,

(घ) रीति जिससे तथा प्रतिबन्ध (conditions) जिनके अधीन गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ धारा ५ के अधीन बेचे जाएं अथवा बेंचे और भोजनार्थ प्रस्तुत किये जायं,

(ङ) धारा ६ में अभिदिष्ट संस्थाओं के अधिष्ठान (establishment), रखरखाव, प्रबन्ध पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण से सम्बद्ध विषय,

(च) इस अधिनियम के अधीन अधिक्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा आधिकारिकी के कर्त्तव्य, ऐसे अधिकारी अथवा आधिकारिकी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और

(छ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) का भाग (क) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० के उपखंड (२) का भाग (ग) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, इसी खंड में मेरा संशोधन १०२-ख रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष--खंड १० पर तो मैं राय ले चुका हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि आइटम्स १०२-क, १०२-ख और १०२-ग यह खंड १० से सम्बन्ध रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझा इस बात को। लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य खड़े हो जाते तो मैं राय ले लेता। अब खंड १० पास हो चुका है। उस समय एतराज हो सकता था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम ही नहीं लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी कारण से मैंने माननीय सदस्य का नाम भी नहीं लिया तो भी माननीय सदस्य खड़े हो सकते थे और उस पर राय ले ली जाती। लेकिन आप खड़े नहीं हुये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जब मेरा नाम ही नहीं लिया गया तो .....

श्री उपाध्यक्ष--जब किसी वजह से आपका नाम नहीं लिया गया तो आप उस समय खड़े हो सकते थे और राय ले ली जाती।

श्री जगन्नाथ मल्ल--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि अगर टाइपिंग की गलती से किसी माननीय सदस्य का संशोधन नहीं लिया जा सका तो क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष--मैं अपनी राय दे चुका हूं। खंड १० पर मैंने राय लेने के लिये मौका दिया और किसी वजह से मैंने किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया तो भी उन्हें अधिकार था और वह खड़े हो सकते थे, लेकिन वह खड़े नहीं हुये। इसलिये यह समझा गया कि वह इसे स्वीकार कर चुके हैं और मैं उस पर रूलिंग भी दे चुका हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस सदन में यह परम्परा कायम हो चुकी है कि अगर किसी माननीय सदस्य का संशोधन नहीं लिया जा सका तो माननीय मंत्री जी की स्वीकृति से उस पर सदन की राय ली जा सकती है। जमींदारी उन्मूलन विधेयक में माननीय मौर्य जी के इसी तरह के कई संशोधन आये, इसलिये अगर माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करते हैं तो इसको लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य का ध्यान नियम १७८ (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें मेरा डिसक्रीशन था कि मैं पहले संशोधन पेश करता या मूल धारा को। इस नियम के (२) में साफ लिखा है कि "It shall be in the discretion of the Speaker to put first to the vote either the original motion or any of the amendments which may have been brought forward." इसके अनुसार मैं कामकर चुका हूं और मैं समझता हूं कि अब माननीय सदस्य जिद नहीं करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने बतलाया कि आप इस क्लाज को पास कर चुके हैं तो यह आपके पावर के बाहर की बात है लेकिन यदि माननीय मंत्री जी स्वीकार करें तो इस पर हाउस की राय ली जा सकती है क्योंकि हाउस सुप्रीम है।

श्री उपाध्यक्ष--यह कैसे मालूम हो सकता है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय मंत्री जी की राय जान ली जाय।

श्री हुकुमसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, अब जब कि बात हो गयी तो कोई सवाल नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का सवाल खत्म हो गया होगा।

खंड १

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (१) को निम्नरूप में रख दिया जाय--

"(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गो तथा भैंस वध निवारण अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में गाय तथा गाय के वंश के बध का प्रतिषेध (prohibit) तथा निवारण (prevent) किया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है --

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना की पंक्ति २ के शब्द "प्रतिषेध" के पहले शब्द "अविलम्ब" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५

उत्तर प्रदेश में गाय तथा गाय के वंश के वध के प्रतिषेध (prohibit) तथा निवारण (prevent) करने का

विधेयक

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ पारित किया जाय।

मैं इस सदन के सारे माननीय सदस्यों का जो उस तरफ बैठे हैं और इस तरफ बैठे हैं जिन्होंने इस विधेयक पर बहुत सहानुभूति, सावधानी और शान्ति के साथ विचार किया है और बड़ी गम्भीरता से बातें की हैं और मेरी पूरी तरह से सहायता करके इस विधेयक को पास किया है, मैं उनका बहुत ऋणी हूं और देश की जनता भी आप सबकी इस कुशल कार्य के लिये प्रशंसा करेगी।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह गोवध निवारण विधेयक पास हो रहा है। सदन के माननीय सदस्यों को जिस रूप में इसको पास करना चाहिये था उस रूप में और उस ढंग से यह पास नहीं हुआ। जैसा कि संशोधनों को देखने से मालूम होता है, इसमें १०६ संशोधनों में से २४ संशोधनों पर विचार किया गया और १० खंडों में से ३।। खंडों पर विचार किया गया। तो अभी जिस प्रकार से गोमाता को फांसी दी जाती थी उसी प्रकार से यह गिलोटीन किया गया है। यह हमारे लिये बड़े दुख की बात है। अधिक अच्छा यह होता कि इस बिल पर पूर्णरूप से माननीय सदस्य विचार कर सकते। अधिक विचार करने पर यह बिल अधिक उपयोगी बन सकता था। फिर भी अंग्रेजी में एक कहावत है कि "Something is better than nothing" जिस रूप में यह बिल पास होना चाहिये था, उस ढंग से नहीं हुआ परन्तु फिर भी मुझे आशा है कि गऊ के साथ जो अन्याय अभी तक होता आया है इस बिल से कम से कम उसकी रक्षा हो सकेगी।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि इस बिल से सम्बन्धित जब नियम बनाये जायें तो उनको इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखा जाय, ताकि माननीय सदस्य उन पर विचार कर सकें और गऊ के साथ जो अभी तक व्यवहार होता आया है उसके सम्बन्ध में विचार कर सकें।

(इस समय ४ बज कर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री रणंजयसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल आज किसी प्रकार से पारित हो रहा है इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मुझे बहुत हर्ष है यद्यपि इसमें विलम्ब कुछ हुआ किन्तु सरकार ने इस पर बहुत विचार किया। इसमें बहुत से संशोधन रखे गये, लेकिन सरकार की जो कठिनाइयां होती हैं उनको भी मैं समझता हूं। अधिक विचार करना अच्छा है और सरकार का इसके लिये हृदय शुद्ध है और सरकार ने जो गोवध प्रतिबन्ध के लिये यह कार्य किया है मैं अन्त में सरकार को पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गोवध निवारण बिल जो इस सदन ने पास किया है और जिसे सरकार ने गोसंवर्धन कमेटी की रिपोर्ट के एक अंश को लेकर प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। एक बात जो सदन में इसकी बहस के दौरान में बिलकुल स्पष्ट रूप में आई वह यह है कि इस सदन के कोई एक भी

[श्री कृष्णशरण आर्य]

माननीय सदस्य इस बात के पक्ष में नहीं थे कि गोवध बन्द न किया जाय यद्यपि यह दूसरी बात है कि उसके रूप में लोगों में मतभेद रहा हो। इसके लिये मैं समझता हूं कि सारा सदन बधाई और धन्यवाद का पात्र है। जिस शुद्ध इच्छा के साथ सरकार ने यह विधेयक पास किया और हम सब ने पास किया मैं समझता हूं कि सारे प्रदेश की जनता भी उसी शुद्ध बुद्धि के साथ इस कानून को सफल बनाने का प्रयास करेगी। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

† श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री--जनाब स्पीकर साहब, आज यह बिल पास हो गया है और बहुत जल्द सारे सूबे में नाफ़िज़ हो जायगा। मैंने गौर से देखा कि २, ३ दिन के अन्दर जिस अन्दाज़ से इस पर बहस हुई, क़रीब-क़रीब हर मुक़र्रर ने इसके मुताल्लिक़ यह कहा कि यह बहुत अहम बिल है और बहुत ही गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार किया जायगा। गो उस गम्भीरता की फिज़ा आखिर में नहीं रही। हमारे दोस्त बैठे हुये हैं और जिस हंसी, मज़ाक़ और तक़रीह से यह बिल पास किया गया उसमें गुस्से की कोई फिज़ा न थी, इस बात की मुझे खुशी है। हम समझते हैं कि जो अहम चीजें इस बहस के दौरान में रह गई हैं उन पर दोबारा गौर कर के इसलाही क़दम उठाया जायगा। मैं अपने पुराने साथी और दोस्त आनरेबिल ठाकुर हुकुमसिंह की तकरीर से समझा कि उन्होंने कल अपनी तक़रीर में मुझे मेरे बाज़ दोस्तों से नाम लेकर लड़ाने की कोशिश की, लेकिन आज मुझे खुशी है कि वह फ़िज़ा बाक़ी नहीं रही। अगर वह एक तरफ़ इस बिल को पास कराने में कामयाब हुए तो दूसरी तरफ़ वह कामयाब नहीं हो सके। इसकी मुझे खुशी है। यह ऐसा क़ानून है जिस पर हमें सन्जीदगी के साथ अमल करना है। मैं आप के ज़रिये अपने तमाम दोस्तों से अर्ज़ करूंगा कि आगे चल कर गवर्नमेंट को यह काम करना है कि बाहर जो रिवाज चल रहा है, आपने कितने भी एलानात यहां किये हैं, लेकिन क़ानून के अल्फ़ाज़ पर काम होता है, यहां की स्पीचेज़ पर नहीं। मैंने चाहा था कि आप चाहे सज़ा और बढ़ा दें, लेकिन जुर्माना ५०० रुपये कर दें और मिनिस्टर साहब ५०० करने को तैयार भी हो गये थे मगर वह चीज़ पास न हो सकी। मुझे यक़ीन है कि अगर आपकी मशीनरी आपकी पुलिस इसका ठीक तौर से इस्तेमाल नहीं करेगी तो आप इसमें बदनाम होंगे। जब आपने एक बड़े तबक़े की तरजुमानी की है तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि यह भी आप का फ़र्ज़ होगा कि आप यह देखें कि कसूर करे एक शख्स और पकड़े जावें १०, कहीं ऐसा न हो जैसा कि आज से ५, ६ दिन पहले हुआ था। मैं समझता हूं कि आप इस मौजूदा बढ़ती हुई तलखी को, जिसका खतरा इस क़ानून से है रोक सकेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारी मशीनरी जोश से आगे बढ़ने की कोशिश न करे। मैं सोचता था कि कोई ज़ाती तौर से भी तलखी होगी, मगर मुझे खुशी है कि किसी क़िस्म का कोई गुस्सा नहीं था। यह फ़िज़ा क़ानून के हक़ में कुछ मुज़िर हो तो हो, लेकिन आपस के ताल्लुक़ात के सिलसिले में तो अच्छी साबित होगी।

श्रीमती लक्ष्मीदेवी (जिला हरदोई)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना शुभ काम हमने आज किया है ऐसा ही शुभ कार्य हमारे इस सदन में सदैव होता रहे यह कामना है। हमारे हृदय में कष्ट होता रहता था। आज हमने यह गोवध निवारण क़ानून पास करके उसे दूर किया है और उस कलंक से हम मुक्त हुये हैं। आज का दिन खुशी का दिन है। हमारे देश में अहिंसा का प्रचार है और महात्मा जी अहिंसा को लेकर चले थे। हमारे देश का यही गौरव सदा से रहा है कि सर्वजीव रक्षित रहें, लेकिन वह मूक पशु जो अपनी दुःख तकलीफ़ हमसे नहीं कह सकता था वह इस तरह से मारा जाता था कि जिससे हमको तक़लीफ़ होती थी। मैं समझती हूं कि हर तबक़े के लोग इस बात को पसन्द करते हैं कि अपने किसी छोटे से स्वार्थ के लिये ऐसे उपयोगी पशु का वध ठीक नहीं है। यह देश कृषि प्रधान देश है और जो

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूध और घी हमको मिल सकता था हम उससे हाथ धो बैठते थे। जिस देश में घी और दूध की नदियां बहती थीं उसमें हम आज अपने बच्चों को दूध भी नहीं दे सकते और उनके लिये बाहर से दूध आकर बांटा जाता है। हम समझते हैं कि इस क़ानून से हमारे पशुधन की बड़ी तरक्क़ी होगी और वह मूक पशु हृदय से सरकार को आशीर्वाद देंगे। मैं मिनिस्टर साहब को बधाई देती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वह हमारी सरकार को ऐसी ही सदैव बुद्धि दे, ताकि हमारे देश में पशुधन बढ़े, और हमारी कृषि बढ़े और हमारे बच्चे ताक़तवर और विद्वान हों। इतना कह कर मैं अपनी सरकार को और इस सदन को एक बार फिर धन्यवाद देती हूं, जिसने ऐसा विधेयक पास कर के एक बहुत बड़ी कमी को पूरा किया है।

श्री हुकुमसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री ज़ोरावर जी वर्मा ने एक बात कही कि यह विधेयक ऐसा है, जिसे गिलोटिन कम से कम नहीं करना चाहिये था और हाउस जिस रूप में इसे पास करना चाहता था उस रूप में पास नहीं कर सका। परामर्श दात्री समिति ने साढ़े तीन दिन इस बिल के लिये रखे थे और उस से १ मिनट भी कम इसमें नहीं लागया गया। यदि ज़ोरावर जी केवल ज़रूरत के मुताबिक़ ही हर खंड और संशोधन पर समय लेते तो शायद गिलोटिन की नौबत भी नहीं आती। जब समय का ठीक से उपयोग नहीं किया जाता है तो ऐसा करना ही पड़ता है कि जो समय परामर्शदात्री समिति ने नियत किया है उसके अन्दर बिल को खत्म करना लाज़िमी था। इसलिये इसमें न सरकार का और न किसी माननीय सदस्य का क़सूर है। ज़ोरावर जी वर्मा ने अपनी लम्बी तक़रीर दी जो अनावश्यक थी और उसमें अधिक समय लगने से गिलोटिन की नौबत आई। फिर एक बात यह कहना कि हाउस जिस शक्ल में पास करना चाहता था, पास न कर सका। हाउस की सुप्रीम अथोरिटी है उसके सामने सब को सिर झुकाना पड़ता है, इसलिये हाउस जिस शक्ल में पास करना चाहता था उसी शक्ल में उसने पास किया है किसी दूसरी तरह पास नहीं किया है और न किसी को ऐसा करने का अधिकार था। इसलिये यह सोचने की बात है कि यह कहना कहां तक ठीक था कि हाउस यह चाहता था और पास ऐसा हुआ। यह हाउस के ऊपर लांछन है।

मैं अपने दोस्त फाखरी साहब को भी मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने आज बड़ी सावधानी के साथ इस विषय में बातचीत की। उन्होंने एक छींटा तो ज़रूर दिया, लेकिन वह छींटा ऐसा था जिसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आज हाउस ने हंसी खुशी से सब बातों को तय किया है इसलिये उसका जवाब देना आवश्यक नहीं समझता।

मैं इस सदन का फिर आभारी हूं, सदन के सभी माननीय सदस्यों, प्रेस तथा जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है तथा माननीय अध्यक्ष का भी मैं बड़ा आभारी हूं जिन्होंने हमें इस विधेयक को यहां पेश करने का मौक़ा दिया और बहुत ही शांतिमय तरीके से यह विधेयक यहां पास हुआ। अतः मैं इस सदन का बड़ा आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५

† **न्याय मंत्री (श्री सैयद अली ज़हीर)**---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

जैसा माननीय सदस्य देखेंगे इस विधेयक में सिर्फ एक नियम है, उसके जरिये से जो दफा १९१ कांस्टीट्यूशन की है उसके असर को जाया करने की कोशिश की गयी है। दफा १९१ जो कांस्टीट्यूशन की है उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई माननीय सदस्य किसी ऐसी जमाअत का मेम्बर होगा जो आफिस आफ प्राफिट कहलाया जा सके तो वह मेम्बर असेम्बली का नहीं रह सकता, अगर रहेगा तो उसकी वजह से ये-ये नतायज निकलेंगे।

एक ऐक्ट एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट पास हुआ था उसकी दफा ३ या ४ में यह लिखा हुआ है कि जो एम्प्लाईज स्टेट कार्पोरेशन बनेगा उसके बहुत से मेम्बरान होंगे और उमूमन उस के मेम्बरान माननीय सदस्य भी होते हैं। मुमकिन है किसी वक्त यह एतराज हो कि उनके मेम्बर होने की वजह से दफा १९१ में जो मुमानियत है, उसके असर में वह आ जायं और मेम्बर असेम्बली न रहें। इस वजह से यह जरूरी हुआ कि इस किस्म का कानून यहां पेश कर दिया जाय। मुझे इसके मुताल्लिक बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। एक दफा है जिसमें यह लिखा हुआ है कि एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस कार्पोरेशन जो एम्पलाईज स्टेट कार्पोरेशन ऐक्ट, १९४८ के मातहत कायम है तो महज मेम्बर होने की वजह से असेम्बली का मेम्बर होने में उसका कोई असर न पड़े और वह मेम्बर भी रह सके, कार्पोरेशन और असेम्बली दोनों का मेम्बर रह सके, यही कानून है। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य इसको मंजूर करेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस समय सदन के सामने पेश किया गया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं, और उसके कुछ कारण हैं। कारण यह है कि एक विधान हमारा बना और संविधान में इस बात के लिये वर्जित किया गया कि जो विधान सभा के मेम्बर्स होंगे वे किसी और सरकारी कमेटीज या सरकारी बोर्ड्स वगैरह में जा कर किसी किस्म की तनख्वाह वगैरह नहीं ले सकें, और विधान में यह लिखा हुआ अवश्य है कि अगर इस किस्म के विधान सभा के मेम्बर किसी कार्पोरेशन या सरकार द्वारा स्थापित किसी और कमेटी के मेम्बर हो जायं तथा उनकी तनख्वाह या डी० ए० वगैरह दिया जाय तो वह आफिस आफ प्राफिट माना जायगा। तो जिस समय यह संविधान बना अध्यक्ष महोदय, जो संविधान को बनाने वाले लोग थे, उन्होंने इस पर काफी विचार किया और अगर इस किस्म की टेंडेंसी रोकी न जाय तो विधान सभा के मेम्बर ही सब जगह जायं चाहे कार्पोरेशन हो या दुनिया भर की जितनी कमेटीज हों उन सब में जाने के लिये विधान सभा के मेम्बर्स की काब्लियत रखते हैं तब तो कांस्टीट्यूशन से इस क्लाज को हटा देने की ही सिफारिश करनी चाहिये। क्योंकि इसके रहने से फायदा ही क्या है? कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल १९१ (१) में लिखा हुआ है—

"If he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder."

तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की सिफारिश होनी चाहिये ताकि कोई भी असेम्बली का सदस्य आफिस आफ प्राफिट के अन्दर न आवे और चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, अगर असेम्बली के मेम्बर खड़े हों तो उसके लिये वे ही हो सकते हैं। क्या जरूरत है इस चीज को रखने की? मेरा तो कहना यह है कि जहां तक विधान सभा के माननीय सदस्य के एक्सपीरिएंस की बात है अगर उसका फायदा कार्पोरेशन वगैरह उठाना चाहते हैं तो वे वहां जाकर उसको एडवाइस दे सकते हैं, उनके ऐडवाइजरी बोर्ड में रह सकते हैं। क्या यह जरूरी है कि विधान सभा के सदस्य अपनी भी तनख्वाह लें और वहां जाकर भी तनख्वाह लें? कोई कार्पोरेशन हो या कोई और कमेटी हो और वहां जाकर भी तनख्वाह तथा डी० ए० व टी० ए० आदि लेने की जो टेंडेंसी है उसको हमें रोकना

चाहिये। ऐसे तो आप की मेजारिटी है, आप जो चाहेंगे वह पास तो कर ही लेंगे और उससे हमको भी फायदा होगा, क्योंकि पैसा सभी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा नहीं लगता है। हम लोग भी विधान सभा के मेम्बर हैं, हो सकता है कि कभी हमारी पार्टी के भी कोई सदस्य उन कमेटीज या कार्पोरेशन में चले जायं, तो वे भी उससे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हम तो इस टेंडेंसी को ही चेक करना चाहते हैं कि उसकी रोकथाम करनी चाहिये। हमारे देश के अन्दर और भी बहुत से आदमी हैं जो पढ़े-लिखे हैं, विद्वान हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं जो विधान सभा के मेम्बर नहीं हैं उनको हम उन कार्पोरेशन तथा कमेटीज में भेजने के लिये कह सकते हैं और उनको हर तरह से समझा सकते हैं तथा उनको सहायता दे सकते हैं। अगर हम इसको पास नहीं करते हैं तो जो ऐसी कमेटीज कार्पोरेशन आदि बनेंगे उनमें ऐसे लोग न जा कर ऐसे लोग जायेंगे जो पहले से ही विधान सभा के मेम्बर की हैसियत से तनख्वाह आदि ले रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं इस टेंडेंसी को रोकना चाहता हूं कि हर कमेटीज में विधान सभा के मेम्बरों को ही रहना चाहिये। मुझे आशा है कि इस सदन के माननीय सदस्य इसको स्वीकार नहीं करेंगे।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फ़ैजाबाद)—मान्यवर, मैं प्रस्तुत विधेयक का विरोध करने के हेतु खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज इस सदन के समक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह यह है कि इस विधान सभा के सदस्य इस कार्पोरेशन में रह कर और भी स्थान ग्रहण करते हुये जो आर्थिक रूप में लाभप्रद हों, वे अपने को डिसक्वालिफाई न करा सकें। मान्यवर, यह वास्तविकता है कि भारतीय संविधान में इस बात के लिये प्रतिबन्ध लगाया गया है कि जो विधान सभा के सदस्य हैं वे अलावा उनकी जो तनख्वाह या एलाउन्सेज इस विधान सभा से मुकर्रर हों, नियत हों और किसी दूसरी तरफ कोई लाभ न उठा सकें। आफिस आफ प्राफिट, यह एक ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में बहुत से इन्टरप्रिटेशन हो चुके हैं और एक बहुत ही विवादग्रस्त प्रश्न है। इस समय यह सोचना कि हम उनको इस तरह से बचावें और डिसक्वालिफाई होने से रोकें, मैं तो माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें कि जो काम वह विधान सभा के सदस्यों द्वारा कार्पोरेशन्स, कमेटियों या बोर्ड्स में कराना चाहते हैं वह तो कोई मेम्बर बगैर वेतन लिये भी कर सकता है और ऐसी कौन सी बात सरकार के सामने आ पड़ी है, कौन सी ऐसी मुश्किल या दिक्क़त सरकार को है, जिसके कारण इस बिल का लाना उसके लिये अनिवार्य हुआ कि वह बोर्डों या कमेटियों में रहें? तो क्या यह उचित न होगा कि जब एक जगह हम वेतन और भत्ता वगैरह पाते हैं तो सेवा की भावना से कुछ दूसरों के हित के लिये भी अपने में रखें और अगर हमें कुछ न मिले तो हमें उसमें कोई आपत्ति न करना चाहिये, बल्कि हमें ऐसी प्रणाली स्थापित करना चाहिये कि जिससे भविष्य में कोई इसका भयंकर रूप न हो सके और किसी तरह से कानून का दुरुपयोग न हो सके। इसलिये उचित यही है कि माननीय मंत्री जी इसको वापस ले लें।

मुमकिन है कि उनके कुछ माननीय सदस्य अच्छी जगहों पर पहुंच गये हों और वह डरते हों कि अब जब कि वह मेम्बर हैं तो ऐसी हालत में वह डिसक्वालिफाई न हो जायं, उनकी हिफाजत के लिये मंत्री जी ने यह बिल प्रस्तुत किया हो। यह एक पहलू है जिसकी वजह से उनको दिक्क़त हो सकती है, लिहाजा मेरे कहने से वह इसको वापस ले लें। मैं समझता हूं कि इसका कोई असर उन पर न पड़ेगा। मान्यवर, मुझे इस विषय में केवल एक बात और कहनी है और वह यह है कि कहीं लोगों के दिमाग में यह गलतफहमी पैदा न हो, जैसा कि माननीय मदनमोहन जी ने कहा था कि लोग यह समझें कि जब हम असेम्बली में आते हैं तो आमदनी या मुनाफे के खयाल से ज्यादा परेशान रहते हैं बमुकाबिले किसी तरह की खिदमत के। इसलिये मंत्री जी को समझने में कोई दिक्क़त न होनी चाहिये और मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह सब चीजें अपनी हद से आगे बढ़ती जायंगी तो हो सकता है कि इस तरह की गलतफ़हमी हमारे बारे में पैदा हो। इन्हीं कारणों से मैं इस बिल का विरोध करता हूं, आशा है मंत्री जी इस पर गौर करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मुझे दुख है कि माननीय मदनमोहन जी ने और राजा अवधेशप्रताप सिंह जी ने इसके अर्थ को नहीं समझा और माननीय मदनमोहन जी ने तो कुछ ऐसी बातें कहीं जो मेरे खयाल से सदन की शान के खिलाफ थीं। इस बिल का एक कानूनी पहलू है, आफिस आफ प्राफिट का एक ऐसा मसला है जो अकसर अदालतों में आता रहता है और यह एक जटिल समस्या अकसर बन जाता है कि कोई स्थान आफिस आफ प्राफिट है या नहीं। लेकिन इसके साथ-साथ एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि कोई स्थान आफिस आफ प्राफिट है तो उसके लिये यह लाजिमी नहीं है कि उसमें कोई तनख्वाह या रुपये लिये जायं। यदि कोई आफिस आफ प्राफिट है और इस सदन के सदस्य उसमें जाते हैं तो वे रुपया न भी लें तो तब भी वे डिसक्वालिफाई हो जायेंगे और वैधानिक डिस्क्वालिफिकेशन उसी दिन से शुरू हो जायेगी, जिस दिन से उन्होंने पद-ग्रहण किया है और उसका क्या नतीजा होगा वह भी कांस्टीट्यूशन में है। तो यह आवश्यकता हो जाती है कि इस शक को दूर किया जाय। एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंश कार्पोरेशन एक ऐसी चीज है। सम्भव है कि उसमें इस सदन के सदस्य भी होंगे। यह जरूरी नहीं है कि इसको परवरिश का एक सीगा बना दिया जाय जैसा उन्होंने कहा। अगर वह यह समझते हैं कि इस सदन के सदस्य इसी काबिल हैं कि कुछ इधर-उधर के तोहफे उनको मिल जाया करें और वह प्रसन्न हो जाया करें तो मैं कहूंगा इस सदन के सदस्यों का मूल्य उन्होंने बहुत कम आंका है। कहीं-कहीं यह जरूरी हो जाता है कि इन कार्पोरेशनों में इस सदन के सदस्य रहें तो उसके साथ-साथ यह भी आवश्यक हो जाता है कि अगर किसी प्रकार का शक डिस्क्वालिफिकेशन का आता है तो वह यहां विधेयक से दूर कर दिया जाय। जैसा मैंने निवेदन किया कि अगर यह यहां साफ किया जायगा और अगर बाद में यह मामला सामने आया तो सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा कि अमुक सदस्य ने रुपया लिया। अगर किसी कारण से वह आदमी इस सदस्यता में आता है तो उसके आने से ही वह डिस्क्वालिफाई हो जायगा। अगर वह आफिस आफ प्राफिट माना गया। मैं यह निवेदन करूंगा कि उसके साथ अगर कुछ एलाउन्स है या उजरत की शक्ल में कुछ रखा गया है तो वह एक छोटी सी बात है। पहले तो यहां उसी शक को रफा किया जाय और यह सदन इस वक्त इस विधेयक के जरिये से इसी बात पर गौर कर रहा है कि अगर वह शक होता है तो दूर कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। जैसा मेरे मित्र काटजू साहब ने कहा कि यह बहुत छोटा सा बिल है और विशेष वाद-विवाद की बात नहीं है। एक कानूनी प्वाइंट था उसको साफ करने के लिये यह विधेयक जरूरी है। माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि एम०एल०ए० साहबान को कार्पोरेशन वगैरह से दूर रखें तो ज्यादा सुन्दर हो। तो इस बिल में यह नहीं लिखा है कि एम०एल०ए० साहबान मेम्बर बनाये ही जायेंगे। सिर्फ एक एहतियात है कि अगर इत्तिफाक से कोई मेम्बर बन ही जाय तो यह अंदेशा न रहे कि उनकी सदस्यता को आफिस आफ प्राफिट मान लिया जाय इसी शक को दूर करने के लिये यह विधेयक है।

एक साहब ने कहा कि इसमें दलबन्दी की गुंजाइश है। श्रीमन्, एम० एल० एज० तो इस पार्टी के भी हैं और उधर के भी हैं। हो सकता है कि इस कार्पोरेशन के मेम्बर अवधेश-प्रताप सिंह जी ही हो जायं। वह तो हमारी पार्टी के नहीं हैं इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है, न इस पार्टी का न अपोजिट पार्टी का। सिर्फ एक संदेह को दूर करने के लिये यह बिल पेश किया गया है। यूं तो एक नियम ऐसा भी है जिसमें यह लिखा हुआ है कि चेयरमैन और प्रेसीडेंट के पद आफिस आफ प्राफिट नहीं है। तो उसमें सदस्य भी आ जाते हैं। लेकिन शायद उसमें नहीं आवें इस बात पर कानूनी संदेह था उसी को साफ करने के लिये यह विधेयक है। मैं उपाध्याय जी से कहूंगा कि वे जरा अपने साथियों की बाबत कुछ ओपीनीयन को और ज्यादा अच्छी बनावें, यहां के मेम्बर्स अनुभवी हैं, निपुण हैं और उनमें योग्यता भी है। वे किसी भी कमेटी या संस्था के सदस्य हो सकते हैं।

मगर उस सदस्यता के आफिस आफ प्राफिट में आने से डिस्क्वालिफिकेशन का संदेह हो सकता है, उसको साफ अवश्य कर देना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस समय हमारे सामने मौजूद है उसकी मंशा यह है कि भारतवर्ष की सरकार ने स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट बनाया और उसके अन्दर कई प्रान्तों में मजदूरों के लिये कुछ दवाखाने खोले गये और उनके स्वास्थ्य का बीमा किया गया और कुछ उनको सुविधायें दी गयीं। इस ऐक्ट के मातहत तीन तरीकों की चीजें स्थापित हुयीं। एक तो कार्पोरेशन है जिसके मेम्बरों को बोर्ड आफ ट्रस्टी कहा जाता है और अगर मुझे क्षमा किया जाय तो हमारे विरोधी दल के एक मित्र भी श्री राजाराम शास्त्री उसके ही मेम्बर थे, हम लोगों में से कोई नहीं है। दूसरे हर प्राविंस में कुछ एडवाइजरी कमेटीज बनीं, उसमें भी बिमल मेहरोत्रा साहब हैं, हम लोगों में से कोई नहीं है। इसके बाद अब जो होने जा रहा है और जिसकी सूचना सदन को देने का अधिकार मैं नहीं रखता, लेकिन मुझे इत्तिला है कि अब यह कार्पोरेशन हर प्राविंस को अलग-अलग अधिकार दे रहा है और सारी जिम्मेदारियां उस प्राविंस की होंगी और उस प्राविंस का लेबर मिनिस्टर इसका चेयरमैन होगा। इस तरीके से इसका बटवारा हर प्राविंस में हो जायगा यानी इसका विकेन्द्रीयकरण किया जा रहा है। तब जरूरत इस बात की है, चूंकि इस तरह का कार्पोरेशन कुछ विशेषज्ञों का होता है और मुझे इस बात के कहने में गर्व है कि श्रम विभाग एक विशेषज्ञों का विभाग है, यही कारण है कि इसमें कार्य करने वाले बहुत थोड़े हैं और जो हैं वह काफी अपने विषय में जानकारी रखते हैं और उनकी आवश्यकता इसमें होगी। ऐसी दशा में मैं अपने मित्र उपाध्याय जी से प्रार्थना करूंगा कि अब तक किसी दूसरे ने इससे लाभ नहीं उठाया और मैं नहीं जानता कि भविष्य में कौन कितना लाभ उठायेगा। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, जैसे अगर दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश आप लोगों में से कोई बन गया तो वह डिस्क्वालिफाई न हो जाय इसलिये यह बिल पेश किया गया है। इसलिये आपकी जो शंकायें हैं वे दूर हो जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, यह जो आज विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है इस विधेयक को अलग प्रस्तुत किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी संक्षेप में जिन कारणों की तरफ मैं उनका ध्यान दिलाऊंगा उनको देखते हुये इस विधेयक को वापस लेने की चेष्टा करेंगे। श्रीमान्, इस सदन ने पहले सन् ५२ में दो अनर्हता निवारण विधेयक पास किये हैं, एक तो उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४ और दूसरा उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३। जो दूसरा अधिनियम है उसके द्वारा प्रथम अधिनियम में संशोधन किया गया था। मैं नहीं जानता कि आज सरकार को यह तीसरा अधिनियम बिल्कुल अलग केवल एम्प्लाइज इंश्योरेंस ऐक्ट के सम्बन्ध में लाने की क्या आवश्यकता पड़ी अगर सरकार मेम्बर्स के कुछ डिस्क्वालिफिकेशन हटाना चाहती थी या उसको आवश्यक समझती थी और यह सोचती थी कि भविष्य में ऐसी संभावना हो सकती है, तो यह जो पुराना ऐक्ट पास किया है उसमें संशोधन कर देती। जब ऐक्ट पहले से मौजूद है तो नया ऐक्ट अलग से लाने की क्या आवश्यकता थी? मेम्बर्स डिस्क्वालिफिकेशन्स या आफिस आफ प्राफिट के सम्बन्ध में जितनी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, सब इसके द्वारा हटाई गयी हैं तो आज केवल एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट के लिये एक अलग से विधेयक लाने की क्या आवश्यकता है? एक तो यह मैं जानना चाहता हूं।

अगर इसी दलील पर माननीय मंत्री जी चलें कि एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट के लिये अलग से बिल लावें तो न मालूम कितने कार्पोशन्स बनेंगे, जैसे लेबर हाउसिंग कार्पोरेशन और दूसरे कार्पोरेशन। क्या हर एक के लिये अलग अलग ऐक्ट आयेगा और क्या पहले के ऐक्ट में संशोधन नहीं हो सकता है? मिसाल के लिये जो अधिनियम संख्या १३ है उसकी धारा २ पढ़ देना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

"विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में 'प्रतिकर भत्ता' (कम्पेंसेटरी एलाउन्स) का तात्पर्य यात्रिक भत्ता, दैनिक भत्ता, मकान के किराये का भत्ता या परिवहन भत्ता से है और उसमें वह परिवहन भी सम्मिलित है, जिसकी व्यवस्था और रख-रखाव राज्य के व्यय से किया जाय।"

यह परिभाषा प्रतिकर भत्ता की उपरोक्त अधिनियम में मौजूद है। इतना जोड़ने की जरूरत थी जो इसमें उद्देश्य और कारण में लिखा गया है "शुल्क और भत्ता" भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाता। 'शुल्क' शब्द जोड़ दिया जाता सब काम बन जाता, क्योंकि इम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट के अनुसार जो कार्पोरेशन बनेगा, स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, मेडिकल बेनिफिट काउन्सिल बनेगी, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटीफिकेशन के अनुसार बनेगी। अधिनियम नंबर ४ की द्वितीय धारा इस प्रकार है --

"एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राज्य सरकार के अधीन निम्नलिखित पदों के कारण उन पर अध्यासीन व्यक्तियों की उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या रहने के लिये अनर्हता न होगी और न कभी रही समझी जायगी ;

(क) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की आज्ञा के अधीन या उसके द्वारा नियुक्त किसी कमेटी या बोर्ड के, जिनके अन्तर्गत किसी विधायन या नियम के अधीन या उसके द्वारा संघटित या स्थापित कोई कमेटी या बोर्ड है, चेयरमैन या सदस्य का पद जो ऐसी अवधि के लिये अध्यासित रहा हो, जो ३० अप्रैल, १९५२ के बाद की न हो।"

भारत सरकार के नोटीफिकेशन के अधीन कोई कमेटी बनती है तो पहले से ही डिस्क्वालिफिकेशन को आपने हटा रखा है। उसके लिये सिर्फ एक शब्द 'शुल्क' जोड़ने से ही काम बन सकता था। इसलिये माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि आज अलग से यह विधेयक लाने की क्या आवश्यकता पड़ी ? क्या पुराने विधेयक में संशोधन करने से काम नहीं बन सकता था ? क्या वह एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट को इतना महत्व देते हैं कि अलग से बिल लाने की आवश्यकता पड़ी ? क्या भविष्य में भी इसकी देखादेखी जो और कार्पोरेशन बनें उनके लिये भी अलग से बिल लाने की आवश्यकता पड़ेगी ? ये प्रश्न हैं जो कि मैं आपकी आज्ञा से उनके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं।

*श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आफिस आफ प्राफिट का विषय कितना महत्वपूर्ण है यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा कि माननीय काटजू जी ने कहा कि आफिस आफ प्राफिट अगर शुल्क या वेतन आदि लिया गया हो तभी आफिस आफ प्राफिट नहीं होता, बल्कि मुख्य विषय यह है कि उस पद पर पदासीन व्यक्ति अपने राजनीतिक या अन्य प्रकार के लाभ के लिये दूसरों पर कितना असर डाल सकता है, यह उसमें व्यवस्था है। इसी आधार को लेकर आफिस आफ प्राफिट का विषय विदेशों में भी हाउस आफ प्युपुल में भी व और जगहों में भी हुआ। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो उदाहरण आफिस आफ प्राफिट का दिया है वह बहुत ही निन्दनीय रहा है। जो भी प्रजातन्त्रवाद की परम्परायें हैं उन पर एक के बाद दूसरी पर कुठाराघात होता रहा है। आप जानते हैं कि विन्ध्य प्रदेश में पहले-पहल कुछ कंट्रोल ऐडवाइजरी कमेटी के मेम्बरों के बारे में यह प्रश्न उठा। उस समय एलेक्शन कमीशन के सामने मामला गया। एलेक्शन कमीशन ने रिपब्लिक के प्रेसीडेंट, फर्स्ट सिटिजन आफ इंडिया के सामने इस मसले को रखा और उन्होंने तमाम मेम्बरों को डिस्क्वालिफाई कर दिया और वह विंध्य प्रदेश विधान सभा के मेम्बर नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी के मेम्बरों की हैसियत से दैनिक भत्ता वसूल किया था और अब विधान की धारा १९१ का मिसयूज करके कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि जिसका हम कानून बना दें वह आफिस आफ प्राफिट नहीं रहेगा। अगर यह परम्परा कायम रही तो आगे चलकर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एस० डी० एम० और पंचायत राज अफसर का पद भी आफिस आफ प्राफिट नहीं होगा क्योंकि धारा १९१ के अधीन सिर्फ कानून बनाने की जरूरत है। अगर यह बिल पास हो गया तो कैसी परम्परा कायम होगी ?

यह तीसरा बिल है। टेरिटोरियल आर्मी के सम्बन्ध में बिल आया तो उस समय भी हमने विरोध किया इस आधार पर कि ४३१ मेम्बर ही सारे गुणों के भंडार नहीं हैं। उनकी कांस्टीट्यूएंसी है और भी काम है। उसमें उनको पूरा काम करना है। माननीय अवस्थी जी के शब्दों में हर जगह विशेज्ञ विधान सभा के सदस्य ही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यह हुआ कि रर्ष्ट्रीय प्रश्न है। अगर दूसरे मुल्क से हमला होगा तो टेरिटोरियल आर्मी में ऐतराज नहीं करना चाहिये। वैसे हमने उस वक्त भी आवाज उठायी थी। दूसरा विधेयक विकास योजना के लिये कर्जा लिया जा रहा था। उसमें विधान सभा के मेम्बरों को कमीशन एजेंसी का काम दिया गया। उस समय भी हमने आवाज उठायी कि विधान की धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन ब्रूट मैजारिटी के बल पर उसको पास कर दिया गया। मंत्री जी के मुंह से साफ बात निकल गयी। उन्होंने कहा कि विधान की धाराओं के जोर को जाया करने के लिये यह बिल लाये हैं; साफ बात निकल गयी। पुराने खिलाड़ी राजनीतिज्ञ हैं नहीं। एक ईमानदार आदमी की हैसियत से सत्य बात निकल गयी विधान की धाराओं को जाया करने में सरकार फख्र समझती है। उस समय भी हमने कहा था कि यह कर्जा जो ले रहे हैं उसमें अगर पार्टी के लोग कमीशन एजेंसी में काम करेंगे तो पोलिटिकल मैजारिटी का प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन उस समय तो ब्रूट मेजारिटी के बल पर कानून बन गया और १९१ धारा में तो लिखा है कि अगर बहुमत के बल पर पास कर दें तो उसका प्रभाव नहीं रहता। मैंने पहले तो एक उदाहरण दिया। माननीय अवस्थी जी जानते हैं और मैं उनकी कद्र करता हूं। वह मजदूरों के मामलों के विशेषज्ञ हैं। आज हजारों कार्यकर्ता और मजदूर मारे-मारे फिर रहे हैं और उनको खाने का ठिकाना नहीं है। उनके लिये भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये। क्या सुर्खाब के पर लगे हैं विधान सभा के सदस्यों में ही कि उनके लिये सारी व्यवस्था हो ?

नारायणदत्त जी के भाषण को सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने बताया कि पहले विधेयक में केवल 'शुल्क' शब्द को जोड़ देने से ही काम चल सकता था। जब उनके उपनेता ने इसका विरोध किया है तो उनको तो इसका विरोध करना ही चाहिये था। 'शुल्क' शब्द तो आनरेरियम है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। वह १० रुपया भी हो सकता है और ५० रुपया भी। एक डिप्टी मिनिस्टर साहब के लिये हजारों रुपया भी 'शुल्क' मुनासिब होगा। अब तक लेजिस्लेचर ने जो विधेयक पास किये हैं उनमें दैनिक भत्ते का सवाल था और यह था कि दैनिक भत्ता या कम्पेंसेटरी एलाउन्स हो तो वह डिस्क्वालिफाइड न माना जाय। यह तो उंगली पकड़ कर पहुंचा पकड़ना है। आज समय नहीं है, लेकिन मैं उस दिन बताऊंगा कि कानपुर में या दूसरी जगह जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, वहां इसका कितना दुरुपयोग किया जा सकता है।

(माननीय सदस्य का भाषण अभी जारी था कि सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
८ सितम्बर, १९५५

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५२ पर)

तालिका

बन्दी का नाम	जुर्म की दफा	सजा	सजा देने की तिथि	सजा देने वाली अदालत का नाम
१ देवीदयाल	३०२।१२० बी २०१ भा०द० वि०।	आजन्म कारावास	८-१०-५३	सिविल तथा सेशन जज, कानपुर।
२ दीपसिंह	३९७ भा०द० वि०	८ साल की सजा	२५-३-५३	ऐडिशनल सेशन जज, मैनपुरी।
३. हरपाल सिंह	३९९।४०२ भा० द० वि० और १९ आर्म्स ऐक्ट।	७ साल की सजा और ४०० रु० जुर्माना, न अदा होने पर ६ महीने की और सजा।	१८-५-५३	सेशन जज, शाहजहांपुर।
	३९१ भा० द० वि०	५ साल की सजा	२७-४-५३	सेशन जज, शाहजहांपुर।
४ दीनदयाल	३९५ भा०द० वि०	५ साल की सजा	२७-४-५३	सेशन जज, शाहजहांपुर।
५ महेन्द्रसिंह	३९५ भा०द० वि०	५ साल की सजा और २५० रु० जुर्माना, न अदा करने पर १ साल की और सजा।	१०-११-५३	सेशन जज, पीलीभीत।
६ करनेलसिंह	३९५ भा० द० वि०	५ साल की सजा और २०० रु०, जुर्माना न अदा होने पर १ साल की और सजा।	१०-११-५३	सेशन जज, पीलीभीत।
७ अब्दुल अजीम	४५७ भा०द०वि०	१ साल की सजा और १०० रु० जुर्माना, न अदा करने पर ३ महीने की और सजा।	३-८-५४	श्री बी० डी० चतुर्वेदी—मजिस्ट्रेट, आगरा।
८ राजकुमार	३०२।१४९।३२३। १४९ भा० द० वि० और १४७ भा० द० वि०।	आजन्म कारावास	६-१२-५४	सेशन जज, हरदोई।

बन्दी का नाम	जुर्म की दफा	सजा	सजा देने की तिथि	सजा देने वाली अदालत का नाम
९ रामकुमार	३२३।१४९।३०२। १४९।१४८ भा० द० वि०	आजन्म कारावास	६-१२-५४	सेशन जज, हरदोई।
१० नाथू	३९७ भा०द०वि०	५ साल की सजा	५-१०-५३	सेशन जज, शाहजहांपुर।
११ भूव देव	३९५ भा०द०वि०	५ साल की सजा और १०० रु० जुर्माना, न अदा होने पर ६ महीने की और सजा।	२०-५-५३	ऐडिशनल सेशन जज, बदायूं।
१२ लालबहादुर सिंह	३०७ भा०द०वि०	४ साल की सजा	१३-११-५३	ऐडिशनल सेशन जज, इटावा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५२ पर)

तालिका १

पेरोल मैजिस्ट्रेटों के कार्य सम्बन्धी नियम—

(१) जेल से मुक्त कैदियों की देख-रेख करना तथा उनके पुनर्वासन में सहायता देना;

(२) जहां आवश्यकता हो यू० पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट तथा टिकट आफ लीव रूल्स के अन्तर्गत छोड़े गये कैदियों के संरक्षक का कार्य करना;

(३) उपर्युक्त कैदियों के लिये योग्य संरक्षक तजवीज करना; तथा

(४) जिलाधीशों को तजवीज किये गये संरक्षकों की उपयुक्तता के बारे में सलाहें देना।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५५ पर)

No. 2056/II-B—1954

FROM

SRI K. P. BHARGAVA, I. C. S.,
CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT.
UTTAR PRADESH.

TO

ALL HEADS OF DEPARTMENTS,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, July 19, 1954

Subject : **Part II of the Report of the Disciplinary Proceedings Inquiry Committee.**

SIR,

I AM directed to say that copies of the complete Report of the Disciplinary Proceedings Inquiry Committee, containing both Parts I and II of the Report, have been already forwarded to you with the State Government's Resolution no. 1319/II-B—54, dated May 11, 1954 and I am now to communicate the following further instructions of the State Government on certain matters contained in Part II of the Report.

2. Procedure for applications, etc.—[Paragraphs 9 and 3(2)*]. Except in respect of matters which cannot be regulated by rigid instructions, the procedure for the receipt and disposal of applications in government offices under the State Government shall, as far as possible, be on the following lines :

(1) In all offices, a definite time and place shall be fixed for receiving applications. Applications shall be made before the officer concerned. When he is on tour, there shall be another officer designated to receive applications in his absence. If the matter is simple, order shall be passed immediately and announced. If no final order is possible immediately, a date shall be fixed and the applicant's signature, or thumb-impression, should be taken.

(2) Action on applications shall, as far as possible, be automatic, and should not require the attendance of members of the public at any stage unless absolutely necessary.

(3) Wherever possible, the procedure for obtaining the final decision should be further simplified so that minimum time is taken at each stage. Time-limits should also, wherever possible, be prescribed for the various stages of dealing with applications or requests from the public. If for any rearon, such time-limits can not be observed, the matter may be brought by the official concerned to the notice of superior authority. In case of delay, the applicant should not *suo motu* contact the official; but apply to the presiding officer. The person responsible for the delay should be taken to task, whenever he is seriously at fault.

*The first number within square brackets in such contexts throughout this G. O, refers to the paragraph of Part II of Report and the second number to the relevant Paragraph of the Government Resolution.

(4) A serial number shall be assigned to every application as soon as it is received. Acknowledgment slips should, if demanded, be given ; provided such slips have been made out and attached to the applications by the applicants.

(5) Where discretion is allowed to a person at any stage in the handling of the applications or requests by the public, the discretion should be exercised so as to promote the public interest.

(6) Where the adoption of routine procedure might result in defeating the object in view, more expeditious measures must be used by the official concerned for obtaining timely decision, e.g. if higher sanction is required in an emergency, it shoud be obtained by the speediest means available.

The rules and instructions finally decided upon by you in this behalf for the offices of your department should be prominently displayed on the notice boards of such offices. Matters excluded from such rules on account of their unsuitability for being cast into provisions of a rigid character, should be reported with reasons to the administrative department concerned, to whom a copy of the final rules should be forwarded. A copy of the final rules should also be forwarded to the Appointment (B) Department.

3. **Office procedure**—[Paragraphs 10 and 3 (3)]. The procedure followed in government offices of the State is to come, in due course, under expert scrutiny for rationalization and streamlining ; but in the meanwhile, the existing procedure should be amended with immediate effect so as to provide that—

(1) all letters received from non-officials are acknowledged ;

(2) answers to queries of a stereotyped nature are sent by issuing printed or cyclostyled replies ;

(3) ordinarily, all letters must be replied to within a month at the outside. A subordinate authority, which does not receive a reply within a month to a letter addressed by it to its superior authority, may issue a reminder. Reminders to Government may, however, be issued after two months;

(4) correspondence between branches of the same office located in the same building should be avoided ;

(5) in every branch of an office, there shall be prepared, on a fixed date, a monthly statement of arrears showing letters not replied to within the prescribed period of one month, the statement shall be regularly submitted to the Head of Office, and he shall closely scrutinize it and record appropriate orders on it.

4. **Office inspections**—[Paragraphs 14 and 3 (7)]. In order that the responsibility for office inspections may be discharged more efficiently by departmental officers, you have to draw up for your department (s) a form/forms on the lines of the questionnaire used for the inspection of treasuries, which is given in Appendix XXI of the Financial Handbook, Volume V, Part II, and obtain the approval of the appropriate department of Government for its/their adoption.

The system of periodical inspections recommended by the Committee for the offices of the Revenue Department shall be duly observed in such offices with immediate effect.

Other administrative departments of the Government are being requested to devise and enforce as early as possible a similar system of periodical inspections in respect of offices with which they are concerned.

5. **Examinations for clerks**—[Paragraphs 20 and 3 (13)]. As early as possible, you have to draw up the syllabus and other details of the examination (s) for clerks under you, and obtain the approval of the administrative department concerned. Uniformity for the proposals will, as far as possible, be secured by the administrative departments concerned by consulting the Appointment (B) Department and the Finance Department. It is hoped that very great care will be exercised in drawing up the details of such examinations, and in ensuring that they will be conducted properly and fairly. The future efficiency of offices will very largely depend on the successful implementation of the system, and persistence of inefficiency after its enforcement will reflect on the capability of officers who are, or have been, at the head of office.

6. **Definition of merit**—[Paragraphs 27 and 3 (20)]. In continuation of the decision already taken by Government on the recommendation, contained in paragraph 25 of Part I of the Report of the Disciplinary Proceedings Inquiry Committee, to base all promotions on merit, it is now laid down that claims of individuals for promotion should be considered by an assessment of merit in the light of the following qualities :

(i) competence,
(ii) efficiency,
(iii) initiative,
(iv) straightforwardness,
(v) dependability,
(vi) integrity,
(vii) missionary zeal,
(viii) effective supervision, and
(ix) efforts to eliminate corruption.

A just appraisal of merit is of vital importance to the morale and contentment of the services, and ultimately of the administration. Government accordingly expect that in making promotions, officers will be duly alive to their responsibility, and always act with conscientious care.

7. **Permission to join classes**—[Paragraphs 29 and 3 (22)]. In the past some government servants sought, and were generally accorded, permission to join academic classes for getting themselves better qualified without being required to take leave for the duration of the courses (cf. G.O.no. 5856/III--134-1950, dated July 20, 1950). Cases also came to notice in which others joined such classes on the sly and even attended lectures during hours when they should have been on duty. Where permission was accorded, it was only on assurances that such study would not interfere with government work; but the assurances were not always fulfilled. It became obvious that the concession caused considerable administrative inconvenience, particularly when the examinations drew near. It was with this background of the matter that the Committee came to the conclusion that such permission is against the public interests, and the Government, agreeing with the Committe, have now decided that no whole-time government servant shall be allowed to join academic classes while he is actively engaged in service.

8. Courtesy—[Paragraphs 31 and 3 (24)]. The importance of courtesy is nowhere greater than in government offices. Courteous behaviour on the part of government servants not only makes things easier and pleasant for the public, who are the real masters in a democracy, but also wins credit for the administration and makes its tasks smoother. It is the duty of government servants to show the utmost courtesy in all their dealings, and Government hope that every one connected with the administration will zealously strive not to be found wanting in courtesy.

9. Punishments to be adequate—[Paragraphs 39 and 3(30)]. The Committee have cited influential connexions of the accused, pressure from their friends, legal and procedural difficulties, and fear of counter-allegations as reasons which tend superior officers to inaction, or inadequate action, in disciplinary matters against their subordinates. Government share the view expressed by the Committee that such weakness on the part of superior officers is deleterious to the morale of the public services, and consider that it is also an unmistakable proof of failure in the proper discharge of their duty. It is necessary, therefore, that all officers responsible for disciplinary action should always award adequate punishments, and that, particularly, in cases involving corruption, the punishments should be such as will have a deterrent effect.

10. Delegation of powers to impose minor punishments—[Paragraphs 40 and 3 (31)]. Your proposals for the delegation of powers to authorities, lower in rank than the appointing authorities, to impose minor punishments on their subordinates, should be forwarded as early as possible to the administrative department concerned for the final orders of Government.

11. Speedier conclusion of departmental proceedings—[Paragraphs 46 and 3 (36)]. In view of the imperative necessity of concluding disciplinary proceedings against government servants as early as possible, certain time-limits were prescribed for the different stages of such proceedings in G. O. no. O-305/IIB—1953, dated January 30, 1953. The officers conducting these proceedings should aim at concluding them within the prescribed minimum time-limits. The Governor further directs that the authorities concerned with the conduct of departmental proceedings in a case of corruption, shall accord the highest priority to the case and strive to complete all its stages within a period of three months.

12. Publicity for punishments—[Paragrahs 47 and 3 (37)]. In order that the punishments awarded to government servants may have a deterrent effect on the general body of government servants and that the public may also be aware of the action taken by Government against corrupt officials, Government have accepted the Committee's recommendation for the publication of a quarterly report giving information about the action taken in all important cases of corruption. Such information should accordingly be included in the fortnightly demi-official letters from subordinate offices, and the Heads of Departments shall prepare consolidated statements and report the result every quarter to the Chief Secretary for incorporation in the quarterly statement which the latter will finally issue. The form of the statement shall be as follows :

Serial number	Name, designation, etc. of the government servant involved	Particulars of the charge, or charges, in brief	Whether proceedings were taken departmentally or in a court	Punishment awarded
1	2	3	4	5

13. Restrictions on entry into government offices—[Paragraphs 48 and 3 (38)]. Work in government offices must be carried on without consideration of personalities and in an atmosphere which is free from distractions. Neither is possible if members of the public are free to get into government offices at will. The Government have, therefore, accepted the Committee's recommendation that members of the public should not be allowed access into government offices except on business which is specially authorized, e. g. obtaining tender forms, etc. from the offices of the Public Works Department or the Forest Department. All Heads of Offices should accordingly secure effective means to exclude unauthorized members of the public from their offices—in offices where access is permissible, a suitable place shall be set apart for the purpose and, if convenient, counters shall be provided so that business may be transacted across them.

14. Cases of bribery—[Paragraphs 50 and 3 (40)]. It is very important to have beforehand a proper evaluation of evidence in cases of bribery. Government have accepted the recommendation of the Committee in this regard which requires that in every case of bribery, a departmental inquiry shall first decide whether the accused government servant should be criminally prosecuted or not : criminal prosecution shall be launched if there is sufficient evidence for a judicial trial, and in other cases, departmental proceedings should be taken.

15. Embezzlements—[Paragraphs 51 and 3 (41)]. The time and energy spent in the prosecution of cases of embezzlement are often not commensurate with their intrinsic importance or the results achieved. As a rule cases of embezzlement, which do not indicate any systematic procedure to defraud the Government, shall ordinarily be dealt with departmentally, but those cases should be sent to court which are serious and merit punishment under the criminal law.

16. Traps—[Paragraphs 53 and 3 (43)]. The Committee's recommendation regarding traps has been accepted, and accordingly, the laying of trap should continue : but' as far as possible, only senior and experienced magistrates should be used for the purpose.

17. Entries regarding withholding of intedgrity certificates—[Paragraph 56]. In regard to the recording of entries or withholding of integrity certificates in character rolls, some doubts were expressed whether such entries required to be stated in any prescribed terms, and I am to make it clear that no set form has been prescribed for the purpose.

18. Social relations among government servants—[Paragraphs 57 and 3 (46)]. In any set-up, it is unavoidable for a particular subordinate officer to come into more frequent contact with his superior officer than others, or there being affinity between the two for other reasons. Unless a resolute stand is taken by the superior officer to put such familiarity or affinity at the proper place, it tends to a softness towards the particular subordinate and to the establishment of special social relations with him—developments neither defensible on ethical grounds nor conducive to good administration. It is hoped that superior officers will take very special care to ensure that their relations with their subordinates are correctly based, and that they do not deve lop social relations with individual officers which create an impression that some one is being specially favoured.

Yours faithfully,
K. P. BHARGAVA,
Chief Secretary.

No. 2056 (I)/II-B—54

COPY forwarded for information to all Principal Heads of Offices.

No. 2056 (2)/II-B—54

COPY forwarded for information to all the Departments of the Secretariat The Departments having offices under them, except the Revenue Department. are requested to devise a system of inspections for their offices on the lines of the system suggested in paragraph 14 (l) (ii) of Part II of the Report.

No. 2056 (3)/II-B—54

COPY also forwarded for information to the members of the Disciplinary roceedings Inquiry Committee.

By order,

H. K. TANDON,

Deputy Secretary to Government,

Uttar Pradesh.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ७३ एल० ए०—१९५५—७९६ ।